खण्ड-272, अंक-9
शुक्रवार, 9 आषाढ़, शक संवत् 1889
(30 जून, 1967 ई0)

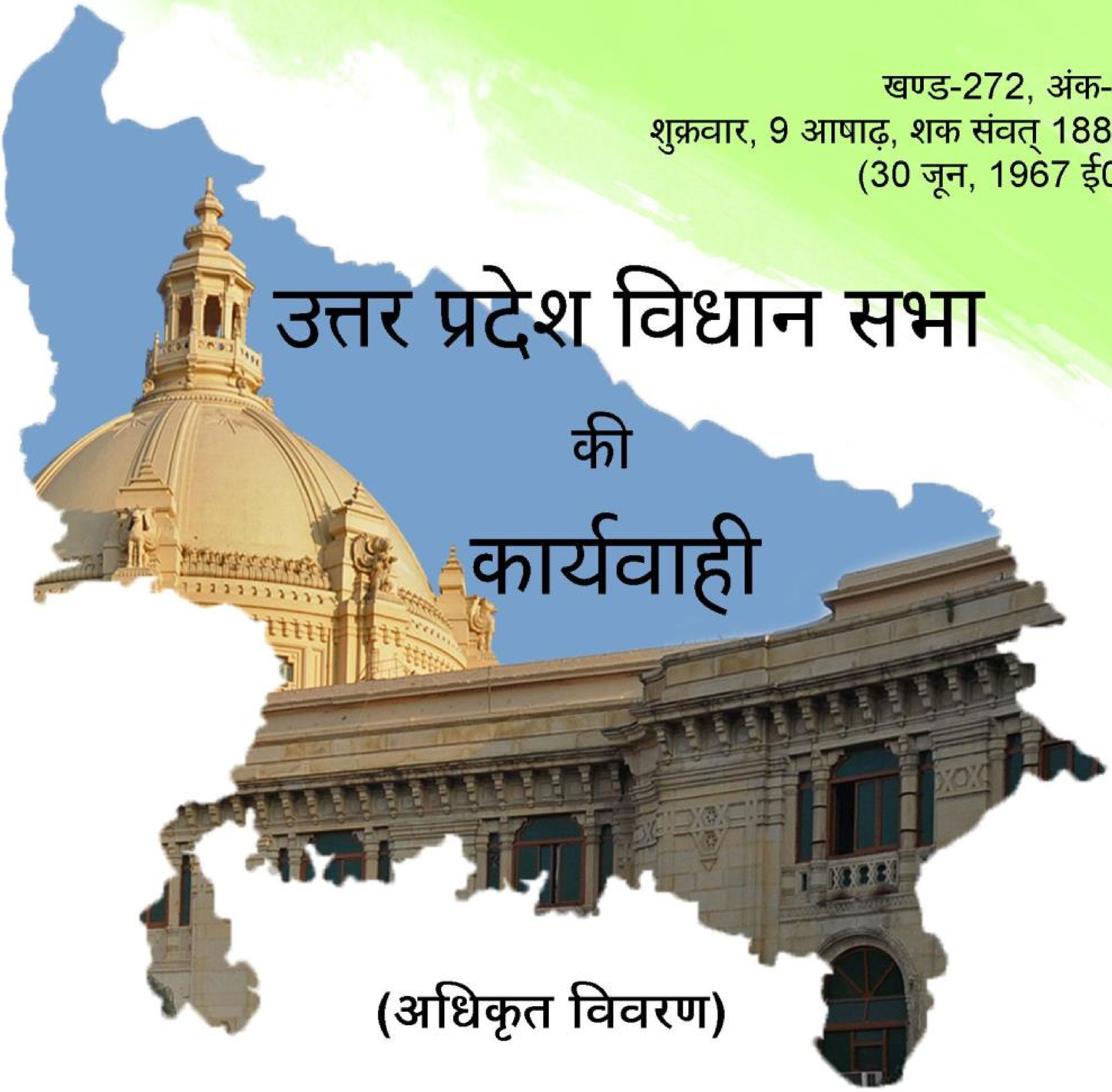

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५–४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६–४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० जून, १९६७

[विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।]

उपस्थित सदस्य २७५

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
एस० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री

कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैया लाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले श्री (उपनाथ छन्नन गुरू)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री

गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
फूल सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री

प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर , श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधि राम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचन राम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुल्की राज, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री

राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राज बहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजा राम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दत्त, श्री
रामदास, श्री
राम दुलारे पटेल, श्री
राम दुलार, श्री (गोंडा)
राम दुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
राम देव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम मूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम लखन, श्री
राम सुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
राम स्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर, सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नारायण, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिव नाथ सिंह, श्री
शिव राज सिंह, श्री
शिव लाल, श्री

शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)।
सईद अहमद, श्री
सत्यबीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेन राम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरि हर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—मंत्री श्री मानसिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

सदन में गैर सदस्य व्यक्तियों के बैठने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री गजाधर (जिला बहराइच)—

एक आवश्यक सूचना है। क्या माननीय अध्यक्ष बतायेंगे कि यहां पर जो सिक्यूरिटी मेजर्स हैं उनको क्या आज्ञा दी गयी है कि जो सदस्य नहीं हैं वह भी आकर बैठ जायं? कल इस तरीके के दो व्यक्ति सदन में देखे गये।

श्री अध्यक्ष—

हमारे कर्मचारी नये सदस्यों को पहचानते नहीं हैं, यह हो सकता है कि वह समझते हों कि ये सदस्य हैं। आप बैठें, जब मैं बोलूं तो बैठ जाना चाहिए। किसी माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी बात आये कि कोई सज्जन जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, बैठे हैं, तो वह तुरन्त कृपा करके बतायें। यह बहुत गलत चीज है। मैं फौरन व्यवस्था करूंगा।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० जून, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बी० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए नियम

**१—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर) तथा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिए १ जुलाई, १९६७ से सत्र आरम्भ होने जा रहा है। तो क्या उसमें भर्ती हेतु हाई स्कूल पास की योग्यता के लड़कों के लिए रोक लगा दी गई है। यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, वह यह बतला दें कि क्या नीति है बी० टी० सी० ट्रेनिंग के सिलसिले में ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें यह किया गया है कि सर्व प्रथम इन्टरमीडिएट पास, प्राप्त अंकों के आधार पर, भर्ती किए जायं, अगर फिर भी स्थान रिक्त रह जायं तो हाई स्कूल पास श्रेणी के, प्राप्त अंकों के आधार पर रखे जायं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मंत्री जी ने कहा कि इण्टर पास विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हाई स्कूल पास लड़कों को इससे वंचित किया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि हाई स्कूल तथा इण्टर दोनों ही के विद्यार्थियों को इस ट्रेनिंग के लिए योग्य समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं मंत्री जी, योग्य तो समझा जाता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि उनकी इस नीति के विरुद्ध जिला परिषदों के अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जितने अभ्यर्थी थे उन सभी को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास भेज दिये कि सरकार की यह नीति गलत है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पिछड़े हुये इलाके हैं और जहां प्लेन्स और पहाड़ को रहने वाले रिमोट कार्नर्स में बैठने के लिये तैयार नहीं हैं, न वहां खाना मिलता है और न रहने की सुविधा है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी कि वहां के हाई स्कूल लिये जायं और जो ए क्लास तक पास हैं वे भी....

श्री अध्यक्ष--

आप यह प्रश्न करना चाहते हैं कि जो ऐसी पिछड़ी जगहें हैं उनमें इन्टरमीडिएट की रोक है कि उनको प्राथमिकता दी जाय, ऐसी रोक न लगाई जाय। अगर वहां इन्टरमीडिएट मौजूद हैं तो क्या कठिनाई रहती है। माननीय शिक्षा मंत्री आप इस बात का जवाब दे दें कि आप ऐसी विशेष जगहों पर क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मोटे तौर पर जो नियम हैं मैंने उसके बारे में बताया है। अगर कोई विशेष जगह के बारे में विशेष परिस्थिति हो तो विचार किया ही जायगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश सरकार की तरफ से भेजे गये हैं, उन आदेशों को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अभी तक जो नीति चलाई जा रही थी उसमें बहुत सी अनियमिततायें और भ्रष्ट तरीके घर कर गये थे, इसलिये उनको बदलने की आवश्यकता पड़ी।

सरकिट हाउस इलाहाबाद में उद्योग मंत्री का घेराव

**२--श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ जून, १९६७ को उद्योग मंत्री इलाहाबाद के सरकिट हाउस में ३ घंटे तक 'घेराव' में रखे गये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्थिति का पूरा विवरण देने की कृपा करेंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)--

घटना का विवरण निम्न प्रकार है :

२५ जून, १९६७ को दस बारह विद्यार्थी स्कूटर रिक्शा पर जिसमें लाउड स्पीकर लगे हुये थे सर्किट हाउस पहुंचे जहां श्रम मंत्री ठहरे थे और सर्किट हाउस के एक फाटक पर जमा हो गये। वहां उन्होंने भाषण देना शुरू किया जिनमें मुख्य रूप से हिन्दी को उचित स्थान न दिये जाने तथा केवल अंग्रेजी में फेल परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित न करने की आलोचना की गई और १८ जून को सेक्रेटेरी इन्टरमीडिएट बोर्ड के कार्यालय पर गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों के छोड़े जाने की मांग की गई। उनमें से कुछ विद्यार्थी सर्किट हाउस के अन्दर आ गये और उनके नेता से श्रम मंत्री ने बात की। इसी बीच फाटक पर विद्यार्थियों ने श्रम मंत्री के बाहर आने की मांग की। श्रम मंत्री बाहर निकले और उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि उनके मामले पर सरकार विचार करेगी। इस पर विद्यार्थी लोग चले गये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि माननीय श्रम मंत्री जी के दिये गये आश्वासन के संबंध में जो उन्होंने अपने भाषण में दिये, कोई कार्यवाही हो रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आश्वासन यह दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। उनकी मांगें उस वक्त दो थीं। एक तो यह कि अंग्रेजी में जो फेल हो गये हैं उनको उत्तीर्ण

घोषित किया जाय । इस पर आगे के इम्तहानों के लिये विचार किया जा सकता है लेकिन जो परीक्षाफल घोषित हो चुका है उसके लिये विचार नहीं किया जा सकता । दूसरी मांग यह थी कि जिन्होंने सेक्रेटरी, इन्टरमीडिएट बोर्ड का घेराव किया था उन पर मुकदमा वापिस ले लिया जाय या मुकदमा न चलाया जाय । गालिबन दूसरी मांग यह थी । अगर वे लोग तहरीरी खेद प्रकट करें और यह लिखकर दें कि आगे को वे इसे नहीं दोहरावेंगे, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा, वरना मुकदमा चलेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो घेराव विद्यार्थियों ने श्रम मंत्री जी का किया था क्या उसके संबंध में भी कुछ विद्यार्थियों पर कार्यवाही करने का इरादा सरकार का है ?

श्री चरणसिंह--

नहीं । वह घेराव कहा भी नहीं जा सकता है चूंकि ३, ४ गेट और खुले हुए थे ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

जब अंग्रेजी में फेल छात्रों को पास करने की नीति अगले के लिये विचार करने के लिये मान ली गई तो उसी काम के लिये गिरफ्तार छात्रों से माफी मंगवाने की क्या जरूरत है ?

श्री चरणसिंह--

सिर्फ विचार करने का मैंने वायदा किया है । यह नहीं है कि मान लिया है । दूसरी बात यह है कि जो आज कानून है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है, तो उसकी कार्यवाही तो की ही जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि सैकड़ों विद्यार्थियों ने ३ घंटे तक श्रम मंत्री जी को घेराव में रखा और उनकी यह मांग थी कि जब तक श्रम मंत्रीजी आकर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करने का आश्वासन नहीं देंगे वे वहां से तब तक नहीं हटेंगे ?

श्री चरणसिंह--

अर्ज कर चुका हूं कि उन्होंने घेराव एक मिनट भी नहीं रखा । घेराव के सामने हैं रांगफुल कनफाइनमेन्ट, जिससे निकल न सके । कई दरवाजों में से एक पर सभा हो जाना घेराव नहीं कहा जा सकता है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

कितने बजे ये विद्यार्थी वहां आये और कितने बजे गये और क्या यह सही है कि इस बीच में श्रम मंत्री जी बाहर एक कार्यक्रम में नहीं जा सके ?

श्री चरणसिंह--

कितने बजे आये, कितने बजे गये, कितनी देर तक माननीय मंत्री बाहर नहीं गये, ये सब बातें गैर मुताल्लिक हैं । घेराव हुआ ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि माननीय श्रम मंत्री किसी कार्य क्रम में जाने वाले थे और उनके बाहर खड़ा होने के कारण वह स्थगित करना पड़ा ?

श्री चरणसिंह--

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

इस सवाल पर कितने ही वर्षों से विद्यार्थियों में गड़बड़ी रही है और उन्होंने घेराव तक की बात की है । मैं यह आश्वासन या जानकारी चाहूंगा कि इस साल जो लोग काफी तादाद में फेल हुये हैं और १०० में २० नम्बर से ज्यादा पाये हैं क्या उनके ऊपर विचार किया जायगा पास करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब आ चुका है कि इस वर्ष के लिये कुछ नहीं किया जा सकता। अगले वर्ष के लिये विचार किया जायगा।

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

जो माननीय सदस्य आवाज देकर मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मैं उनको नहीं बुलाऊंगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

जब वहां घेराव नहीं हुआ तो छात्रों को गिरफ्तार क्यों किया गया ?

श्री रुस्तम सैटिन--

वहां कोई छात्र गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सेक्रेटेरी इन्टरमीडिएट बोर्ड, के दफ्तर में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, के कार्यालय में जो घेराव हुआ, क्या विद्यार्थियों ने उस कार्यालय को चारों तरफ से घेरा था ?

श्री चरण सिंह--

उनको इस तरह से घेरा था कि वह बाहर नहीं जा सकते थे, बाथ-रूम तक में नहीं जा सकते थे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य- संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जलालाबाद तथा तिलहर तहसील में लगान माफी की प्रार्थना

*१--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर और जलालाबाद में लगातार तीन वर्षों से पैदावार नहीं हुई है और बड़ी भयानक स्थिति है ? क्या मंत्री ऐसी दशा में उक्त अवधि का लगान माफ करने की अविलम्ब ऐलान करने की कृपा करेंगे ?

राजस्व उपमंत्री (श्री राजेन्द्रसिंह यादव)--

जी नहीं। स्थिति भयानक नहीं है। दैवी आपदाओं से नियम के अनुसार जो छूट दी जाती है उसके अन्तर्गत १३७२ की खरीफ में क्षति न होने के कारण मालगुजारी में सहायता देने का प्रश्न नहीं था। खरीफ १३७३ फसली में सूखे के कारण उक्त दोनों तहसीलों में २,१०,४७८ रु० की मालगुजारी का स्थगन स्वीकृत किया गया था। खरीफ १३७४ फसली के सहायता संबंधी अन्तिम सहायता प्रस्ताव राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को प्राप्त होते ही निर्णय लिया जायगा। रबी १३७५ फसली में तहसील तिलहर ८७.८७५ रु० की मालगुजारी एवं ४२८ रु० के लगान की छूट स्वीकृत की गई थी। रबी १३७३ तथा १३७४ फसली में कोई क्षति नहीं हुई। अतः छूट देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम --

क्या यह सही है कि जिलाधीश शाहजांहपुर ने इस वर्ष वहां की स्थिति को देखते हुये शासन को लिखा है कि उनको छूट दे दी जाय ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

राजस्व परिषद् का जब यह नियम है कि दो साल लगातार दैवी आपदा रहे तो छुट्टी जाय, तो यहां ३ साल तक आपदा रहने के बावजूद भी छूट न देने का क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

वहां लगातार क्षति नहीं हुई है ।

[३० जून,१९६७, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पंचकोशी सड़क वाराणसी

*१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचकोशी सड़क वाराणसी को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसके बनाने का कार्य कब शुरू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)--

जी नहीं ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बनारस जिला परिषद् ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में पंचकोषी सड़क को सरकार द्वारा लिये जाने के लिये नम्बर १ पर रखा है ? यदि हां, तो माननीय मंत्रीजी ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मंगलदेव विशराद--

जी हां, लेकिन आर्थिक क्षमता को देखते हुये सरकार अभी इसको लिये जाने का विचार नहीं रखती ।

*२--श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)--

[३रे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३-४--सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस लिये गये ।]

हसनगंज तहसील में लेखपालों का शेष वेतन

*५--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ अप्रैल, १९६७ तक उन्नाव जिले की किस तहसील में कितने लेखपालों को वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा बढ़ाये गये नये वेतन का एरियर देना अभी शेष है और क्यों ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

जिला उन्नाव के केवल हसनगंज तहसील के ५४ लेखपालों को बढ़ाये गये नये वेतन का एरियर देना शेष था क्योंकि एरियर बिल पास हो कर महालेखाकार के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुये थे ।

श्री श्रीराम तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि महालेखाकार कार्यालय बिल किस को तारीख प्राप्त हुये और हसनगंज तहसील के बिलों के आने में देरी क्यों हुई है ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---

हसनगंज तहसील के बिल बाद को भेजे गये थे। अभी वे ए० जी० के यहां ही पड़े हुये हैं ?

जलालाबाद तहसील में पट्टों की मसूखी

*६---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की ग्राम हार कटेरा के काश्त के पट्टे अनधिकृत रूप से प्रधान ने २२ जून, १९६५ को किये जिसे परगनाधीश जलालाबाद ने एतराज होने पर दिनांक २४ अगस्त, १९६६ को खारिज किया ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

इस ग्राम के २२ जून, १९६५ को किये गये पट्टों की मंसूखी के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र को परगनाधिकारी ने खारिज कर दिया था, पर उनके इस आदेश के विरुद्ध अपील भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

अनियमितता हुई या नहीं हुई इसका निश्चय अपील के निर्णय के बाद ही संभव है।

*७---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या यह भी सही है कि प्रधान जिन्होंने पट्टे किये वह प्रधान ग्राम हारकटेरा के नहीं थे बल्कि दूसरी ग्राम सभा के प्रधान थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

इसकी जांच अपील के निर्णय के बाद ही संभव होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष महोदय, हारकटेरा ग्राम के पट्टे जिस प्रधान द्वारा किये गये हैं, वह उस ग्राम का प्रधान नहीं है, इसकी जांच कराने में क्या हर्ज है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

वह पहले ग्राम सभा मूलकपुर का भाग था। १९६० के बाद वह खंडहर का भाग हो गया, इसलिये उसका पट्टा कर दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

ग्राम हारकटेरा, ग्राम सभा खंडहर का भाग है, इसलिये ग्राम सभा मूलकपुर के खिलाफ गलत पट्टा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही समाप्त होने पर की जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, अदालती कार्यवाही तो समाप्त हो गई।

श्री अध्यक्ष---

क्या अदालती कार्यवाही समाप्त हो गई, इसकी सूचना है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

जी नहीं।

*८—श्री श्रीराम तिवारी—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

मुजफ्फरनगर जिले में पुलों का निर्माण

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में मुजफ्फरनगर-शामली सड़क पर मोती झील के ऊपर तथा शामली लाख सड़क पर बड़ौत स्थान पर पुलों का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? और यह दोनों पुल कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री मंगलदेव विशारद—

(क) मोती झील के ऊपर पुल का निर्माण २३ जनवरी, १९६४ को आरम्भ हुआ था और ३० सितम्बर, १९६७ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

(ख) शामली-लाख सड़क पर बड़ौत स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

*१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुजफ्फरनगर-पानीपत के बीच जो कैराने में जमुना पर पुल का निर्माण हो रहा है वह पब्लिक के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद—

प्रश्न गत पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है परन्तु हरियाना प्रदेश की ओर से पुल के अप्रोच मार्ग का निर्माण वहां का सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है। वहां से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अप्रोच मार्ग का निर्माण सितम्बर, सन् १९६७ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। उसके उपरान्त यह पुल जनता के लिये खोला जा सकेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मोती झील का पुल जो सन् १९६४ से बन रहा है उसके बनने में इतना समय लगने का कारण क्या है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें अधिक विलम्ब नहीं हो रहा है, वह समय से बन जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न उनका यह था कि यह पुल सन् १९६४ से बन रहा है और अब १९६७ तक बनेगा, तो इतना बिलम्ब क्यों लग रहा है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसमें जरा-सा मिसप्रिंट हुआ है। मैंने (ख) में का बड़ौत के बारे में पूछा था, उसमें बड़ौत नहीं था। यह एक छोटीसी सड़क है और इस पर विभाग सन् ६४ से पुल बना रहा है, तो मैं सूचना दे कर यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दोनों पुल जो मंत्री जी के विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं

उन पर एक साल तक कोई काम नहीं हुआ और क्या इसी वजह से इनके पूरे होने में देरी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि इस विलम्ब की सूचना नहीं है, दूसरे का उत्तर है कि शामली सड़क पर किसी पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काबड़ौत स्थान पर जो पी० डब्लू० डी० द्वारा पुल का निर्माण हो रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद--

वह अगस्त, १९६७ तक पूर्ण हो जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो पुल जमुना नदी पर विभाग द्वारा सन् ६४ से बनाया जा रहा है और जो काफी बन भी चुका है क्या उसके संबंध में ब्लाक के प्रमुख और वहां के गांवों के कृषकों के आवेदन-पत्र आये हैं मंत्री जी और विभाग के पास और तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री रावत को भी मौका दिखाया गया था कि इस पुल के बनने से वहां की जमीनें कट गई हैं और आबादी को भी खतरा पैदा हो गया है ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मंगलदेव विशारद--

सूचना की आवश्यकता है ।

शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता बंद होना

*११--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष छात्र आन्दोलन के कारण जिन शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता रोक दी गई थी उसको दुबारा देना शुरू करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

दस प्रतिशत की कटौती, जिसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने दंडस्वरूप उन संस्थाओं पर लगाया था, को छोड़कर संबंधित शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता २८ मार्च, १९६७ को ही पुर्नस्थापित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गत छात्र आन्दोलन में कुल कितने स्कूल और कालेजों की सरकारी इमदाद बन्द की गई है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

ऐसी संस्थाये संख्या में १५ थीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ६ संस्थाओं को छोड़ दिया है और १० पर यह १० प्रतिशत की कटौती लगाई गई है तो वह क्या परिस्थिति थी कि जिससे १० में यह कटौती लगाई गई है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

श्रीमन्, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है । सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १० प्रतिशत की कटौती की गयी थी वह कब तक जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

वह तो दंड स्वरूप काटी गयी थी । यदि कोई नया प्रार्थना-पत्र आयेगा तो सरकार उस पर विचार करके फैसला लेगी ।

*१२-१३--श्री योगेश्वर प्रसाद--

[२ रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सोलजर्स बोर्ड, जिला शाहजहांपुर

*१४--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में ३ जून, १९६५ से लेकर २५ अप्रैल, १९६७ तक जिला सोलजर्स बोर्ड को कितनी रकम या अनुदान सरकार ने दिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

कुछ नहीं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी को जिला सोलजर्स बोर्ड का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था कि बिल्डिंग में सहायता की जाय ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

इसकी सूचना नहीं है ।

भावर किसान एसोसियेशन हल्द्वानी का आवेदन-पत्र

*१५--श्री रामदत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास या उनके विभाग के पास १३ मार्च, १९६७ को भावर किसान एसोसियेशन हल्द्वानी, जिला नैनीताल का प्रतिवेदन आया है ? यदि हां, तो उसमें किन प्रमुख बातों के विषय में हवाला दिया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इस प्रकार के किसी प्रतिवेदन का आना नहीं पाया जाता है ।

*१६--श्री रामदत्त (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री उपरोक्त सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता ।

राप्ती पर कोंडरीघाट पुल

*१७--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री रामदुलारे (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोड़री घाट राप्ती नदी का पुल कब से बनना प्रारम्भ हुआ, कितनी लागत लगी तथा कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न १४ श्री सुरेन्द्रविक्रम ने पूछा ।

श्री मंगलदेव विशारद--

कोड़री घाट राप्ती नदी पर पौन्टून पुल वर्षा ऋतु की समाप्ति पर १५ नवम्बर, १९६७ से बनाया जायगा। इस पुल के निर्माण हेतु सामग्री जुटाने पर अब तक लगभग १,३०,००० रु० व्यय हो चुका है।

बलरामपुर तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१८--श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित), श्री सुखदेव प्रसाद (अनुपस्थित) तथा सरदार बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में मार्च-अप्रैल, १९६७ में कितने ग्रामों में आग लगी और उससे कितनी हानि हुई तथा सरकार से कितना और क्या-क्या सहायतायें दी गईं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में मार्च-अप्रैल, ६७ में कुल ६२ ग्रामों में आग लगी जिसके कारण अनुमानतः ६,३६,७११ रु० की हानि हुई। पीड़ितों को १,४८६ रु० अहेतुक सहायता तथा ४,४८० रु० तकावी के रूप में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त ५ क्विंटल गेहूं तथा ४१ अदद कपड़ा वितरित किया गया।

शान्तिपुरी कालोनी में पहा नदी पर पुल की आवश्यकता

*१९--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल))--

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील किच्छा के अन्तर्गत शांतिपुरी कालोनी के बीच पहा नदी में पुल न होने के कारण आम जनता के आवागमन में भारी कठिनाइयां हैं ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

पुल न होने के कारण आवागमन में कुछ कठिनाई अवश्य है। परन्तु धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण इस समय संभव नहीं है।

श्री इंद्रलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुल को बनवाने के लिए उन्होंने धनाभाव का कारण बताते हुए इस समय असंभव बताया है, क्या उसकी रिपोर्ट मंगायी है कि कितनी लागत आयेगी ?

श्री मंगलदेव विशारद--

बिना सर्वेक्षण किये लागत की बात करना मुश्किल है।

श्री इन्द्रलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शांतिपुरी कालोनी के बीच में पुल न होने के कारण जो आवागमन में कठिनाई हो रही है, उसको दूर करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

कठिनाई तो वे स्वीकार करते हैं। आप आगे प्रश्न पूछिए।

श्री इन्द्र लाल--

श्रीमन्, वे कहते हैं कि कुछ कठिनाई अवश्य हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ही कठिनाई है या भारी कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो कह दिया है कि कुछ कठिनाई है। और प्रश्न कीजिये।

श्री इन्द्रलाल--

मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कठिनाई क्या है?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कोई प्रश्न नहीं है। आप भारी कठिनाई कहते हैं, वे कुछ कठिनाई कहते हैं। वे कठिनाई तो स्वीकार करते हैं।

श्री इन्द्र लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें किस प्रकार की कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने उत्तर में यह भी बता दिया है कि आवागमन की कठिनाई है।

कठिना नदी पर घमहा घाट का पुल बनाने की प्रार्थना

*२०--श्री दुर्गा प्रसाद (जिला खीरी) तथा श्री मन्नालाल--

क्या सरकार जिला खीरी लखीमपुर में कठिना नदी घमहा घाट (ममरी, पिपरिया, कप्तान रोड) पर पुल बनवाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण आरम्भ हो सकेगा?

श्री मंगल देव विशारद--

जी नहीं।

श्री राजराजेश्वर (जिला खीरी)--

इस नदी पर क्या कोई पुल तोड़ दिया गया है?

श्री मंगल देव विशारद--

मान्यवर, इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री राजराजेश्वर--

मैं मंत्री जी को जानकारी दे रहा हूं कि इसी नदी पर एक पुल यातायात के लिये बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया है, तो क्या यात्रियों को यातयात की सुविधा प्रदान की जायेगी?

श्री मंगल देव विशारद--

श्रीमन्, यदि माननीय सदस्य सूचित करने की कृपा करेंगे तो विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि मैंने सूचना दी है, उसके आधार पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री मंगल देव विशारद--

जी हां।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या मंत्री जी बरसात के मौसम में नाव का पुल या अस्थायी पुल बनवा देंगे ?

श्री मंगल देव विशारद---

श्रीमन्, यह संभव नहीं है।

श्री दुर्गा प्रसाद---

क्या पक्का पुल बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री मंगल देव विशारद---

अभी नहीं है।

विकास खंड कमालगंज से ग्राम सेविका का पत्र

*२१--श्री होरी लाल यादव---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ जुलाई, १९६६ के कोई प्रार्थना-पत्र या पत्र नं० २९९, दिनांक २८ जुलाई, १९६६, हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम सेविकाओं के मातृत्व अवकाश के काल का बकाया वेतन के संबंध में लिखा हुआ हरिजन कल्याण निदेशक को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी हां। वह पत्र श्रीमती सोमवती देवी, ग्राम सेविका, विकास खंड कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद के केवल मातृत्व अवकाश के संबंध में था और स्वीकार किया गया।

श्री होरी लाल यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र अवकाश का कब दिया गया था ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह जनवरी, १९६५ में दिया गया था।

श्री होरी लाल यादव---

जो प्रार्थना-पत्र जनवरी, १९६५ को दिया गया वह हरिजन कल्याण निदेशालय में कब भेजा गया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह २८ जुलाई, १९६६ को हरिजन कल्याण अधिकारी ने यहां पर भेजा था।

श्री होरीलाल यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र जो दिया गया, उसमें कितने दिन के धन की बकाया थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उस प्रार्थना-पत्र में कोई उल्लेख नहीं था वह केवल अवकाश के लिये था।

श्री अध्यक्ष---

अगर किसी माननीय सदस्य का प्रश्न है और वह खड़े हों और मैं उन्हें न देख पाऊं और अगला प्रश्न ले लूं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि दूसरा प्रश्न लेते हुए मुझे टोक दें यह संसदीय है और मैं इसका स्वागत करूंगा।

राजकीय पोलिटेक्निक, लखनऊ में छात्रावास

*२२—श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पोलीटेकनिक लखनऊ, जो शहर से लगभग छः मील दूर है, उसमें छात्रों एवं अध्यापकों के आवास और यातायात की क्या व्यवस्था है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

राजकीय पोलीटेकनिक, लखनऊ के छात्रों एवं अध्यापकों के यातायात निमित्त राजकीय परिवहन विभाग द्वारा प्रतिदिन साढ़े नौ बजे प्रातः एवं साढ़े चार बजे सायंकाल बस सर्विस की व्यवस्था है जो कैसरबाग से चिन्हट और चिन्हट से कैसरबाग तक चलती है। राजकीय पोलीटेकनिक में २५८ छात्रों के लिये आवास की व्यवस्था है। अध्यापकों के आवास के लिये राजकीय पोलीटेकनिक, लखनऊ में कोई इन्तजाम नहीं है।

श्री विश्वनाथ सिंह—

क्या सरकार शहर से दूरी का खयाल रख कर अध्यापकों के आवास की कोई व्यवस्था करने की कोई योजना बनायेगी ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

आवास निर्माण भारत सरकार की सहायता से होता है उस में ५० प्रतिशत भारत सरकार ऋण देती है। तीसरी योजना में इस का कोई प्रविधान नहीं था और चौथी योजना में भी नहीं है। इसलिये कहा नहीं जा सकता है। लिखा, पढ़ी भारत सरकार से चल रही है।

श्री विश्वनाथ सिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि जब कालेज में ६००-७०० विद्यार्थी हैं और केवल २५८ विद्यार्थियों की ही आवास व्यवस्था है तो शेष विद्यार्थियों की व्यवस्था की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

उस का उत्तर दे दिया कि केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की जा रही है, उन की सहायता से ही सम्भव है।

जालौन जिले में सड़कों का निर्माण

*२३—चौधरी शंकरसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्रिड फार्मूला के अनुसार जालौन जिले में कितने मील लम्बी सड़कें तृतीय पंचवर्षीय योजना में बननी थीं तथा कितने मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं ?

श्री मंगलदेव विशारद—

स्टार एन्ड ग्रिड फार्मूला के अनुसार जालौन जिले में २७० मील लम्बी पक्की सड़कें होनी चाहिये। तृतीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में इस जिले में १८० मील लम्बी पक्की सड़कें थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल मिलाकर ३१ मील लम्बी सड़कें इस जिले में बननी थीं। जिसमें २० मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

चौधरी शंकर सिंह—

पहली चीज तो यह है कि मेरे पास जो जवाब आया है उस में लिखा है कि १८० मील लम्बी पक्की सड़क बन चुकी थी और मंत्री जी ने जवाब दिया उस में ११८ मील कहा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी फिगर सही है ?

श्री अध्यक्ष--

१८० मेरे पास भी आया है । वही सही है ।

चौधरी शंकर सिंह--

दूसरी चीज यह बतायें कि २० मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं और ३१ मील बननी थीं, जिस का मतलब यह है कि ११ मील बननी रह गईं, तो मैं जानना चाहता हूं कि २० मील पक्की सड़कें कौन सी बनीं और ११ मील जो बची हैं वह कब पूरी हो जायंगी ?

श्री मंगलदेव विशारद--

जालौन-कौंच सड़क, कुल लम्बाई जिस का प्राविधान किया गया १,२·२ फर्लांग, इसमें से १० मील बन चुकी है और २·२ फर्लांग बाकी है जिस में मिट्टी का काम हो रहा है । आशा है इस वर्ष कार्य समाप्त हो जावेगा ।

दूसरी बंगरा-माधोगढ़-रामपुरा, प्राविधान ४.५ फर्लांग का और यह कार्य पूरा हो चुका है ।

तीसरी सड़क कोंच नदी गांव, कुल लम्बाई १.५ फर्लांग, यह भी पूरी हो चुकी है ।

चौथी राजपुरा-रामपुरा-जगम्मनपुरा सड़क ७ मील बननी थी जो पूरी नहीं हुई। ६ मील लम्बाई में सोलिंग का पत्थर कुट गया है। इन्टर कोट का पत्थर एकत्र हो गया है । आशा है इस वर्ष कार्य पूरा हो जावेगा । पांचवीं है, बंगरा-गोपालपुरा, जो ५.४ फर्लांग में से ४.६ फर्लांग बन चुकी है और १.६ फर्लांग बनना शेष है । आशा है कि शेष कार्य १९६९ तक समाप्त होगा ।

चौधरी शंकर सिंह--

११ मील जो सड़क बननी थी वह कौन सी है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

मैंने बताया कि ऊपर बतायी गई सड़कों की शेष लम्बाई जो बनने को बाकी है,कुल मिला कर ११ मील हो जाती है, अर्थात् २.२ फर्लांग, ७ मील, और १.६ फर्लांग, योग ११ मील ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष समाप्त हो चुका है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ये सड़कें ३१ मील की खत्म हो जानी चाहियें थीं लेकिन ११ मील शेष है तो ऐसा क्यों है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

सरकार आर्थिक स्थिति तथा साधनों के हिसाब से यह कार्य करती है । कारण की सूचना बाद में मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

गुड़वा गांव में हरिजन कूप

*२४--श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के मानिकपुर नगर क्षेत्र के गुड़वा (कालान) में हरिजनों के लिये पेयजल हेतु कुआं खुदवाने का जो कार्य मार्च, १९६७ के द्वितीय सप्ताह में शुरू किया गया उसे बाद में क्यों बन्द कर दिया गया ? बन्द किये जाने का कारण क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस कुयें के निर्माण से विभाग सम्बन्धित नहीं है ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मार्च में बांदा के हरिजन कल्याण विभाग में कुआं बनाने की व्यवस्था थी लेकिन बाद में वह रुपया तृतीय पंच वर्षीय योजना को दे दिया गया और अप्रैल में जलकूप की कोई व्यवस्था न होने पर भी वहां कोई सहायता नहीं दी जा सकी ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

माननीय सदस्य को मालूम है कि यह कुवां टाउन एरिया के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । टाउन एरिया को वह विभाग कोई अनुदान नहीं देता । वह देहाती एरिया के लिये होता है । जो सामग्री उपलब्ध है उसमें बतलाया गया है कि उन लोगों ने स्वयं कुवां खोदा और स्वयंमेव बन्द कर दिया ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

हरिजनों ने अपने पीने के पानी के लिये कुवां खोदा और अब उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वह उसे वह पक्का बना सकें तो क्या समाज कल्याण मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पेयजल की कमी के कारण हरिजनों को सुविधा देने के लिये कुछ अनुदान के रूप में रुपया देने का प्रबन्ध कर दें ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैंने निवेदन किया काननी तौर से हम असमर्थ हैं । इसलिये ऐसा कर सकने में भी असमर्थ हैं ।

नकटी नाला पुल का निर्माण

*२५—सरदार बलदेव सिंह (अनुपस्थित), श्री सुखदेव प्रसाद, श्री राम दुलारे तथा श्री राम देव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद डिवीजन के अन्तर्गत नकटी नाला बुज नं० २ तुलसीपुर, जिला गोंडा का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ, अब तक कितना भाग हो चुका तथा कब पूर्ण हो जावेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जिला गोंडा में नकटी नाला पुल का निर्माण नवम्बर, १९६६ में प्रारम्भ हुआ था । मई, १९६७ तक निर्माण कार्य की प्रगति १९ प्रतिशत है । दिसम्बर, १९६८ तक इस पुल के बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

इलाहाबाद में शिक्षकों द्वारा बाल गणना कार्य

*२६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि नगरमहापालिका इलाहाबाद की अध्यापकों से बालक तथा बालिका गणना जबरदस्ती कराने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को सुचारु रूप से कराने के लिये नई नियुक्ति (अस्थायी ही) करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जहां तक बालक तथा बालिका गणना का काम है यह काम नियम के अनुसार वहां की नगर महापालिका के सुपरिंटेन्डेन्ट (एजूकेशन) का है, जिनको हाजिरी अधिकारी कहते हैं और जहां तक शिक्षकों का सवाल है यह सचमुच उनके कर्त्तव्य से बाहर है, लेकिन प्रथा यह रही है क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है इसलिये अध्यापकों की भी मदद ली जाय और ऐसा होता भी रहा है लेकिन अगर इसके लिये उनको कोई शुल्क नहीं मिलता रहा तो सचमुच यह नियम के विरुद्ध था और अब जब सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है तो इस पूरे मसले पर गौर किया जा रहा है और यथाशीघ्र इसका निस्तारण हो जायगा ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्या इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक महोदय ने शासन के पास इस तरह का कोई पत्र लिखा है कि इस विषय पर वह स्पष्ट रूप से शासन की राय जानना चाहते हैं कि यह काम अध्यापकों से लिया जाय या नहीं ? और क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि इलाहाबाद नगर महापालिका शिक्षक संघ ने बार-बार इसका विरोध किया और विरोध कर के अध्यापकों ने पिछले वर्ष भी और इस साल भी बाल गणना के कार्य को बन्द रखा फिर भी उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

वैसे शिक्षा मंत्री जी ने अपना व्यापक उत्तर दे दिया है फिर भी वह इसको और साफ कर दें ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि यह शिकायत रही है और महानगरपालिका के शिक्षक संघ ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि कानूनन यह उनका कर्त्तव्य नहीं है । सारी बातों को ध्यान में रख कर ही मैंने यह उत्तर दिया था ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं किन्तु सही बात यह है कि दिसम्बर से लेकर १६ मई तक हमारे अध्यापक जो परीक्षा का समय होता है इन कार्यों में फंसे रहते हैं और ३–३, ४–४ रजिस्टर उनको तैयार करने पड़ते हैं । तो मैं उनसे इतना ही जानना चाहता हूं कि वह जो नीति निर्धारित करें उसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता को और अध्यापक मंडल के मंत्री को भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैंने खुले रूप से नाथूरामजी शिक्षक के प्रति आभार प्रकट किया है और श्रीमान् जी की जो आज्ञा होगी उसका पालन किया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में जो यह कहा है कि पहले इस प्रकार का एक नियम चलता था कि अध्यापकों से बालक और बालिकाओं की गणना करायी जाती थी, तो क्या सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का सर्कुलर था जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही होती थी और उसको आपने रद्द कर दिया है या केवल माननीय शिक्षक जी के कहने के आधार पर यह उत्तर दिया है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो सामग्री प्रस्तुत की गयी थी उसका मैंने अध्ययन किया और जो नियम थे उनको मैंने देखा और जिस विशेष राजाज्ञा का आप जिक्र कर रहे हैं वह मूलतः गैरकानूनी तो नहीं कही जा सकती लेकिन उसका कुछ अंश जरूर उसमें आ गया है जिससे यह आभास मिलता है कि टीचर्स से . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रश्न यह है कि जो अभी आपने कहा कि पहले इन अध्यापकों से कार्य लिया जाता था और उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता था तो माननीय कृष्णानन्दराय जी ने यह पूछा कि जो पहले यह प्रथा थी वह क्या किसी राजाज्ञा के आधार पर थी ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

एक राजाज्ञा १९६० की है जिससे ऐसा आभास मिलता था। वह मूलतः मैंने निवेदन किया कि गैरकानूनी नहीं है, लेकिन परम्परा से अध्यापकों से यह काम लिया जाता रहा है इसलिये जो बालकों की गणना करते हैं वही बालिकाओं की भी कर लें और पारिश्रमिक दे दिया जाय। इसमें गलतफहमी पैदा हो जाती है। इसीलिये सारी समस्या पर मैंने विचार करने का वचन दिया है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)--

अन्यत्र भी प्रदेश में अध्यापकों से इसी प्रकार का जबरदस्ती कार्य लिया जाता है। तो क्या इसमें भी कोई नीति परिवर्तन की बात होगी ?

श्री अध्यक्ष--

नीति किसी एक जगह के लिये थोड़े ही बनती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है उसका दूसरा भाग यह है कि "यदि हां, तो इस कार्य को सुचारु रूप से कराने के लिये नई नियुक्ति (अस्थायी हो) करने की व्यवस्था करेंगे ?" मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और यह काम काफी है इसलिये जल्दी नियुक्ति करेगी जिससे अध्यापक इससे छुट्टी पा सकें ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

समस्या के पूरे पहलू पर विचार करके ही कोई नीति निर्धारित की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

योजना सं० ९ के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल

१--श्री श्रीराम तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में स्कीम न० ९ के अन्तर्गत कितने जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पूरे या कुछ स्टाफ को राजकीय वेतन-क्रम से वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री रामप्रकाश)--

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की योजना संख्या ९ के अन्तर्गत १०२ जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं। इनमें से किसी भी विद्यालय के स्टाफ के लिये राजकीय विद्यालयों के स्टाफ का वेतनक्रम स्वीकृत नहीं है। इन स्कूलों के स्टाफ को वही वेतनक्रम मिलता है जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के स्टाफ के लिये स्वीकृत है।

२--श्री श्रीराम तिवारी--

क्या इस स्कीम के अन्तर्गत चलने वाले उन सभी विद्यालयों के प्रबन्धकों को सरकार निदेश देने की कृपा करेगी कि वह अपने यहां के उस स्टाफ को, जिसको उनकी योग्यतानुसार, राजकीय वेतन-क्रम से वेतन नहीं दिया गया है, नियुक्ति की तिथि से जो भी एरियर होता हो वह तुरन्त दे दें ?

श्री रामप्रकाश--

प्रश्न नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कटहरा ग्राम में अग्निपीड़ितों को सहायता

३—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया के कटहरा ग्राम के अन्तर्गत दिनांक १६ अप्रैल, १९६७ को दिन के १२ बजे खलिहान में भयंकर आग लग जाने के कारण अनुमानित कितने धन, जन एवं अन्य सम्पत्ति की क्षति हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक १६-४-६७ को तहसील हंडिया के कटहरा ग्राम में खलिहान में आग लग जाने के फलस्वरूप अनुमानित १९,५१९ रु० का धन व सम्पत्ति की क्षति हुई। जीव हानि नहीं हुई।

४—श्री अठई राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उपर्युक्त अग्नि कांड से पीड़ित लोगों को सरकार क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को १०० रु० की अहेतुक सहायता और ७०० रु० की संकट कालीन तकावी दी गयी तथा बच्चों को वस्त्र बांटे गये।

रामजानकी मार्ग, अयोध्या तथा गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण

५—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि अयोध्या से पूरब की ओर राम जानकी मार्ग बस्ती, गोरखपुर होकर देवरिया जिले की सीमा तक है ? यदि हां, तो वह मार्ग कितना लम्बा है और उस पर कितनी दूर तक सरकार ने देख-रेख का काम ले लिया है और कितनी दूर तक किस-किस जिले में सड़क बनाना बाकी है ?

श्री मंगल देव विशारद—

राम जानकी मार्ग अयोध्या छावनी, कलवारी, धनघटा, सीकरीगंज, बड़हलगंज, बरहज लार और घुटनीघाट जाने वाले मार्ग का स्थानीय नाम है। इस मार्ग की कुल लम्बाई १३१ मील ३ फ० है। इसमें से ६७ मील ५ फ० सरकार के आधीन है और शेष मील कच्चे हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

	मील	फर्लांग
जिला बस्ती में	४७	६
जिला गोरखपुर में	१३	०
जिला देवरिया में	३	०
	६३	६

६—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया गोरखपुर जिले में (१) कौड़ी राम बांस गांव, (२) बरहलगंज पटनाघाट, (३) मदरिया से हाटा होकर असवनपार, (४) अरुवा से बेलघाट, (५) बरहलगंज से सेमराघाट सड़कों को बनाने के लिये शीघ्र प्रयास करेगी ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगल देव विशारद---

प्रस्तावित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं हैं। अतः इन का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है।

७-८---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[३रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रश्नोत्तर के परिवर्तन पर आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, अभी प्रयाग नगरमहापालिका के बालक तथा बालिकाओं की गणना के संबंध में जो प्रश्न था उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि आपको और शिक्षक जी को भेज चुके थे, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उत्तर भेजने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षक जी से कुछ आपस में बातचीत हुई और उस उत्तर को आखिरी क्षण पर बदल दिया। माननीय मंत्री ने शिक्षक जी को बधाई दे दिया और शिक्षक जी ने उनको बधाई दे दिया। क्या यह स्वस्थ प्रणाली है कि विरोधी दल की तरफ से प्रश्न आये तो यह कह कर टाल दिया जाय कि जांच हो रही है और जब सरकारी दल की तरफ से उत्तर आये तो विभाग द्वारा उत्तर के होने पर एक दूसरे से बधाई ले लें और हमको पता भी न चले कि वास्तविकता क्या है?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि बिलकुल संसदीय है। मंत्री को पूर्ण अधिकार है कि अपने उत्तर को संशोधित कर दें। इस सदन में यहां तक होता रहा है कि उत्तर दिये जाने के बाद भी मंत्रियों ने संशोधन किया है अपने उत्तर में, यहां उत्तर देने से पहले संशोधन किया है। अगर किसी मंत्री ने किसी प्रश्नकर्ता की सूचना पर अपने उत्तर को संशोधित कर दिया तो मैं इसको सर्वथा सराहनीय समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह मंत्रियों को करना ही चाहिये अगर सूचना मिले तो दोबारा जांच करें और उस सूचना के आधार पर यत्न करें कि इस सदन में पूरी जानकारी आये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय कृष्णानन्द राय का यह प्रश्न नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने यह अपना उत्तर संशोधित कर दिया, क्योंकि वह पुराने सदस्य हैं उनको मालूम है। उनका प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने शिक्षक जी को बधाई क्यों दिया? इसका आप क्या जवाब देते हैं?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे अवसर आते हैं। मंत्री सदस्यों को और सदस्य मंत्रियों को बधाई दें तो अच्छा ही है।

श्री बदन सिंह द्वारा विधान मण्डल कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना दे दूं। माननीय बदन सिंह जी एटा के सदस्य हैं, विधान सभा के, उन्होंने एक सूचना भेजी है, "माननीय अध्यक्ष विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं रिपब्लिकन पार्टी से विधान सभा का सदस्य चुन कर आया हूं। अब मैं विधान मंडल कांग्रेस दल का सदस्य हो गया हूं। सूचनार्थ निवेदन है।"

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्य को देखना भी चाहता था। सदन के सम्मुख खड़े हो जाते।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें वह विषय समाप्त हो चुका।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या १६---खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३---राज्य-व्यापार की योजनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब मैं १९६७-६८ के आयव्ययक को ले रहा हूं।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)---

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६---खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०४,२३,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३---राज्य व्यापार की योजनाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,८०,६३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं इस खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझता हूं। मेरा अपना अभिमत है कि प्रतिरक्षा और आजादी की रक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या खाद्य समस्या है। यह विषय राजनैतिक और दलगत भावनाओं के ऊपर है। इसलिये मैं इस बात की पुरजोर अपील करूंगा पूरे सदन से कि माननीय सदस्य इसी दृष्टि से इसको सोचें, सुनें और बोलें तथा इसी दृष्टि से इसका हल निकालें। मान्यवर, हमारा लक्ष्य है---स्वावलम्बन---राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर भी। हम यह नहीं चाहते कि हम हिन्दुस्तान भर में भिक्षा की झोली लिये भिखारी के रूप में दर-दर घूमते फिरें और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार विश्व रंगमंच पर अन्तर्राष्ट्रीय भिखारी के रूप में भिक्षा का पात्र लेकर घूमती फिरे। मान्यवर, इसके लिये आवश्यक था और अब भी है कि हम प्रभावकारी और क्रान्तिकारी ढंग से भूमि सुधार करें जिससे हमारी जमीन का वह हिस्सा जो उपयोग से बाहर पड़ा है उनका उपयोग किया जा सके। जो कानून इसके लिये सीलिंग-ऐक्ट के अनुसार बनाये गये थे वे प्रभावशाली नहीं बन सके और जमीन चोरों ने इस कानून के होते हुये भी बहुत सी जमीन मनमाने ढंग से दबा रखी है। इसलिये कानून में परिवर्तन करके जमीन चोरों से जमीन छीन कर उसे हमें भूमिहीनों को देना होगा। इसके अतिरिक्त जैसा पहले बताया गया है कि बंजर और ऊसर जो जमीन पड़ी हुई है उसको तोड़कर भूमिहीनों में उसका भी समुचित बटवारा किया जायगा। इसके साथ-साथ हमें सिंचाई के साधनों की ओर भी आगे बढ़ना होगा जिससे हम खाद्यान्न समस्या को हल कर सकते हैं। बिना कृषि योग्य भूमि बढ़ाये और सिंचाई का रकबा बढ़ाये बिना हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और उत्पादन वृद्धि से ही हम खाद्य समस्या का हल कर पाएंगे।

[श्री झारखंडे राय]

इसलिये मैं चाहूंगा कि देश के कोने-कोने की कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सरकारें एक जुट होकर इस मामले में प्रतिस्पर्धा करें, इस दिशा में समस्या को शीघ्र हल करते हुये और केन्द्रीय सरकार का भी कर्तव्य है कि वह इस बात का अध्ययन करे कि कौन सी सरकार इस समस्या के समाधान के लिये क्या-क्या कदम उठा उठा रही है और इसमें वह कितना सफल हो रही है।

हमारी नीति खाद्य समस्या के समाधान के लिये ४ प्रकार की होनी चाहिये। प्रदेश और देश में अन्न का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ाना होगा कि हमारे लक्ष्य पूरे हो जाएं कि हम किसी भी देश के मोहताज न रह जाएं, और हमारे देश का गल्ला जो तस्कर व्यापार द्वारा बाहर जाता है उसको रोका जा सके---हमारे देश और प्रदेश में चोरी छिपे, जिन अनाजों पर बाहर जाने में रोक लगी है उन अनाजों को काफी बड़ी मात्रा में सीमान्त प्रदेशों के रास्ते विदेशों को भेजा जाता रहा है, इसकी रोक थाम सफलतापूर्वक हो सके, जमाखोरी की प्रवृत्ति को समुचित कानूनों और सामाजिक भावनाओं द्वारा सफलतापूर्वक समाप्त किया जाए और चौथा सुव्यवस्था के साथ वितरण व्यवस्था की जाए। इन चार तरीकों से हम अपने प्रदेश में जो अन्न पैदा होता है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और बाहर जाने वाले अन्न को भी रोक सकते हैं।

बढ़ते हुये दामों की चर्चा जो बजट में की गयी है उसकी भी सफलतापूर्वक रोकथाम की जाएगी। लेकिन हमें याद रहे यह पूंजीवादी व्यवस्था का अभिशाप है, इस मूल प्रश्न को हमें नहीं भूलना चाहिये। मूल्य वृद्धि की समस्या पुरे देश की समस्या है, यह देश के अन्य प्रदेशों में भी ज्यादा उग्र रूप में बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। इसलिये उसका अपना महत्व है इस समस्या का समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी के साथ सभी प्रान्तों के सहयोग के आधार पर आपस में आदान-प्रदान करते हुये संचालित कर सकते हैं।

मान्यवर, अब मैं अपने प्रदेश की स्थिति की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में तीन साल से सूखा पड़ रहा है। पिछला सूखा जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है वह सम्भवतः पूरी शताब्दी में अभूतपूर्व रहा है। मुझे याद है कि पिछले साल जब ओला वृष्टि हुई थी और मैं अपने क्षेत्र के एक गांव घनौली गया था तो वहां ९० वर्ष के एक व्यक्ति ने जिन्हें बहुत कम दिखाई पड़ता था, मुझसे कहा था बाबू मैं १० साल की उम्र से खेतीबारी कर रहा हूं, ९७ वर्ष की मेरी उम्र आयी न मैंने ऐसी फसल देखी और न ऐसा विनाश देखा। यह बिल्कुल सत्य बात है और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। तीन साल के सूखे ने हमारी खाद्य स्थिति को अत्यन्त जटिल बना दिया है यह वस्तु स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

श्री झारखंडे राय---

मान्यवर, अगर हम पिछले चार वर्षों के उत्पादन को देखें तो पता चलेगा कि ६३-६४ में ११६ लाख टन, ६४-६५ में १५० लाख टन, ६५-६६ में १२९ लाख टन और ६६-६७ में (इस साल का आंकड़ा नहीं है लेकिन अनुमान है कि) ११६ लाख टन से ज्यादा नहीं होगा। इस साल की फसल कुल मिला कर केवल गेहूं नहीं पिछले दस सालों में ६३-६४ को छोड़कर सबसे कम रही है। हमारे प्रदेश की आबादी हम सभी जानते हैं कि इस समय ८४८ और ८४९ लाख के बीच में है। हमें कुल खाद्यान्न की औसत आवश्यकता १४२ लाख टन वार्षिक के करीब होती है जिसमें बीज, पशुओं का चारा आदि शामिल है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

जरा एक स्पष्टीकरण करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता। अगर वह आपको सुविधा देना चाहें तो बैठ सकते हैं।

श्री झारखंडे राय—

अब इस १४२ लाख टन की सम्पूर्ति हमें करनी है। पिछले ५ वर्षों में औसत पैदावार की सीलिंग १४२ लाख टन रही, लेकिन इसमें ९ लाख टन की कमी है। १३३ लाख टन औसत प्रतिवर्ष उत्पादन है तो अब १२ लाख टन की कमी ऐसी है जिसकी पूर्ति हमें कहीं न कहीं से करना ही है। हम इस स्थिति का मुकाबला कैसे करें? यह हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और सभी माननीय सदस्यों को इस प्रश्न को सबसे बड़ा प्रश्न समझना चाहिये। हम दो तरह से इसका मुकाबिला करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करना पड़ेगा। एक तो जो गल्ला हमें केन्द्र से प्राप्त होता है, दूसरे जो खुद सूबे की सरकार खाद्यान्न खरीदती है और अपना बफर स्टाक बना कर व्यवस्था करती है। इस विषय में अगर थोड़ा विस्तार से देखें तो पता चलता है कि ६४–६५ में १०,३४,२१० टन केन्द्र से मिला, हमने १८,८३३७ टन खरीदा। ६५–६६ में ७,२०,६९५ टन केन्द्र से मिला, १,९५,५४१ टन खरीदा, ६६–६७ में ६,८९,७५२ टन केन्द्र से मिला और १,१०,९६७ टन हमने खरीदा। इस साल में ३१ मई तक हमें २,०९,५७३ टन हमें सहायता केन्द्र से मिली और हमने ५,३०,०५९ टन खरीदा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जो आपने ६४–६५ के ये फिगर दिये हैं क्या वे साल भर के हैं?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। हमारे पास गोदामों में जो इस समय स्टाक है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हम अगर बहुत विस्तार में न जायं तो गेहूं, चावल, आटा और रबी खरीफ का मोटा अनाज सब को मिला कर हमारे प्रदेश के भंडारों में इस समय बाहर से आया हुआ अन्न ८७,६८८ टन कुल है। प्रदेश में खरीदा गया अनाज १,४९,३५८ टन है। अब यह कुल मिला कर २,३७,०४६ टन कुल अनाज हमारे भंडारों में इस समय है।

अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में बाहर जाने वाले अन्न की रोकथाम के लिये भी हमको कारगर उपाय करने पड़े हैं। हमें इस बात का बड़ा खयाल था कि अगर हम अपने प्रदेश से बाहर जाने वाला तस्करी व्यापार की रोकथाम कर लें तो कुछ स्थिति सुधर सकती है। इसलिये प्रदेश के बार्डर पर हमने ८७ चेक पोस्ट कायम की हैं जो पहले इतनी नहीं थीं। उसको विस्तार से देखा जाय तो मालूम होगा कि खीरी में ६, गाजीपुर में ४, बहराइच में ६ पीलीभीत में ३, इलाहाबाद में ३, बलिया में ९ देवरिया में ५, गोंडा में २, बस्ती में ६, गोरखपुर में ८ मिर्जापुर में ३, हमीरपुर में ५, बांदा में ८, नैनताल में ६, वाराणसी में २, सहारनपुर में १, मुजफ्फरनगर में १, आगरा में ३, मेरठ में २, और मथुरा में ४। ये चेक पोस्ट कायम करके अपने इस तस्कर व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास किया है और हमको इसमें कुछ उपलब्धि भी हुई है जिसके फलस्वरूप कुछ गल्ला पकड़ा गया है और कुछ आदमी भी पकड़े गये हैं इसमें कुल २१७ आदमी गिरफ्तार हुये हैं जो पिछले दो महीने के अन्दर हुये हैं जो सरकारी कानून का उल्लंघन करके इस तस्करी व्यापार में लगे हुये थे। इन चीजों को प्रभावी बनाने के लिये हर जिले में एक विशेष जीप दी गई है जिससे उनकी एफिटिविटी बढ़ सके। इस पूरे काम में ८८ सब इन्सपेक्टर, ८९ हेड कांस्टेबिल और लगभग ६०० कांस्टेबिल लगे हुये हैं वहां पर मोबाइल स्क्वेड भी बनाये गये हैं जो तुरन्त चेक कर सके। अधिकारियों को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया है कि वह जा कर इन चेक पोस्ट को चेक करें और वह इन चेक पोस्ट

[श्री झारखंडेराय]

की जांच पड़ताल करते हैं इन चेक पोस्ट में खास कर उन एरिया में जो रेवाइन्स में है या बीहड़ इलाकों में हैं जहा पर ऊंट क जरिये या खच्चरों के जरिये से हमारे प्रदेश से बाहर जाता रहा है उनके देखभाल के लिये इस बात की व्यवस्था की गई है कि वहा पर २ चेकपोस्ट बीच मे हों ताकि एसी चीजें हमारे प्रदेश के बाहर न जा सके। जितना भी सम्भव था इस बात का प्रयास किया गया है कि जो खद्यान है वह किसी प्रकार से बाहर न जाने पाये। इसमे कुछ हद तक हमको सफलता भी मिली है

मान्यवर, इस विभाग को रिआर्गनाइज करने का भी प्रयत्न किया गया है। सभी सदस्यों को मालूम है कि खाद्य विभाग अलग से उतना संगठित विभाग नहीं था जैसा कि प्रदेश के अन्य विभाग सुसंगठित हैं। सचिवालय स्तर पर इस सम्बन्ध में सभी काम हुआ करते थे। सचिव महोदय जो बड़े बड़े विभागों के होते हैं वे ही इस खाद्य विभाग के काम की भी देखभाल करते थे। हमने इस बात को महसूस किया और इसके महत्व को देखते हुये और देश और प्रदेश में जिस तरह से खाद्य समस्या भीषण होती जा रही है उसको देखते हुये हमने इस विभाग के लिय एक अलग से सचिव नियुक्त किया है जो पूरे समय इसी विभाग के काम की देखरेख करेगा। इस विभाग के संचालक के रूप में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है जो इसके पहले कभी इस विभाग में नहीं था। जो अनुपयुक्त लोग पाये गये हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हुई है और ६ गजेटेड अफसरों की नौकरी इसीलिये खत्म की गयी है कि वे सरकारी सेवा के उपयुक्त नहीं पाये गये और मार्केटिंग स्टाफ में भी बहुत से लोगों को सर्विसेज से हटा दिया गया है, बहुतों का ट्रांसफर किया गया है, बहुत से लोगों को सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया गया है और हमने इस बात की पूरी कोशिश की कि इस विभाग में जो गन्दगी आ गयी थी, जैसे चारो तरफ से हवा बन्द सी पड़ी हो और घुटन मालूम होती हो, हम ने इस प्रयास द्वारा कोशिश की है कि इस विभाग में कुछ सफाई आये और कुछ शुद्ध और नयी वायु का इसमें संचार हो।

श्री अध्यक्ष—

आप गालिबन साढ़े १२ बजे तक बोलेंगे?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। चीनी की चर्चा भी यहां हुई। जो कटौती के प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किये गये ह उनमें विशेष कर चन्द्रबली सिंह जी ने चीनी की चर्चा की है। चीनी के बारे में आप की आज्ञा से मैं यह कहूंगा कि यह सही बात है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। चीनी २८ हजार टन हम को मार्च तक मिलती रही है। उसके बाद वह कोटा काट कर २० हजार टन कर दिया गया। मई के महीने में वह १७ हजार ७०० टन हुआ और इस समय जून में हमें कुल १५,७१२ टन ही चीनी मिल पायी है। इसकी सप्लाई में बराबर कटौती होती जा रही है और लगभग आधा कोटा हमारा पिछले ३ महीनों में कटा है। ऐसी स्थिति में चीनी के वितरण में भी हम को हर जगह कटौती करनी पड़ी है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। प्रति व्यक्ति हम को चीनी कम करनी पड़ी है और शहरी क्षेत्रों में भी एक किलो के स्थान पर ८०० ग्राम चीनी राशन में की गयी है और उसी हिसाब से हमारी जो बेकरीज हैं जो हलवाई हैं अथवा दूसरी चीनी की चीजें बनाने वाले लोग हैं उनका कोटा भी कम किया गया है। लेकिन मैं यहां आप के माध्यम से एलान करना चाहता हूं कि चूंकि परचेजिंग सेंटरों पर जो चीनी हम ने डाइवर्ट की थी वह फिलहाल ३० जून के बाद बेची जानी थी इसलिये जो चीनी का छोटा काम काज करने वाले लोग हैं जैसे लखनऊ रेवड़ी के लिये मशहूर है अथवा बताशे या मिश्री बनाने वाले जो लोग हैं और जिसके सहारे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, इस बीच उन की चीनी हम को बन्द करनी पड़ी थी। अब हमने यह तय किया है कि इस जुलाई से हम उनको कुछ न कुछ देंगे ताकि उनका जीवन यापन हो सके।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने चूंकि चीनी का कोटा केन्द्र से आधा हो गया इसलिये उसमें कटौती कर दी, लेकिन जो हजारों टन यहां खांडसारी पड़ी हुई है उसे आप क्यों प्रदेश के बाहर चले जाने देते हैं? क्या इसके लिये कोई पोलिटिकल दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है?

श्री झारखंडेराय---

तो मैं बता रहा था कि जो व्यवसायी छोटा काम कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे उन को भी चीनी देने का फैसला हम ने किया है। हलवाइयों के कोटे में भी हम को कटौती करनी पड़ी है औरउन को उन के कोटे का ५० प्रतिशत तक दिया जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से २५ फीसदी से अधिक उनको नहीं मिल पाया है। इसमें कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी करने का हम विचार कर रहे हैं।

जिस बात की चर्चा अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने की, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि खांडसारी हमारे यहां अधिक पैदा होती है, लेकिन खांडसारी के ऊपर सरकार का बिल्कुल नियन्त्रण नहीं है। ढाई महीने पहले भी जो सरकार थी उसका भी कोई नियन्त्रण इस पर नहीं था। बाहर जाने के ऊपर इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन तस्करी द्वारा बहुत सी चीनी बाहर दूसरे प्रान्तों में जाती रहती है, ऐसी सूचना मिलती रहती है और उसी की रोकथाम करने के लिए, खाद्यान्न सम्बन्धी तस्कर व्यापार को रोकने के लिए चेक पोस्टों की स्थापना की गयी है और उसमें काफी कामयाबी भी मिली है। जहां तक पोलिटिकल प्रेशर का बात कही गयी, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीमन्, हमने पहले सामान्य विवाद के मौके पर कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि हम कोई खुद मुख्तार रियासत नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार की मातहती में ही राज्य सरकारें हैं और उन्हीं में हमारी राज्य सरकार भी है। भाई चारे के अलावा उनके आदेश का भी हमें पालन करना पड़ता है। आदेश के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी सूबों के साथ भी हमें भाई चारे का व्यवहार करना पड़ता है। जैसे पंजाब से हमें गेहूं या जौ लेना हो तो अगर पंजाब सरकार हमसे चीनी की मांग करे तो उस पर भी हमें विचार करना होता है। उसी दृष्टिकोण से दिल्ली जो एक कास्मोपोलिटन शहर है, जहां कोई विशेष अन्न पैदा नहीं होता, इससे हम सभी लोग परिचित हैं, तो दिल्ली सरकार की मांग पर राज्य सरकार ने उसे २ हजार टन चीनी के लिए परिमिट देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से हिमांचल प्रदेश जहां गैर कांग्रेसी सरकार नहीं है, बल्कि कांग्रेसी सरकार है, वहां के मन्त्री के आग्रह पर वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए कि वहां टूरिज्म का सेन्टर है, जहां देश और विदेश के अन्य भागों से लोग आते-जाते हैं, और यह उनके राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था, इसलिए उनको भी ढाई सौ टन चीनी देने का विचार किया गया है। इसलिए इसमें पोलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है बल्कि यह आपस के भाई चारे का प्रश्न है।

श्री कृष्णानन्दराय---

खांडसारी के बारे में कुछ सफाई कर दें कि उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? इसको सीज करके उसका बटवारा करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? क्या इसके लिए जनसंघ का दबाव है?

श्री झारखंडेराय---

मान्यवर, मुझे नहीं मालूम कि ६ अप्रैल के पहले किसका दबाव था, लेकिन अभी तो किसी का दबाव नहीं है। खांडसारी के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाले साल में कुछ और रोकथाम करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वे तर्क का जवाब दे रहे हैं, आप लोग जनरल कमेंटरी न करें।

श्री झारखंडेराय--

इस सम्बन्ध में यह भी सूचना दे दूं, जैसा कि भारत सरकार ने भी इशारा किया है कि बहुत सम्भव है, आने वाले साल में चीनी की स्थिति और भी खराब हो जाय क्योंकि इस साल गन्ने की खेती पिछले साल से और भी कम हो रही है। इसलिए खांडसारी के ऊपर कोई न कोई रोकथाम करनी पड़ेगी। और कोई रास्ता नहीं है।

मान्यवर, आपसे मैं वितरण व्यवस्था के बारे में भी कुछ निवेदन कर दूं। उसके लिए एक तरीका पहले से चला आ रहा है। हमारे प्रदेश में १० हजार से अधिक दूकानें सरकार की ओर से सस्ते गल्ले का वितरण करने के लिए खुली हुई हैं जिनके जरिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न का वितरण विभिन्न प्रकार से होता है। इन दूकानों के बारे में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें बहुत आती रहती हैं और वे बहुत अंश में सही हैं। उसके बारे में हम लोगों ने एक उपाय सोचा है और ४ स्तर पर खाद्य समितियां बनाने का फैसला किया है। उसके आदेश जा चुके हैं, बहुत सी जगहों पर समितियां बन भी चुकी हैं और बहुत सी जगहों पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। एक तो जिले के पैमाने पर, एक ब्लाक के पैमाने पर, एक उन शहरों में जहां तक एक लाख से ऊपर आबादी रहती है, और फिर १०-११ दूकानों के ग्रुप के पैमाने पर। इससे कुछ न कुछ रोकथाम जरूर होगी और जनता के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा शिकायतें भी मिलती रहेंगी।

इस दिशा में मान्यवर, मैं एक आखिरी बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और वह यह है कि गल्ले की सीधी खरीद की जाने के सम्बन्ध में माननीय रामायण राय जी ने एक विशेष कटौती का प्रस्ताव रखा है। एक लाख ८२ हजार टन गल्ला अभी तक खरीदा जा चुका है। इसके बारे में मैं पहले भी सदन से निवेदन कर चुका हूं कि इस प्रश्न के ऊपर जितना भी उदार इतनी जल्दी में जितना भी सम्भव हो सकता था हम लोग रहे, उसके बाद भी अगर किसी तरह की हार्डशिप या कोई कठिनाई किसी को हुई है तो उसके लिए हम सभी को खेद है और आने वाले गल्ले की खरीद के समय इस अनुभव का लाभ उठाया जायगा जो अनुभव कि हमें अभी प्राप्त हुआ है और प्राप्त होता जा रहा है। गल्ले की खरीद के लिये पहले से जो तरीका जारी रहा है, वह यह है कि चावल आदि की खरीद मन्डियों के अन्दर लेवी सिस्टम के जरिये होती रही है। उसके जरिये १,०५,४९३ टन गल्ला खरीदा जा चुका है इस साल के अन्दर जो कि चल रहा है। मान्यवर, मैं अपनी बात यह तुलना करते हुए समाप्त करता हूं कि जो हमने गल्ले की खरीद की व्यवस्था की वह हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से अधिक उदार रही। इसके विषय में थोड़ा ही समय होने के नाते मैं राजस्थान की तुलना ही आपके सामने करना चाहता हूं। राजस्थान में दो एकड़ के किसानों तक पर भी लेवी लगायी गयी। आपको सुनकर कुछ आश्चर्य होगा कि राजस्थान में ८ एकड़ तक के ऊपर ५.६० क्विंटल लगी है और हमने डेढ़ क्विंटल लगायी है। ९ एकड़ तक के ऊपर उन्होंने ७.२० क्विंटल और हमारे यहां डेढ़ क्विंटल है। १० एकड़ तक पर वहां १० क्विंटल और हमने ढाई क्विंटल लगाया है। २० एकड़ तक पर वहां २४ क्विंटल और हमारे यहां १० क्विंटल है और २० एकड़ से ऊपर के फी एकड़ पर उनके यहां १५० किलोग्राम और हम ने २५ क्विंटल के आगे फी एकड़ पर ५० किलोग्राम लेने का फैसला किया। मेरा आशय कहने का यह है कि दाम के बारे में भी राजस्थान ने लाल गेहूं का ६७ रुपया और हमने ८० रुपया निर्धारित किया है। मैक्सीकन गेहूं का उन्होंने ६९.५० रुपया और हमने ८० रुपया किया। फार्म के गेहूं का उन्होंने ७५ रुपया और हमने ८५ रुपया किया है। प्रदेश की कुल जितनी जोतें हैं २,१०,२७,९७२ उनमें आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि ६०,७५,०३८ पर केवल लेवी लगी हुई है और उसके अनुसार केवल ३.६ फीसदी लोगों पर लेवी लगी है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह किसान विरोधी हैं या वे किसान विरोधी हैं जो ४

फीसदी के लिए ९६ फीसदी के विरोध में बातें करते हैं। ऐसी स्थिति में यह बात सही है कि इसी उधार नीति के कारण ५ लाख टन का जो हमारा टार्गेट था वह अब केवल २३८ हजार टन रह गया था, और जो सबसे बाद के आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से २२८ हजार टन रह गया है। उसमें भी कितना बाकी रह जायगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन २ लाख टन पर जरूर पहुंच जायगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इस लेवी को जितना उदार बनाना सम्भव था वह किया गया है।

एक बात और रामायणराय जी के कटौती के प्रस्ताव के विषय में कहना चाहता हूं कि जिस कमिश्नरी से उनका सम्बन्ध है उसमें लेवी किस हिसाब से लगी है गोरखपुर में ८, देवरिया में ७, बस्ती में ७, आजमगढ़ में ४, वाराणसी में जहां से कमलापति जी आते हैं ६, जौनपुर में ७, गाजीपुर में ९, बलिया में १.९। इस तरह से जितना उसको उदार बनाया जा सका उतना बनाया है। मैं चाहूंगा इसके विषय में जो दुर्व्यवहार कहीं हुए हों उसकी सूचना अवश्य माननीय सदस्य दें। जो ठोस सुझाव हों वह अवश्य दें। यह निश्चित बात है कि सरकार चाहे कोई रहे, सरकारें आयेंगी-जायेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी-बनेंगी लेकिन जनता रहेगी और देश रहेगा। स्टेट ट्रेडिंग के बारेमें तो जब लोग बोलेंगे उसके बाद मैं जवाब दूंगा--वह दूर की बात है, लेकिन हम स्वावलम्बी बनें कम से कम और अपने खाने भर को पैदा कर सकें, हमारी परमुखापेक्षिता समाप्त हो--इस लक्ष्य में कोई दो विचार नहीं हो सकते। कोई भी सरकार रहे, लेकिन सीधे किसानों से गल्ला खरीदने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

स्टेट ट्रेडिंग के बारे में क्या स्टेप ले रहे हैं?

श्री झारखंडे राय--

इन शब्दों के साथ में अपना अनुदान प्रस्तुत करता हूं। दत्ता साहब की बात का जवाब मैं बाद को दूंगा।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सम्पूर्ण अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन की नीति पर चर्चा करना और सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष--

बाकी प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ माना जायगा।

(अन्य प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३३-८३५ पर)

श्री चन्द्रबली सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री जी ने शुरू में ही सारे लोगों का मुंह बांधने की गरज से ही इस खाद्य के सवाल को राजनीति से परे कहने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं वे सब राजनीति के अन्दर आती हैं राजनीति से उनका गहरा सम्बन्ध है। राजनीति का मकसद ही समस्याओं को हल करना है। जो लोग ऐसी बात करते हैं वे कायरता से या भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं। वे हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और ऐसी बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति का मकसद है खाद्य के सवाल को हल करना, जनसंघ पार्टी की राजनीति का मकसद है खाद्य से सवाल को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली]

को हल करना, कांग्रेस पार्टी की राजनीति का सवाल है खाद्य के प्रश्न को हल करना जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी का यह उद्देश्य है, फिर खाद्य के सवाल को राजनीत से कैसे अलग किया जा सकता है ? चाहे आपकी नीति गलत हो जाय, मगर मकसद वही होगा उसको हल करने का। इसलिए खाद्य के सवाल को राजनीति से परे कहने का मतलब है अपने पापों पर पर्दा डालना।

मान्यवर, पैदावार के सम्बन्ध में सूखे का बड़े जोर से हवाला दिया जा रहा है, मगर सूखे के अलावा बाढ़ से भी अधिक नुकसान होता है। जहां तक बाढ़ से सुरक्षा का सम्बन्ध है, सरकार इस सम्बन्ध में बिलकुल मौन बैठी हुई है, और उस ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है और कहीं अगर अधिक वर्षा हो गयी तो यह सरकार फिर कहेगी, चूंकि वर्षा अधिक हो गयी इस कारण पैदावार कम हुई। पैदावार तब तक बढ़ नहीं सकती जब तक कि आप सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं कर देते। जब तक एक खेत से दूसरे खेत तक नाली नहीं बनायी जायेंगी, पानी पहुंच नहीं सकता और जब पानी नहीं मिलेगा तो पैदावार कैसे बढ़ेगी। ट्यूबवेल लगा हैं एक खेत में पानी पहुंचता है, मगर बगल के खेत में नाली न होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति है। इसलिये आप पहले नाली बनवाने की व्यवस्था कीजिये।

जहां तक भावों के बढ़ने का सवाल है, इस सरकार ने शुरू में बड़े जोरों से यह कहा था कि हम भावों को कम करेंगे। अब जरा भावों को देखिये। इस वक्त जून के महीने में गेहूं १३०–१४० रुपये प्रति क्विन्टल बिक रहा है। चना १४७.५० रुपये है, बेझड़ ११० रुपये, चावल वासमती २१५ रुपये, मटर ११५ रुपये के भाव से बिक रहा है। अरहर का भाव १४० रुपये प्रति क्विन्टल है। क्या आप भाव को रोक पाये हैं। तमाम अरहर प्रदेश से बाहर चली जा रही है, मंत्री जी अखबारों में बयान देते हैं केन्द्र हमको इजाजत नहीं देता। अन्न के मामले में केन्द्र का बहाना, चीनी के मामले में केन्द्र का बहाना, जो काम आप न कर पायें उसके लिये केन्द्र का बहाना आप करते हैं। जब आप केन्द्र से नहीं लड़ सकते तो फिर आप पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकते और चीन से भी नहीं लड़ सकते और फिर नपुन्सकता का बहाना चल पड़ेगा। और हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप भी उनसे नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर केन्द्रीय सरकार आपको सताती है तो सत्याग्रही भर्ती कीजिये, हम उसमें शरीक होंगे। हम माल दिलायेंगे। आप तो कायर बनकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर कब्जा किए बैठे हैं और चाहते हैं कि हमको खाना न दें, कीमतें बढ़ती जायं।

अध्यक्ष महोदय, अरहर एक ऐसा खाद्य है जिसे दाल और अन्न के रूप में खाते हैं। मैंने स्वयं पन्द्रह दिन तक अरहर की घुघरी खायी है। आपने अरहर पर रोक नहीं लगाई इसीलिए अरहर भी २१० रुपए क्विंटल पहुंच गई है। अप्रैल में जब यह सरकार बनी तो ११० रु० से ११७ रु० तक भाव थे। मई में भी उसी के आस-पास थे। २३ जून को १२७.५० और १३७.३० हो गया और ३० जून का १३७ और १४२ रु० है। गेहूं का भाव भी देख लें १९६०–६१ में २०.६५ रु० गेहूं के दाम थे, १९६२–६३ में ४८.२३ रु० दाम थे, १९६४–६५ में इसके दाम २८.६५ रु० रहे और १९६५–६६ में ८९.२१ रु० दाम रहे और सिर्फ पिछले साल ७२.२७ रु० दाम रहे और अब तो १४० रु० प्रति क्विंटल तक है। आपके गद्दी पर बैठने से कीमतें एकदम बढ़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडे राय जी ने कहा था कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। मैं माननीय झारखंडे राय जी को स्वयं जानता हूं, उनकी बातों में असर है परन्तु जब तक ये सब बातें अमल में नहीं आयेंगी, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार ने सचमुच कीमतें घटाने की कोई बात नहीं की। पैदावार बढ़ाने की कोई बात नहीं की। कुछ आदेश जारी कर दिए हैं और यही समझ बैठे हैं कि उन आदेशों के जरिए से सब कुछ अपने आप हो जायगा। सात आदेश इस प्रकार के जारी कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के संग्रह का आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उपभोग पर निर्बन्धन आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश आटा मिलों को अन्न देने का आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश खाद्य

वितरण आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश खाद्य अधिग्रहण आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक वस्तुओं के नियन्त्रण का आदेश, १९६६, उत्तर प्रदेश आटा निजी वहन नियन्त्रण आदेश, १९६६। इन आदेशों के जरिए सरकार चाहती है कि सब कुछ हो जाय। इन आदेशों को अमल में लाने के लिए जो कर्मचारी हैं वे जिस तरह से २० साल पहले लूट रहे थे, उसी तरह से लूट रहे हैं। उसी तरह से सारे सामान को बेचते हैं और ये ढाई महीने तक कोई नियन्त्रण नहीं कर सके? नियंत्रण हो कैसे? अभी-अभी आजमगढ़ में एक सप्लाई आफिसर साहब का तबादला हुआ। सिफारिश आयी। जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने इस्तीफा देने की धमकी दी, तब तबादला रोका गया। कहा जाता है कि इसमें ३ हजार रुपया लिया गया। किस के द्वारा लिया गया, यह नहीं कहा जा सकता। तो २० सालमें जिस प्रकारसे सरकार चल रही थी, उसी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। अब पिछले २० सालों का हवाला देना छोड़ दीजिए और आप अपनी राह बदलिए। आपको टोका जा रहा है तो इसीलिए कि आपने अपनी राह को बदला नहीं है। अगर सरकार नया रास्ता अपना ले तो किसी को कोई शिकायत न रहेगी, परेशानी न होगी।

गल्ला वसूली के सिलसिले में कहा गया कि ३ प्रतिशत लोगों को तकलीफ हुई। एक भी व्यक्ति को अगर आप जानबूझकर तकलीफ देते हैं तो आप उसके गुनाहगार हैं। राह चलते में अगर सैकड़ों चींटी मर जाती हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप एक बकरी का बच्चा या पिल्ला मार डालते हैं तो १० आदमी आपको घेर कर मारेंगे। इसी प्रकार से गल्ला वसूली में एक आदमी को कष्ट होता है तो आप उसके गुनाहगार है। आप व्यापारी की आमदनी को रोकते नहीं हैं, वकीलों की आमदनी को रोकते नहीं हैं, मिनिस्टरों की तनख्वाह को आप रोकते नहीं हैं। तो फिर किसानों की आमदनी को रोकनेका आपको क्या अधिकार है? सारे व्यापारियों ने गल्ला छिपा रखा है लेकिन श्री रामप्रकाश गुप्ता की वजह से आपकी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं पड़ती। उनसे गल्ला वसूली की हिम्मत नहीं पड़ती। यह महंगी तीन कारणों से आ रही है, सरकार के द्वारा गोदामों में भरने के कारण, व्यापारियों द्वारा भरने के कारण और बड़े-बड़े किसानों द्वारा रोकने के कारण। बड़े किसानों ने तो कमाया हुआ है, उसको वे रोक रहे हैं, उनसे गल्ला निकलना चाहिए; लेकिन इन व्यापारियों को गल्ला जमा करने का क्या हक है? और आपको भी क्या हक है जो गल्ला आप जमा करते हैं? बाजार में उसको आप क्यों नहीं ले जाते? अगर उसको बाजार में ले आयें तो महंगी कम हो जाय। व्यापारियों ने १०० रुपया क्विंटल तक गल्ला खरीद रखा है और जब लेवी लगी तो १३०-१३५ का दाम आप से ले लिया। व्यापारियों ने कहा कि आपको गल्ले की क्या जरूरत है आप पैसा हमको दे दीजिए। इस तरह से जो गल्ला व्यापारियों के पास था वह आपके गोदामों में चला गया और उसको मुनाफा मिल गया। आप जो ५ लाख क्विंटल वसूल करना चाहते थे उसमें से आप कुल २ लाख वसूल कर सके हैं। अगर आपकी बुद्धि उत्पादक की बुद्धि होती तो इसी तीन महीनों के अन्दर आप कम से कम २० लाख टन चना और मक्का की पैदावार कर लेते। आपने इस काम में उस स्टाफ को लगा दिया होता जिस स्टाफ को आपने इस वसूली में लगाया है और इस तरह से आप अपने को आत्मनिर्भर बना लेते। जो अनाज पैदा नहीं हुआ है उसी को आप वसूल करके कैसे आत्म निर्भर हो सकते हैं? यह केवल मजाक है। शुरू में आपने कहा कि व्यापारी ढाई सौ क्विंटल से ज्यादा गल्ला नहीं रख सकेगा, लेकिन जब आप के ऊपर दबाव पड़ा तो आपने उसको बढ़ाकर १ हजार क्विंटल कर दिया। वाह रे चरणसिंह की सरकार, झुक गयी व्यापारियों के सामने। पहले कितने व्यापारियों की तलाशी ली गयी थी, लेकिन जब से ये गद्दी पर बैठे हैं, एक भी व्यापारी की तलाशी नहीं ली गयी। केवल एक आदमी की ही हुई, एक कांग्रेसी की हुई जिसने खुलकर झंडा गाड़ कर जनसंघ को, कम्युनिस्ट पार्टी और सब दलों के प्रतिनिधि को हराया था, लेकिन उस तलाशी में निकला कुछ नहीं। होता यह है कि बस्ती में यहां से फोन जाता है इसमें खाद्य मन्त्री जी का दोष नहीं है, लेकिन

[श्री चन्द्रबली]

उप चुनाव में पैसा नहीं दिया तो फोन पर उसका लाइसेन्स कैंसिल बिना कारण के किया गया और इस तरह से अंधाधुंध काम किया गया कि जो लाइसेन्स उसके पास थे भी नहीं उनकी भी मुअत्तली लिखकर उसको दे दी गई। वह मिर्जापुर का कलेक्टर, जिसने लोगों को मिर्जापुर में भूखा मार दिया वह बस्ती आया तो उसने गलत आदेशों को मंगाकर नई सरकार की वाहवाही लेने के लिए खुले आम कहा कि लूट लो जिस तरह से एक खेत से सांड़ हांक दिया जाये तो दूसरे खेत में जाकर वह अपना रास्ता पकड़ लेता है और उजाड़ डालता है।

बढ़ती हुई चोरबाजारी, बढ़ती हुई कीमतें, घूस और करों को कम करने की तो इस सरकार में हिम्मत नहीं है, लेकिन गरीब किसान, जो रिट नहीं कर सकता इसलिए, उससे गल्ला वसूली जबरदस्ती होती है, वह गल्ला वसूली व्यापारी से इसलिए नहीं होती कि अगर वह रिट कर देगा तो कानून छुआ देंगे.....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जल्द समाप्त करें।

श्री चन्द्रबली—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक चीनी का सवाल है चीनी का उत्पादन ३५ लाख टन पिछले साल हुआ और २२ लाख टन इस साल हुआ है और दस लाख टन चीनी पिछले साल की बची थी। इसलिए आज भी ३२ लाख टन चीनी है। मन्त्री जी कहते हैं कि २० हजार टन पिछले मास में हमें मिली। २० हजार टन चीनी का बराबर औसत कोटा इनको मिला है, कभी २५ हजार कभी २० हजार टन कमबेश इनको मिला है लेकिन आम तौर पर २०, १५ या १६ हजार टन मिलता रहा है। अब हलवाइयों का पूरा कोटा इसमें है तो १४ हजार टन में उनको क्यों कम दे रहे हैं? हलवाइयों का यही व्यवसाय है और वही ऐसे चीनी के मुख्य उपभोक्ता हैं, वही इसका प्रयोग करते हैं। उनको चीनी पाने का अधिकार है और अगर आप ने कन्ट्रोल लगाया है तो उनको चीनी देना आपका फर्ज है, उसकी जिन्दगी से चीनी का सम्बन्ध है दूसरे लोग बिना चीनी के जिन्दा रह सकते हैं लेकिन हलवाई जिन्दा नहीं रह सकते। उनकी तो रोजी ही खत्म हो जायगी अगर आप उनको चीनी न देंगे। लेकिन इस वक्त सप्लाई विभाग क जितने सप्लाई अफसर हैं वह तो कुछ कड़े हो गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी का हर जिला मन्त्री सप्लाई अफसर हो गया है और एस० वी० डी० के सभी कार्यकर्त्ता परमिट बांट रहे ह और आज भी मैं चुनौती देकर कहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह.....

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री शराफतहुसैन रिजवी—

मैं आपकी मार्फत से कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रबली—

परमिट इस तरह से बांटे जा रहे हैं कि बाबू खां और शकील साहब को दिए जा रहे हैं, उनका केवल ७–८ आदमियों का कैम्प लगा और उसके लिए पूरा एक बोरा शकर का परमिट

दे दिया गया। मैं अगर गलत कहता हूं तो एक जांच समिति बिठाई जाय और इन लोगों को सजा दी जाय जो ऐसा करते हैं। हमारे दल के १५ जिलों में लोग हैं, लेकिन खाद्य कमेटी में सोशलिस्ट दल के लोग रायबरेली, प्रतापगढ़, बनारस, देवरिया, आदि में कहीं नहीं लिए गए। इन वामपंथी कम्युनिस्टों की हम क्या कहें इन्होंने चुनाव में प्रदेश में ७० प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन केवल एक यह चुनकर आए हैं। यह जन कांग्रेस जो अभी पैदा हुई है उसके लोग हर कमेटियों में हैं जिले की लेकिन दूसरे लोग नहीं है। हलवाई जो मुख्य उपभोक्ता है, उसको नहीं रखा गया है। तो वह अपनी बात कैसे कह सकता है? श्रीमन्, एक अजीब धांधलेगर्दी मची हुयी है।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट की जो स्थिति है उसके बारे में इनका एक परिपत्र गया हुआ है। प्रत्येक जिला सप्लाई अधिकारी उसका अलग-अलग अर्थ लगा रहे हैं। कोई बोरे के बोरे का कोटा बांट रहा है। कोई एक ही बोरी की परमिट देता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और मिर्जापुर में सीमेंट का कोटा नहीं दिया गया है। देवरिया में ३ तहसीलों में कोटा काट दिया गया। एक अजीब धांधली मची हुयी है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, मुझे कुछ और समय दे दीजिय। केवल ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप ५ मिनट और बोल लीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। २८ तारीख से कटौती के प्रस्ताव पेश हो रहे हैं और जो कटौती के प्रस्ताव रखते हैं, उन माननीय सदस्यों के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है। खाद्य का विषय, श्रीमन्, बहुत गम्भीर है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप उन्हें बोलने दीजिए?

श्री अध्यक्ष—

आपके शब्द बिलकुल अनुचित हैं। जिस समय माननीय मंत्री जी २५ मिनट तक बोल चुके तो मैंने उनको रोका। आखिर और भी माननीय सदस्य ह। माननीय चन्द्रबली सिंह जी १५ मिनट बोले जो समय साधारणतया प्रस्तावक महोदयों को दिया जाता है लेकिन सदन की इच्छा को देखते हुए मैं ५ मिनट और दे रहा हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय कृष्णानन्द राय जी टाइम न फिक्स करने की बात कह रहे हैं। माननीय चन्द्रबली सिंह जी, जो बोल रहे ह, ने कवल ५ मिनट का समय मांगा ह और आपने उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए ५ मिनट का और समय दिया है। तो ये क्यों एतराज कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रबली सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रबली—

चीनी जो ब्लैक में ३ रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, उसमें पिछले ३ महीनों में लगभग प्रतिमाह ३ करोड़, ३० लाख रुपया जनता का लुटवाया गया है और तीन महीने में ९ करोड़ ९० लाख रुपया इस तरह से लूटा गया है और सप्लाई के लोगों ने चीनी में १० लाख रुपया प्रति माह घूस ली हैं।

[श्री चन्द्रबली]

दूसरी बात चीनी के बारे में मुझे यह कहनी है कि लैमन जूस के लिए जो चीनी का कोटा दिया जाता है उसमें से ८० प्रतिशत फर्जी होता है । अगर इसकी जांच करवा ली जाय तो मालूम होगा कि देवरिया में १३ सौ बोरे हलवाइयों आदि को दिए गये और ६०० बोरे लैमनजूस वालों को दिए गये जिनकी कहीं कोई दूकानें नहीं हैं । इस तरह से पूरे सूबे में यदि आप जांच करवायें तो आपको आभास हो जायगा कि आज भी संकट नहीं है । आज गांवों में मुश्किल से २–४ परिवार मिलेंगे जो चीनी का प्रयोग करते हैं तो आप क्यों नहीं उस चीनी को हलवाइयों को देते हैं । आपने शहर की चीनी काट दी, गांवों की काट दी और हलवाइयों की काट दी और सारी चीनी परमिट द्वारा बंट गयी । मैं तो यह चाहता हूं कि एक कमेटी बन जाय और पूरी तरह से जांच हो जाय और अगर हमारी बात गलत हो तो हमको सजा दी जाय और यदि आपकी बात गलत हो तो आपको सजा क लिए तैयार हो जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने प्वाइन्ट्स पर उपसंहार करें ।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, सीमेंट के बारे में जो किताब बंटी है उसमें कहा गया है कि इस समय काफी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन मैं बताऊं कि केवल पूर्वी जिलों में ही नहीं अपितु और दूसरी जगहों पर भी, चुर्क फैक्ट्री का जो सीमेंट ह, वह ३–३ महीने से एक बोरा भी कहीं कहीं भेजा गया है । आज उसी बदइन्तजामी का नतीजा है कि एक एक बोरा सीमेंट १५ व १६ रुपये का बिक रहा है ।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में जो किताब बंटवायी गयी है, उसमें कहा गया है कि कोई परेशानी नहीं है । लेकिन सूबे की बात तो जाने दीजिए । बगल में गोरखपुर में अगर वहां पर १ रुपया प्रति लिटर तेल मिलता है तो देवरिया में २ रुपया प्रति लिटर मिट्टी का तेल मिलता है । और देवरिया में १०, १० मिनिस्टर ढाई महीने के अन्दर एक के बाद एक गये, क्योंकि कहीं दूसरे बाजी मार न ले जायें । क्यों जाते हैं आप ? सिर्फ भत्ते की जरूरत ह । देवरिया की अजीब परिस्थिति है । वहां भीषण अकाल है । देवरिया ब्लाक, रुद्रपुर का बाढ़ का इलाका, सलेमपुर में भीषण ओला पड़ा था और छितौनी से लेकर भाटपार रानी तक जो इलाका है वहां दाने दाने को लोग परेशान हैं । वहां न टेस्ट वर्क खोला और न सस्ते गल्ले की दूकानें खोलीं । नतीजा यह है कि २४ लाख में से ७, ८ लाख लोग वैसे ही दुखी हैं जैसे मिर्जापुर की हालत है । मिर्जापुर में अगर अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया होता तो हमारी सहायता बढ़ती और उसी के साथ सूखा पीड़ित जिलों को भी सहायता मिलती । सरकार सही समस्या को स्वीकार नहीं करती है । सरकार कहती है कि केन्द्र हमारी बात नहीं मानता है । केन्द्र में, कुछ लोग कहते हैं, कि पेटीकोट की सरकार है । लेकिन हम लोग कहते हैं कि मां की सरकार है । लेकिन वह सौतेली मां है और इस सूबे में उसी मां के भाई की सरकार है । कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है । इसलिए मांगते समय सरकार से शरमाते हैं और इस सरकार को अपने हकों को मांगने पर शर्म आती है । जो सवाल आप का हल नहीं हो पा रहा है तो आप सत्याग्रही भरती कीजिये, कैबिनेट में, और हम लोग उन से लड़ेंगे । जहां तक राज्य व्यापार का प्रश्न है वह आप को करना चाहिये । लेकिन जब तक आप और व्यापारी दोनों साथ साथ व्यापार करेंगे तो समस्या हल नहीं होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

*श्री गौरीशंकर सराफ (जिला बांदा)—

श्रीमन्, कांग्रेस ने जिस प्रकार शासन चलाया उस की तस्वीर आपके सामने है । २० वर्ष में कांग्रेस ने अनेक प्रयोग किये हैं जिसका प्रतिफल दिखायी देता है कि हमारी महंगाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ती जाती है। कांग्रेस ने देश की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, अगर हम गौर से देखें, तो उसकी नीति स्पष्ट हो जायगी। आज हर एक वस्तु के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और हर वर्ष मूल्यों का एक स्तर पैदा होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जरा माइक ऐडजस्ट करके बोलें तो बात साफ समझ में आयेगी।

श्री गौरी शंकर सराफ—

गल्ला अगर पिछले वर्ष दो किलो प्रति रुपये का उपलब्ध था तो आज उसकी कीमत बढ़ कर १ रुपया सवा रुपये किलो हो गयी है। इसका कारण यही है कि, जैसा माननीय नेता सदन कहा कि, रुपये का फैलाव इस कदर बढ़ गया है। अगर मुद्रा के आकार-प्रकार की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय तो आपको ज्ञात होगा कि आज की मुद्रा तथा पहले की मुद्रा में बड़ा अन्तर हो गया है। आप देखें कि जिस समय १ रुपये का १६ सेर गेहूं मिलता था उस समय कैसी मुद्रा थी? आज का जो सिक्का है उसकी क्रय शक्ति कम हो गयी है। फिर इस मुद्रा का पिछले वर्ष अवमूल्यन करने से कीमतें कुछ बढ़ गयी हैं और हमारे प्रदेश में जो उत्पादन हुआ है वह भी अधिक नहीं हो पाया है और इस कारण भी हमारे यहां चीजों के भाव दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी पीठासीन हुयीं।)

इस समय सरकार ८५ रुपये क्विंटल गेहूं प्रोक्योर कर रही है लेकिन इस पर खर्चा जिस कदर बढ़ता जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शायद ही १ रुपये किलो आटा बेच सके।

नेता सदन ने यह भी बताया था कि केन्द्रीय सरकार ने ४० करोड़ रुपये का सर्कुलेशन और बढ़ा दिया है। सर्कुलेशन ही नहीं बढ़ाया है बल्कि उसके आकार प्रकार को भी छोटा कर दिया गया है। तो यह शंका पैदा होती है कि मुद्रा के अवमूल्यन के साथ-साथ उसका आकार-प्रकार भी छोटा कर देने से उस की क्या वकत रह जाती है? केन्द्रीय सरकार मुद्रा प्रसारित करती है लेकिन उसके प्रसारण का प्रभाव प्रान्तीय सरकारों पर पड़ता है। वे बहुत कुछ उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुद्रा प्रसारण से मूल्य रोकने में वे असमर्थ हो जाती हैं। लिहाजा प्रान्तीय सरकारें इस दिशा में यही प्रयत्न कर सकती हैं कि वे कोई ऐसा कदम उठायें कि वे उत्पादन के क्षेत्र में कम से कम मुद्रा का प्रयोग करें।

वह इस प्रकार से सम्भव हो सकेगा कि खेती के क्षेत्र में देखिये। किसान यह सोचता है कि जब मैं अपना उत्पादन देता हूं तो उसके बदले में क्या चीज मिलती है, कागज के टुकड़े। अगर उस के उत्पादन के बदले में सरकार उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा दे, जैसे मिट्टी का तेल, शकर, कपड़ा सीमेंट इत्यादि तो जो आपका लेवी का लक्ष्य रहा है वह कई गुना बढ़ जायगा।

एक बात और है। अगर किसान ने यह कहा जाय कि हम तुम्हारे सिंचाई के साधन उपलब्ध करा देंगे तो वह खुशी-खुशी अपना गल्ला देगा। अभी तक जितनी योजनायें बनी हैं सारी पूंजीवादी योजनायें रही हैं और विदेशों से मनमाने ढंग से कर्ज लिया जा रहा है और उसी के वितरण में एक प्रकार की होड़ सी लगी रहती हैं; लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में उसका सफल प्रयोग नहीं हुआ है। किसानों से एक प्रकार का समझौता करना चाहिए कि अगर हम तुम्हारे खेत पर ट्यूब वेल लगा देते हैं या एलेक्ट्रिक पावर दे देते हैं तो उसके बदले में क्या दोगे? तो वह अवश्य ही बदले में अपना गल्ला देने को तैयार हो जायगा। अगर आप उसके खेत के पास ट्यूबवेल लगवा देते हैं और उसके एवज में आप कहें कि सौ क्विन्टल गल्ले की किस्त के रूप

[श्री गौरीशंकर सराफ]

में देनी पड़ेगी तो वह सहर्ष स्वीकार कर लेगा । मैंने कुछ काश्तकारों से अपने क्षेत्र में बात की है और वह इस बात के लिए तत्पर हैं । तो मैं यह सुझाव सदन के सम्मुख रखता हूं और अगर इसकी महत्ता को हमारे खाद्य मन्त्री या कृषि मन्त्री समझें तो वास्तव में जो लेवी लगायी जाती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इसके अलावा जो हम उनसे लगान और सिंचाई के रूप में धन इकट्ठा करते हैं उसकी बजाय अगर यह कहा जाय कि आपको इसके बदले में गल्ला देना पड़ेगा तो भी वह स्वीकार कर लेगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे उत्पादन की वस्तुएं ज्यों-ज्यों सरकार अपने ऊपर लेती जाती है त्यों-त्यों जनता भी यह सोचती है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमको खाना दे, कपड़ा दे, गल्ला दे और सरकारी कर्मचारी भी खाना, कपड़ा क लिए अधिक धन की मांग करते हैं । उनको अगर धन देने के बजाय इस प्रकार इकट्ठा किया हुआ गल्ला वितरित किया जाय तो मैं समझता हूं कि जो दिन प्रति दिन मंहगाई बढ़ती जाती है वह भी खत्म हो जायगी ।

अब मैं केवल इस बात की चर्चा करूंगा कि हमारा उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है । अभी हमारे खाद्य मन्त्री जी ने बताया है कि हम खाद्य के मामले में स्वावलम्बी होना चाहते हैं । पहली चीज तो यह है कि हमारे पास सिंचाई साधन होने चाहिये । बांदा जिले की बात करता हूं । बुन्देलखण्ड का यह एरिया बहुत उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई न हो सकने के कारण और नहरों से भी पर्याप्त पानी न मिलने के कारण खेत असिंचित रह जाते हैं । इसलिए सूखे की स्थिति आ जाती है । यहां तक कि यहां नहरें ऊपरी हिस्से में पानी नहीं दे पाती हैं । इसलिए खेत असिंचित रह जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ ।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसका समर्थन करना इसलिए भी आवश्यक है कि मैं देहात से आता हूं और मुझे देहात का अनुभव है । माननीय झारखंडेराय जी की सरकार जो जनतंत्र सरकार कही जाती है, उसके कारनामे माननीय सदन के सम्मुख रखता हूं । इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इसका समर्थन करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह सही है कि जब पहली तारीख को गुप्ता जी की सरकार गिरी तो आशा का वातावरण आया, क्योंकि जनता चेंज चाहती थी और लोग समझते थे कि इसमें भलाई होगी । लेकिन जो भलाई इस सरकार ने की है उसकी पोल ढाई महीने के अंदर ही खुल गई । माननीय झारखंडेराय जिस सरकार क मिनिस्टर हैं, उसने जनता के सामने बड़े-बड़े वायदे किये । जिस अमेंडमेंट पर गुप्ता सरकार गिरी उसमें बड़े-बड़े वायदे थे । वे इस तरह से साबित हुये जैसे किनारे पर खड़ा हुआ आदमी डूबन वाले की मदद करता है । मैं कोई शायर नहीं हूं लेकिन मुझे एक शेर याद आ गयी वह इस प्रकार है कि "साहिल के तमाशाई डूबने वाले की हमदर्दी तो करते हैं, लेकिन इम्दाद नहीं करते ।" यही हाल इनका है, यह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन काश्तकार या आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल सका ।

श्रीमन्, जिलों में अलग-अलग सरकारें बनी हुई हैं । यहां माननीय झारखंडेराय जी की सरकार है और वहां जनसंघ और कम्युनिस्टों की सरकार है । हर दूकानदार जो अपना कोटा लेने जाता है तो उससे ये लोग चन्दा मांगते हैं । जो नहीं देता है उसका कोटा कैंसिल कराया जाता है । इसकी कई मिसालें मैं सदन के सामने रखूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे पहले मैं चीनी के बारे में कहूंगा । देहात के लिये इन्होंने चीनी का कोटा बिलकुल बंद कर दिया है । वह शीरा, गुड़ खाकर गुजर कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चीनी की जरूरत है । इसके अलावा मेहमान आ जायं और ब्याह शादियों में तो चीनी की जरूरत पड़ती ही है । लेकिन इन्होंने देहात का चीनी का सारा कोटा बंद कर दिया है और वह प्रोक्योरमेंट स्कीम में दे दिया है । मैं शाहजहांपुर की बात बताता हूं । जो गल्ला पूरा देता है उसको चीनी देते हैं । जो नहीं दे पाता उसको चीनी और सीमेंट का परमिट नहीं दिया जाता है । उससे दस्तखत करा लिये जाते हैं । मालूम नहीं कि बाद में उसका क्या होता है ? पता नहीं वह ब्लैक मारकेट में चली जाती है या क्या होता है ? दो महीने ऐसे होते हैं जब गरीब जनता को चीनी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है । ब्याह शादियों के लिये केवल ५-५ किलो के परमिट दिये गये हैं । इससे साबित होता है कि शादी का खर्चा कैसे चलाया जा सकता है । अगर परमिट बुक देखी जाय तो मालूम होगा कि एक एक आदमी ने आठ-आठ, दस-दस परमिट वसूल किये हैं । वह जितनी परमिटें थीं सब ब्लैक में चली गयीं । उसका सबूत यह है कि जिन हलवाइयों को मंत्री जी ने कोटा दिया है यह देखना पड़ेगा कि उनकी मिठाई में कोई कमी आयी ? मैं चैलेंज करता हूं कि तिलहर में मिठाई में कोई कमी नहीं आयी । जितनी मिठाई पहले बनती थी अब भी बनती है । तो वह चीनी कहां से आती है ?

प्रोक्योरमेंट स्कीम के बारे में थोड़ा-सा कह दूं । कहा जाता है कि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिन पर लेवी नहीं लगी थी उन्होंने बड़ी खुशी से गल्ला दिया । हालत यह है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर, डिप्टी साहब देहात में जाते हैं और गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं । थानेदार साथ में होता है । बन्दूक वाले से बन्दूक रखा लेते हैं बिना लिखा पढ़ी के और कह देते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया । कहते हैं कि तुम्हें लेवी देनी ही पड़ेगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कौन से देवता हैं कि लोगों ने बाजार में अपना गल्ला न बेचकर आप पर लेवी चढ़ा दी । आप सीमेंट नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते । मेहरबानी करके चीनी आप खाइये, शहर वालों को दीजिए, हलवाइयों को दीजिए । गांव वालों को अपना गेंहूं आराम से खाने दीजिए । इतना रहम रखिए हम लोगों पर । माननीय झारखंडे राय ने कहा कि खाद्यान्न के सिलसिले में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है । यह अच्छी बात है । अमेरिका से या सेंटर से गेहूं मांगना अच्छा नहीं है । गल्ले की पैदावार प्रदेश में होनी चाहिये । लेकिन पैदा कैसे हो ? आप एक तरफ उनसे अधिक पैदावार की आशा करते हैं दूसरी तरफ आप सिंचाई के साधन काटते जाते हैं । हमारे यहां एक कैनाल जाती है । बजेहड़ा-रजबहा रिमार्डलिंग के लिए १९६२ में मंजूर किया था कांग्रेस सरकार ने । माननीय झारखंडे राय की पापुलर गवर्नमेंट आयी उसको चौथे प्लान से ही काट दिया । उसकी रिमार्डलिंग और एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं है । इसी तरह बिजली की बाबत कई बार ऐप्लीकेशंस दी गयीं । ट्यूबवेल बना रहे हैं । शाहजहांपुर के चीफ इंजीनियर ने कहा कि इस इलाके में बिजली लगायी जाय, तो यह इलाका सरप्लस हो जायगा । लेकिन वह कैसे हो, प्लान में नहीं है । आपने कहा कि इस साल पैदावार अच्छी हुई है । यह पैदावार आपकी वजह से नहीं हुई है । २० हजार कनेक्शंस कांग्रेस सरकार ने दिये हैं उनसे पैदावार अच्छी हुई है । आप कहते हैं कि नियोजन बड़ा गलत रहा । आज रिहंद, ओबरा, हरदुआगंज न होते तो बिजली कहां से दे पाते ? देहात वालों को आप अधिक से अधिक सहूलियत दें, जिनके पास जबान नहीं है, जिनको एक पुलिस वाला पकड़ कर बीस मील सड़क न होने के कारण पैदल ले जाता है । लेवी के सिलसिले में मैं फिर कह दूं । शाहजहांपुर जिले में कहा जाता है कि आप डिफरेंस दे दीजिये, ४४ रुपये फी क्विन्टल । निगोई, जलालाबाद, कटरा, पुवायां सेन्टरों पर ४४ रुपये का डिफरेंस लिया गया । जो सज्जन गेहूं लाये उन से कहा गया कि तुम्हारी लेवी अदा होनी है । इस से तुम्हें कोई मतलब नहीं कैसे अदा होती है । गेहूं खुद खरीद लिया गवर्नमेंट प्राइस पर और उस के एवज में जौ खरीद कर डाल दिया । लेवी अदा हो गयी । यह कौन-सा न्याय है ? तो क्या यह प्रोक्योरमेंट एजेंट्स के लिए है ? प्रोक्योरमेंट में जिले

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

का सारा काम रोक दिया गया है। बोरिंग होती थी ब्लाक में वह बन्द कर दी गयी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ०, बी०एल०डब्लू०, सब लवी वसूल करवा रहे हैं। जितना विकास का कार्य है सब पीछे पड़ गया है। अगर आप शाहजहांपुर के आंकड़े मंगवायें, आप इसे देखें कि दो महीने में कितनी बोरिंग हुई है और इसके पहले के महीनों में कितनी हुई हैं तो यह बात आप को सिद्ध हो जायेगी कि इधर पिछले महीनों में सिवाय लवी वसूली करने के उन्होंने कोई अन्य कार्य नहीं किया है। पुवायां में यह हुआ कि एक साहब के फार्म पर हाकिम परगना साहब गये और उन की गैर मौजूदगी में उनका गल्ला भर लाये और उन के गेहूं को ले आ कर उसे केन्द्र में तुलवा कर अपना हिस्सा ले लिया और शेष वहीं पुवायां में पड़ा रहन दिया। जलालाबाद के खदरा ग्राम में हीऐ सी घटना हुई कि जहां पर आप के अधिकारियों और किसानों के बीच इस मामले को लेकर कुश्तमकुश्ता की नौबत आ पहुंची। आप के अधिकारी जो जात ह वह उलटे सीधे ढंग से रोआब से काम लेते हैं जिस से कभी-कभी बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं निगोंहा सेन्टर पर नायब तहसीलदार को वहां के लेखपालों ने धमकाया किन्तु जब फिर भी अफसर नहीं माने तो उन्होंने उन्हें मारा पीटा भी। इसकी काफी लिखा पढ़ी भी हुई, लेकिन बदनामी के डर से फिर उस मामले को जहां का तहां दबा दिया गया। तो इस की ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें कि अफसर नियम से और शान्ति से समझा-बुझाकर अपना काम चलायें।

तिलहर में एक होलसेल चीनी का डीलर है। उस के यहां १५ अप्रैल को चीनी का कोटा आता है और १६ अप्रैल को ही वह लोगों को चीनी देना बन्द कर देता है और इस की घोषणा कर देता है कि उस के पास चीनी का कोटा खत्म हो गया है। अब आप ही बताइये कि एक दिन म इतनी चीनी कैसे खत्म हो गयी और बेचारे हलवाई और दूसरे उपभोक्ता क्या करें? श्रीमन्, मने जिलाधीश शाहजहांपुर को एक मकान के एलाटमेंट के लिए और साथ ही रेन्ट कन्ट्रोलर को भी करीब तीन साल हुए एक अप्लीकेशन दिया था और उस के बाद रिमाइन्डर भी भेजे और तब से बीसों मकानों का एलाटमेंट हो चुका है, लेकिन अब तक हमें एक मकान नहीं मिल पाया है। यह हाल आप के अधिकारियों का है कि तीन-तीन साल से हमें एक मकान नहीं मिल सका है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय झारखण्डे राय जी से निवेदन करूंगा कि जो हमन बात की है उसकी तरफ मंत्री जी ध्यान दें। जिलों में, विशेषकर जो जिला शाहजहांपुर में कम्युनिस्टों की पैरेलल सरकार बनी है यानी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रशासन में हस्तक्षेप कर के कोटा परमिट बांट रहे हैं और अधिकारियों के पास दिन-रात बैठ रहते हैं इन सबकी आप समाप्ति करें।

*श्री देवीसेवक (जिला जौनपुर)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के विरोध में जो अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। केवल इस प्रान्त में ही नहीं, समस्त देश में खाद्य समस्या अत्यन्त ही दुरूह और कठिन है। इस समय हमारा देश, हमारा प्रान्त खाद्य समस्या में बहुत ही पिछड़ा है और हर प्रकार से जनता इस कष्ट का अनुभव कर रही है। खाद्य समस्या के लिये जहां तक अब तक चर्चा हुई है---उत्पादन और वितरण दो मुख्य व्यवस्थाएं हैं। उत्पादन के विषय में काफी कहा जा चुका है और जैसा कि पूव चर्चा से स्पष्ट है कि उत्पादन के लिये सिंचाई की व्यवस्था जब सुन्दर हो जाय और उस में जो भ्रष्टाचार है दूर हो जाए, अच्छे-अच्छे साधन हर प्रकार के उपलब्ध हो जायं तो आसानी से अन्न ज्यादा पैदा हो सकता है। पिछले २० सालों से सरकार ने यह जोरों से एलान किया कि हम दो वर्ष में गल्ले का उत्पादन बढ़ा लेंगे और अभाव नहीं रह जाएगा, लेकिन जनता आंख उठाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखती रही कि कब दो साल पूरे हों, लेकिन अफसोस २० साल बीत गये पर इनके २ साल न आए। इस समस्या को दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ कर युद्धस्तर पर देखना चाहिये, क्योंकि यह किसी एक दल के लिये विपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे देश और सारे दलों के लिये यह संकट है और दिन पर दिन इसका संकट बढ़ने की ही संभावना है। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जबकि किसान अपने बीजों को खेत में बो देंगे और खाने के लिये नहीं रह जायगा उस समय भीषण संकट पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिये इस विषय को केवल दलगत भावनाओं से देखना ठीक नहीं है बल्कि उस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये और जहां तक हो सके सरकार की मदद करने में हम सब को कोई कोरकसर नहीं उठा रखना चाहिये। उत्पादन अगर सुन्दर हो जाता है तो वितरण की व्यवस्था भी आसानी से ठीक हो सकती है। उत्पादन के लिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल भी काफी कहा जा चुका है, लेकिन वितरण की व्यवस्था को देखने से मालूम होता है कि उसमें बहुत से दोष हैं और उनका दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। २० साल से जो कोटा सिस्टम था, जो सस्ते गल्ले की दूकानों वगैरह को लाइसेंस देने का तरीका था उसके कारण नाना प्रकार की खराबियां पैदा हो गयी हैं। मैंने खुद देखा है और गल्ले के लाइसेंसीज से बात की है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि वे लोग जब जिलों में गल्ला उठाने जाते थे तो उनके सामने बहुत सी अड़चनें पैदा की जाती थीं और जब तक वे भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होते थे और कुछ नाजायज रकम नहीं खर्च करते थे तो उन्हें तीन-तीन और चार-चार दिन रुकना पड़ता था और वे किसी प्रकार से भी गल्ला उठाने में कामयाब नहीं होते थे। सप्लाई आफिस से लेकर एस० एम० आई० आफिस तक उनको दौड़ना पड़ता था, दो-दो, तीन-तीन मील और इसमें काफी समय लगता था और काफी रुपये खर्च करने पड़ते थे और वह रुपया वह लोग भ्रष्ट आचरण करके कीमत ज्यादा लेकर, ब्लैक करके वसूल कर लिया करते थे।

इस सम्बन्ध में दो तीन दिक्कतें और थीं। जब दशमलव प्रणाली आरम्भ हुई, नीलों में, बांटों में, रुपयों में तो उसका प्रभाव हमारे धार्मिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। नवग्रह पहले थे अब एक दसवें ग्रह भी पैदा हो गये। वह १०वां ग्रह नेता जी हैं। यह नेता ग्रह क्या करते थे ? वे सस्ते गल्ले की दूकान अपने नाम से लेकर २०० रुपये महीने पर किसी को दे देते हैं। दूकानदार जिनकी पहुंच जिला पूर्ति अधिकारी तक नहीं होती थी तो ये नेता जी उससे कुछ रुपये महीने तय कर लेते थे और लाइसेंस बनवा कर दे देते थे और हर महीने रुपया बांट लेते थे। ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था होने के कारण सस्ते गल्ले के दूकानदार का दोष इतना नहीं था जितना अपराध हमारे इन नेतागण ने किया है। इन्हीं लोगों के कारण उन्हें ब्लैक करना पड़ता था और ब्लैक कर के वह रुपया नेता जी को देना पड़ता था। आज नयी सरकार बनी है और इसमें काफी कमी आई है। दूकानदार आज उन नेता जी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में काफी कमी आ गयी है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

आप नेता हैं या नहीं ?

श्री देवी सेवक—

आप तो हैं ही। तो जब दोष इतना बढ़ गया है तो उसमें सुधार होने में समय लगेगा ही। २० साल का जो कीचड़ इकट्ठा है उसे साफ करने में कभी-कभी ज्यादा दुर्गन्ध फैलती है और इसीलिये आज इसमें कठिनाई महसूस हो रही है। आज २० सालों का प्रायश्चित्त हमें करना पड़ रहा है और उसी के कारण माननीय खाद्य मंत्री के सम्मुख आज खाद्य संकट दिखाई पड़ रहा है। ऐसी सूरत में हम सबका प्रयत्न इस बात का होना चाहिये कि चारों तरफ जाकर इस बात का प्रयास करें कि ब्लैक अच्छी तरह से बन्द हो जाय ताकि जनता को गल्ला आसानी से मिल सके। जहां तक चीनी का प्रश्न है चीनी का संकट बहुत जोर से था। सरकार ने सोच-समझ कर जो कदम उठाया है और देहात में चीनी का कोटा कुछ समय के लिये बन्द कर दिया यह सरकार ने

[श्री देवी सेवक]

अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। देहात में मैंने लाइसेंसी से पता लगाया तो उसने बताया कि चीनी की आवश्यकता देहात में बहुत कम पड़ती थी। एक-एक दूकान पर ३, ३ बोरा चीनी मिलती थी। वह बतलाते थे कि उसमें से आधा क्विंटल भी खर्च नहीं होता था तो मजबूरन वे हलवाइयों को देते थे। चीनी का सवाल बड़ा पेंचीदा था। जब गांव के अन्दर शादी का मौसम होता था तो चीनी नहीं मिलती थी और लोगों को दिक्कत पड़ती थी। यदि कोई कोटा लाइसेंसी को दिया जाता तो निश्चित था कि वह चीनी जनता को नहीं मिलती और वह ब्लैक मारकेट में चली जाती। इसलिये तहसीलदार के द्वारा जो यह परमिट का सिस्टम किया गया है बिलकुल सही है। जिसको आवश्यकता है वह प्रधान या अन्य सम्मानित व्यक्ति से लिखा कर, सिफारिश करा कर अपनी दरख्वास्त दे दें तो उनको अवश्य शादी और विवाह के लिये चीनी मिल जाती है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं पड़ती है। हां इतनी बात जरूर है कि जिनको पहले से आदत पड़ी हुई है ऐसे कुछ व्यक्ति गड़बड़ करते थे और जिनको चीनी की आवश्यकता नहीं भी होती थी वे भी परमिट के लिये जाते थे और चोर बाजारी करते थे। सरकारी कर्मचारियों को इस बात का पता लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता था कि कौन सही रूप में सच्चा प्रार्थी है और कितने ऐसे हैं जो ब्लैक मारकेट करने के लिये दरख्वास्त देते हैं। अब इसमें सरकारी कर्मचारियों ने पता लगाया और प्रयत्न किया जिससे काफी हद तक उनको इसमें सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा और भी बहुत से विषय हैं जिनको मैं समय के कम होने के कारण यहां पर प्रकट नहीं कर सकता हूं। मेरी सब माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना है कि वे सब कटौती के प्रस्ताव का समर्थन न करें जिससे यह इसको वापस ले लें ताकि जनता को आराम मिले।

श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने खाद्य मंत्री श्री झारखंडे राय जी के भाषण को बड़े गौर के साथ सुना। मुझे इस बात की चोट लगी कि एक साम्यवादी मंत्री ने जिस भाषा में वास्तविक आधार पर परिस्थितियों को हल करने की बातों को स्वीकार करना चाहिये था, उस भाषा में न कह कर जिस तरह से सरकारी भाषा में लोग कहा करते हैं, उस सरकारी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरों का दोष देने से कि २० वर्ष तक क्या हुआ, बार बार इस बात को कहने से खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है और न प्रदेश की समस्याओं का निराकरण होने वाला है। वास्तविकता से यह बात जंच नहीं सकती। अगर इस तरह से उत्तरदायित्व और कर्तव्य के लिये कोई पूछे और आप यह कहें कि उसने ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया तो इस तरह से मुल्क की समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुल्क में खाद्य समस्या बड़ी विषम है, लेकिन उस पर्वतीय खंड में चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और कुमायूं के चार पहाड़ी जिले टेहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल तथा उत्तराखंड तीन जिले जिनकी सीमा चीन और तिब्बत से जुड़ी हुई है और इनमें से चमोली, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ पड़ते हैं, और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, उनकी आज विषम खाद्य स्थिति है और अपनी एक विशेष प्रकार की कठिन स्थिति है। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कर, उन समस्याओं को हल करने की, उनका निराकरण करने की और उसके लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि आज ऐसी हालत मेरे जिले चमोली और उत्तराखंड में है कि यदि उन इलाकों में जो कि तिब्बत से मिले हुए हैं, अगर उनकी ओर आपने विशेष रूप से ध्यान न दिया, तो उसका मतलब यह निकाला जायगा कि गवर्नमेंट उनमें असन्तोष जाग्रत करना चाहती है और फिर उसकी जिम्मेदारी जनता पर न होगी। बिभुक्षितं किं न करोति पापम्। भूखा आदमी सब कुछ कर सकता है। उसकी जिम्मेदारी फिर पूरी तरह

सरकार की होगी। अगर भूखे आदमियों को अपने लिये कुछ करना पड़ा तो वह उसके लिये मजबूर होंगे।

मैं चमोली का निवासी हूं और इस नाते उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पहले सरकार इस प्रकार की व्यवस्था वहां के लिये करती थी कि बरसात के पहले सरकारी गोदामों में काफी गल्ला पहुंच जाता था। लेकिन मुझे पता चला है कि बहुत कम गल्ला इस बार सरकारी गोदामों में, चमोली जिले में रखा गया है। पिछले दो, तीन, चार वर्ष से अनावृष्टि हुई और पहाड़ों में तो लगातार पिछले सालों में अनावर्षण हुआ है। मैंने कभी इस तरह का ओला, पाला नहीं देखा था और मुझ से बुजुर्ग लोग बतलाते हैं कि उन्होंने इस तरह की स्थिति इसके पहले कभी नहीं देखी थी। तो यह चमोली आदि कमी वाले इलाके रहे हैं। वहां आलू की फसल ऊंचे पर हो जाती थी लेकिन वह भी इस पाले, ओले, अवर्षण के कारण मारी गयी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां खाद की व्यवस्था पूरी तरह से बरसात में पहले सरकारी गोदामों में करवा दीजिये। पहाड़ी जिलों को सरकार भाड़े में छूट देती थी, वह भी बन्द हो गयी है और इस कारण गल्ला वहां बहुत महंगा पड़ता है। इस के लिये आवश्यक है कि मोटर हेड से सरकारी दूकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिये सरकार सब्सीडी भाड़े में दे। मैंने चमोली जिले में एक डी० एस० ओ० को छोड़कर खाद्य पूर्ति विभाग में अन्य अधिकांश की, इंस्पेक्टर्स आदि की बहुत शिकायतें सुनी हैं। कई इन्स्पेक्टरों के तबादले की मैंने मांग भी की, लेकिन वे लोग १९६० और १९६१ व ६२ से वहीं डटे पड़े हैं और उनका तबादला आज तक नहीं हुआ। मैंने पहले भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

चमोली की खाद्य समस्या के बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी से भी कई बार भेंट की है, लेकिन मुझे दुख है कि उनकी तरफ से मुझे इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला और न आप की ओर से ही मिला। हां, उनके पी० ए० ने एक उत्तर मुझे दिया है, लेकिन उस में भी कोई खास बात नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि आप की खाद्य नीति में एक बड़ा भारी दोष है कि चाहे परिवार २१ व्यक्तियों का हो अथवा ८ व्यक्तियों का, आप लगभग ३० रुपये का ही राशन एक माह में एक परिवार को देते हैं, भले ही कुनबे में सदस्यों की संख्या कितनी ही हो। इसे आपको देखना चाहिये। सरकारी गल्ला परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से दिया जाना चाहिये। सरकारी अधिकारी भले ही एक हजार रुपया मासिक पाने वाला हो अथवा दो हजार, उसे भी सस्ता गल्ला मिलता है और जो गरीब आदमी है उसे नहीं मिलता। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आम गरीब जनता के अलावा जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास खेती नहीं है और उनके अतिरिक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनको आप सस्ता गल्ला दें। इसके लिये आप आमदनी की एक सीमा निर्धारित कर दें कि अमुक आमदनी तक वालों को सस्ता गल्ला दिया जायगा। लेकिन होता क्या है कि टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, सभी सस्ता गल्ला पाते हैं और इसलिये मूल समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। मेरे जिले में अधिकांश लोग हजारों की संख्या में फौज में हैं। ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद कई हजार है। घर पर उनकी स्त्रियां और बच्चे हैं। आज स्थिति यह है कि राशन पूरे तौर से दूकानों पर मिलता नहीं और वह १४, १५ और १८ मील दूर चल कर दूकान पर राशन लेने जाते हैं और उनको मुश्किल से दो चार रुपये का राशन मिलता है। आपको यह खयाल होना चाहिये कि यहां की परिस्थिति में और पहाड़ी प्रदेशों की भौमोलिक स्थिति में बहुत अन्तर है। वहां के लोगों को दूर-दूर से पैदल चल कर आना पड़ता है। अगर इतनी दूर पैदल चल कर वे बिना राशन वापस चले जायें और उनको गल्ला न मिल सके तो आप स्वयं सोचें कि इससे उनको कितनी परेशानी होगी और उनमें कितना असन्तोष होगा। जिसके घर में कोई मर्द न हो, औरत बच्चे ही हों, जिसका पिता फौज में हो और घर पर भूखों मरने की नौबत आ जावे तो फौज में जाने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसलिये उत्तराखंड व मैदानी इलाकों के लिये गल्ला बितरण की अलग-अलग व्यवस्था की जाय। पर्वतीय क्षेत्र के लिये विशेष व्यवस्था की जाय।

[श्री योगेश्वर प्रसाद]

इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है कि बहुत सारे गरीब व अनाथ परिवार वाल भी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और न कमाने वाला ही जिन परिवारों में है, ऐसे गरीब व अनाथ परिवारों के लिये सरकार को चाहिये कि मुफ्त गल्ला दे। पहले आप गरीबों की बहुत दुहाई दिया करते थे, और आपको खुद पहाड़ी प्रदेशों के गरीबों का अनुभव है कि वैसी गरीबी और कहीं नहीं है। मेरा खयाल है कि नेफा, लद्दाख व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेशों का तब तक विकास नहीं होगा जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से गरीबी के निराकरण के लिये कोई वास्तविक कदम नहीं उठाया जाता। वहां की हालत बहुत ही बुरी है, लोगों की क्रय-शक्ति खत्म हो गयी है। इसके लिये माल मंत्री व मुख्य मंत्री पर जोर डाला जाय कि वे इस बात को देखें। पहाड़ी इलाके में मैदानी इलाके से बहुत बुरी हालत है। जब तक उनकी आमदनी के लिये आप कोई साधन न मुहइया करें, उनको अनाज तकावी के रूप में दिया जाय और जो भी ऋण दिया जाय उसकी वसूली अनाज के बदले नकद के रूप में की जाय। चमोली जिले में कुलसारी और गैरसेन लोहबा में सस्ते गल्ले का सरकारी गल्ले का डिपो खोलने के लिये मैंने मांग की, जिला परामर्शदात्री समिति ने भी सिफारिश की है, लेकिन अभी तक उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो आप कृपा करके मेरी इस मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

वितरण व्यवस्था के बारे में भी बहुत सारी शिकायतें हैं। ब्लैक मारकेट में बहुत सारा सामान चला जाता है। चमोली जिले में खुले बाजार में चीनी ६ रु० किलो, गुड़ ५ रुपये भेली मिल रहा है। चावल ९०–१०० रुपये मन बिक रहा है तथा गेहूं ८०–८५ रुपये मन के लगभग बिक रहा है। मेरे क्षेत्र में गढ़वाल जिले की एक ब्लाक खिर्सु है। उस क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं है, इसकी वजह से खिर्सु क्षेत्र में अनाज के भावों पर बहुत असर पड़ता है। इसलिये आप वहां भी अनाज की पूरी व्यवस्था करें। इन भावों पर बहुत शीघ्र ध्यान दें। वरना इसका बहुत ही खराब नतीजा होगा।

इस बात को मैं नहीं मानता कि हमारे देश व प्रदेश में गल्ले की बहुत बड़ी कमी है। जितना भी सामान आप चाहें खुले बाजारों में ब्लैक में अधिक दामों पर मारकेट में मिल जाता है। अगर वास्तव में गल्ले की इतनी बड़ी कमी होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तब तो वस्तुएं किसी भी दाम पर बाजार में नहीं मिलनी चाहिए थीं। आप कृपा करके मेरे सुझावों को कार्यान्वित करें।

*श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, भाई चन्द्रबली सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इसलिये कि उन्होंने जिस प्रकार की बात उसमें कही है वह स्पष्ट नहीं है इसलिये उनका समर्थन करना हमारे लिये मुश्किल है। इसके साथ-साथ मैं खाद्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि उनका जो भाषण हुआ है उसमें उन्होंने कोई नयी घोषणा नहीं की है और न कोई ऐसी बात कही है जिसको सुन कर नयी प्रेरणा मिले। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज मैं उनसे इस बात की आशा लगाये बैठा था कि वे हाउस में इस बात का एलान करेंगे कि इस प्रदेश में अन्न के मामले में स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये। इसलिए कि स्टेट-ट्रेडिंग के बगैर कोई मसला खाद्य का हल नहीं हो सकता। मंत्री जी १५ साल तक विरोधी पक्ष में बैठे कम्युनिस्ट सदस्य थे। और आज भी हैं, तो जब इस मंत्रिमंडल में पहुंचे हैं तो क्यों स्टेट ट्रेडिंग नहीं करते जब कि उनको मालूम है कि कीमतें आसमान को छू रही हैं—खास तौर से गेहूं और चने की। ग्यारह, साढ़े ग्यारह छटांक का आटा लोग नहीं खरीद सकते। बीच का तबका बड़ा परेशान है। तो क्या वजह है कि वह स्टेट ट्रेडिंग नहीं करते।

(इस समय १ बज कर ५२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह उम्मीद करता हूं कि शाम को आपका रिप्लाई डिबेट यह होना चाहिए कि आप स्टेट ट्रेडिंग के फेवर में हैं और निश्चित तारीख आप कोई मुकर्रर करें जिस तारीख तक आप स्टेट ट्रेडिंग यहां करना चाहते हैं। आप अपनी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। इसलिए कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं, मूल-भूत आदमी हैं। हमने बाहर भी कहा है और अन्दर भी कहते रहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिए और जब गद्दी पर बैठे तो क्या परेशानी है इसे डिक्लेयर करने में? अगर परेशानी यह है कि मंत्रिमंडल में एक दो आदमी ऐसे हैं जो स्टेट ट्रेडिंग नहीं मानते तो वह न मानें, लेकिन जो हमारे सिद्धान्त हैं, जो अपनी राय है, जो उसूल हैं उनको आप क्यों नहीं मनवा सकते? अगर नहीं मनवा सकते तो क्या फर्ज अपना अंजाम दे रहे हैं? क्यों इस मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं?

मैं उनकी इस बात का स्वागत करूंगा कि जब से बैठे हैं तब से उन्होंने करप्शन को दूर करने की कोशिश की है, जिले में स्टाफ को रद्दोबदल किया है, लोगों को इधर-उधर हटाया है। बाहर से तस्कर व्यापार होता था, हमारा सामान चोरी से बाहर भेजा जाता था उसके लिए चेक पोस्ट कायम किये हैं और विजिलेंस सख्त किया है। उन्होंने यह कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे। मगर क्या इन्हीं बातों से करप्शन रुक जायगा? वह सख्त कदम आपका कब उठेगा? आज जब सारे प्रदेश के अन्दर ८ करोड़ जनता गल्ले की कमी की वजह से मर रही है, ऐसे ही बाहर से अनाज नहीं मिलता तो आपको स्टेट ट्रेडिंग की बात करनी चाहिए। अप्रैल में परचेजिंग स्कीम जारी की है उन्होंने, जिसका लक्ष्य ५ लाख टन का था, वह अभी पूरा नहीं हो सका। वह साढ़े तीन लाख रह गया, बल्कि उससे भी कम हो गया और उधर होर्डर्स और ब्लैक मार्केटीयर्स हर तरह से इस में लगे हुए हैं कि सरकार की परचेजिंग स्कीम को नाकामयाब करें और गवर्नमेंट जब ८५ रुपये, ८० रुपये में खरीद रही है, वे १३० रुपये में खरीद रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी स्कीमें उनके पास हैं जिससे वह प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा सकते हैं? ३ महीने उनको बैठे हुए हो गये। भले ही कुछ मंत्री नाराज हो जायं, इस मामल में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, तुरन्त ही घोषणा करनी चाहिए थी। सब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और कांग्रेस विरोधी दल वाले तो बहुत जोरों से पीछे पड़े हैं। ऐसी हालत में और कौन सा वक्त आवेगा? कौन सी मजबूरी है, मैं यह जानना चाहता हूं। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम सरकार में बैठे हो, अब क्या कर रहे हो? जिन्होंने हमारे साथ २० साल कंधे से कंधा मिला कर काम किया है, बड़ी-बड़ी स्पीचें दी जाती थीं, जलूस निकाले जाते थे और नारे लगाये जाते थे कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। क्या वजह है कि आप स्टेट ट्रेडिंग का ऐलान नहीं करते? क्या इसलिए कि गद्दियों से हटना पड़ेगा, कुछ लोगों को नाराज कर देंगे? यह सही है कि कुछ मंत्रियों में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, लेकिन आप स्टेट ट्रेडिंग कीजिये, हिम्मत कीजिये, उत्साह से काम लीजिये और तारीख निश्चित कीजिये कि फलां तारीख से होगी। किसी व्यापारी से, किसी दूसरे शख्स से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है।

मैं इससे सहमत हूं कि आपने एफिश्यंसी बढ़ाने के नाम पर एक फूड कमिश्नर की पोस्ट बढ़ा दी और एक विभाग उनका कायम कर दिया। वह क्यों बढ़ा दी? वे क्या काम अंजाम दे रहे हैं? इस तीन महीने के अन्दर क्या उन्होंने प्राइस डाउन करने में कोई मदद की, कोई तस्कर व्यापार को किसी पैमाने पर रोका है? चेक पोस्ट कायम करने की तो स्कीम आपकी थी ही। तो जबरदस्ती यह पोस्ट कायम कर दी और विभाग बढ़ा दिया, उससे लाखों रुपया खर्च होगा और कोई फायदा सूबे को नहीं होगा। यह काम तो जिला पूर्ति अधिकारी से हो सकता है, बड़े अफसरों की फौज बढ़ाने से, सेक्रेटेरियट बढ़ाने से करप्शन दूर नहीं होगा, न एफिश्यंसी आयेगी। इसलिए फौरन इस पोस्ट और मुहकमे को अबालिश करना चाहिए। क्या इससे एफीसिएन्सी बढ़ेगी? क्या इससे चीनी का ब्लैक कम होगा? फिर किस लिये आपने फूड कमिश्नर की नियुक्ति की?

[श्री शराफत हुसेन रिजवी]

आप कहते हैं कि गवर्नमेन्ट सहयोग नहीं देती । केन्द्रीय सरकार आगे चल कर भी आपको सहयोग नहीं देगी क्योंकि वहां उस पार्टी की सरकार है जिसको आपने गद्दी से उतारा है । लेकिन आपने इस बात को कैसे सहन कर लिया कि १ लाख २० हजार टन की जगह ६४ हजार टन मिला और आप न कुछ नहीं किया । चीनी का कोटा उन्होंने जितना कम किया आप ने उसे मान लिया । मैं पूछता हूं कि आपने उसके खिलाफ कौन-सा विरोध प्रकट किया । आप दिल्ली गये, बात करके चले आये, उन्होंने कोटा कम कर दिया, आप मान गये । मैं कहता हूं कि आप को केरल के चीफ मिनिस्टर से सबक लेना चाहिये था । दूसरे राज्यों से आपको सबक लेना चाहिये था । अगर केन्द्र की सरकार आपकी सहायता नहीं करती तो आप स्टेट ट्रेडिंग तो कर सकते थे । आपने केन्द्र से क्यों नहीं कहा कि अगर हमारे प्रदेश का कोटा कम किया गया तो प्रदेश में भुखमरी फैल जायगी, अराजकता फैल जायगी ? आज भी गेहूं १३०-१३५ रुपये के भाव से बिक रहा है । स्टेट ट्रेडिंग जब आप करना नहीं चाहते क्यों कि आप डरते हैं कहीं व्यापारी वर्ग नाराज न हो जाय, कहीं कुछ लोग नाराज न हो जायं, तो दूसरा आपके सामने रास्ता क्या है, वह बतलाइये ? आप फूड कमिश्नर से जवाब तलब कीजिये, मुरादाबाद जिले में जितना कोटा अनाज का निर्धारित था वह क्यों नहीं दिया गया ? मुरादाबाद में शहर को छोड़ कर, गांवों में एक भी किलो गेहूं फेयर प्राइस की दूकान से नहीं मिला । आपने कहा ५० हजार से अधिक की आबादी वाले कस्बों में हम फेयर प्राइस की दूकान खोलेंगे, मेरे यहां अमरोहा की ७५ हजार की आबादी है, वहां दूकान नहीं खोली गयी । आज बीड़ी मजदूर परेशान है, उसके लिये कोई इन्तजाम यह सरकार नहीं कर सकी है ।

जो हलवाई थे, हाकर्स थे, बिस्कुट बनाने वाले थे, उनके कोटे को आपने कम कर दिया । मुरादाबाद शहर में भले ही दो चार को आपने कोटा दे दिया हो मगर देहातमें जो बेकारीज हैं उन्हें आज एक दाना भी शकर नहीं मिल रही है । मैं पूछता हूं आपने उनके लिये क्या इन्तजाम किया ? मैं पूछता हूं कि क्या आपने केन्द्रीय सरकार से कहा कि यदि आपने कोटा नहीं बढ़ाया तो प्रदेश में अराजकता फैल जायगी ? आपके १९ प्वाइन्ट्स में यह है--खाद्य के व्यापार के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा। मैं जानना चाहूंगा कि तीन महीने के अन्दर आपने राज्य व्यापार की घोषणा क्यों नहीं की जो १९ प्वाइन्ट्स में से १५वें प्वाइन्ट पर कार्य-क्रम के रूप में दिया हुआ है । इसके अलावा आपके कार्यक्रम में पहला प्वाइन्ट यह दिया हुआ है कि हम बढ़ती हुई कीमतों को रोकेंगे । जब कांग्रेस सरकार गद्दियों पर बैठी थी तो उस समय गेहूं का भाव ४२-४३ रु० था और वही गुप्ता जी के बैठने पर ५८ रुपया हो गया था । जब आप बैठे तो फिर वह सस्ता हो गया था । अब फिर तीन महीने के अन्दर ही महंगाई हो गई है । इस तरह से हम कीमतों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं । इसका हल केवल राज्य व्यापार है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि स्टेट ट्रेडिंग से ही कुछ हो सकता है और जनता को ब्लैक मार्किटियरिंग से बचाइये ।

*श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य नीति में जो कट मोशन रक्खा गया है उसके विपक्ष में बोल रहा हूं । अभी जो सरकार के पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने ऐलान ऐसा किया था कि हम पक्ष में बोल रहे हैं लेकिन वे अगर अपना भाषण पढ़ें तो वह सम्पूर्ण भाषण विपक्ष का है । केवल यह कह देने से कि मैं पक्ष में बोल रहा हूं, पक्ष में नहीं हो जाता, उनके सब शब्द विपक्ष में ही थे और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको वापस लें । खाद्य मंत्री जी को शायद कुछ बातें कड़वी लगतीं इसलिये वे छोड़कर चले गये हैं । जब खाद्य मंत्री ने यहां पर प्रस्ताव पेश किया तो बड़े अदब के साथ कहा कि. . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह बजट की डिबेट हो रही है और मुझे इस बात का खेद है कि एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर इस समय मौजूद नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विशारद जी हैं ।

श्री चन्द्र कुमार--

तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह की बातें खाद्य मंत्री के सामने आती हैं । वह सब सही हैं । मैं आपके माध्यम द्वारा यह बताना चाहता हूं कि जो लांछन कांग्रेस शासन पर बीस साल तक लगाये जाते हैं वे सही हैं या गलत हैं इसका प्रमाण आने वाला इतिहास देगा, लेकिन इस अढ़ाई महीने में संयुक्त विधायक दल की सरकार में जो गिरानी हुई है और रिश्वतखोरी बढ़ी है, वहां खाद्य मंत्री को खाद्य मंत्री न कहकर भुखमरी मंत्री हम कहने को मजबूर हैं । श्रीमन्, बाराबंकी जिले में रुदौली कस्बा है । वहां प्रक्योरमेन्ट के सिलसिले में एक दाना नहीं पहुंचा । वहां पर ६ छटांक चावल और सात छटांक गेहूं का दाम पहुंच गया है । वहां भूखों मरने की नौबत आ गई है । २० मई को जिलाधीश को लिखित रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि यह प्रक्योरमेंन्ट बाराबंकी जिले में लगाया गया है । वह जिला संकट और सूखाग्रस्त घोषित किया गया था । उस पर जो लेवी लगाई गई उससे बाजार में अन्न आना बन्द हो गया और उसी से भूखों मरने की नौबत आई । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रुदौली ब्लाक में आत्महत्यायें शुरू हो गई हैं और उनकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज कराई गई है । वहां के अधिकारियों ने जांच की और सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार के माध्यम से उसमें कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है ।

खाद्य मंत्री जी ने बड़े जोरदार अल्फाज में कहा कि खाद्य के मसले को दलबन्दी से ऊपर सोचना चाहिये । लेकिन दलबन्दी से ही तो सरकार गठित होती है और आप सरकारी पक्ष में बैठे हैं और आपसे यह भावना नहीं छूट सकती है तो हमसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ? अभी माननीय सदस्य शराफत हुसैन रिजवी की कड़वी बात से हमारे माननीय खाद्य मंत्री सदन छोड़कर चले गये और अगर वे होते तो मैं और भी बातें उनके समक्ष कहता । हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग-अलग होते हैं । यह १९ प्वाइन्ट वाला प्रोग्राम ठीक हाथी के दिखाने वाले दांत हैं । खानवाले नहीं हैं ।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई मंत्री यहां नहीं हैं । अभी हमारे माननीय मंत्री खड़े हुये तो उन्होंने उनको माननीय सदस्य कह कर उच्चारण किया । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री चन्द्रकुमार--

अन्न के उत्पादन के लिये पानी, बिजली और सड़क, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं । ढाई महीने की सरकार ने पहले बिजली पर और दूसरे पानी पर प्रहार किया । बाराबंकी जिले की नहरों के सभी कुलाबे उखाड़ दिये गये यह कहकर कि सुल्तानपुर जिले में पानी नहीं पहुंचता है । १ फुट के कुलाबों की जगह ३ और ४ इंच के कुलाबे लगाये गये, जिसके कारण हजारों, करोड़ों बीघा जमीन नहीं सींची जा सकेगी ।

यह कहा गया कि कांग्रेस सरकार ४ फर्लांग तक बिजली फ्री देती थी और अब १ फर्लांग कर दिया गया है । लेकिन अब किसान को १ हजार रुपया देना पड़ता है । अगर कोई किसान ट्यूबवैल लगाना चाहता है तो उसे ४ हजार रुपया बिजली का और ८ हजार रुपया ट्यूबवैल के लिये देना होगा । इस प्रकार कृषि के काम में बाधा होने से उत्पादन नहीं बढ़ सकता है ।

[श्री चन्द्र कुमार]

खाद्य नीति के बारे में, जैसा शराफत हुसैन रिजवी साहब ने कहा, "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खूंन निकला"। झारखंडे राय जी कहा करते थे कि राज्य व्यापार होगा। उसे वे अभी तक लागू क्यों नहीं कर सके ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एलान किया गया था कि क उंसिल से कोई भी सदस्य मिनिस्टर नहीं लिया जायगा। लेकिन माननीय चरणसिंह जी मजबूर हो गये और रामप्रकाश जी गुप्ता को उप मुख्य मंत्री का पद देना पड़ा। कांग्रेस पर यह लांछन लगाया जाता था कि पद की लोलुपता है, लेकिन यह इस प्रदेश का पहला उदाहरण है कि यहां उप मुख्य मंत्री का पद बनाया गया। उन्हीं के कहने पर वह राज्य व्यापार न करने को मजबूर हो गये। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार के जिम्मेदार यही लोग हैं।

दूसरी बात मैं बाराबंकी जिले की यह कहना चाहता हूं कि २८०० बीघा जमीन सीलिंग की थी। १६ जून को बाराबंकी के किसानों ने विराट प्रदर्शन वहां के जिलाधीश के बंगले के सामने किया। आज जब पानी बरस गया है तो खेती करने के लिये वह जमीन किसानों को दे दीजिये। वह जमीन आज तक एलाट नहीं की गई है। केवल यहां बैठकर भाषण के प्रयोग से अन्न संकट दूर करना केवल एक थोथी बात होगी।

सरकार की ओर से जो भी लाइसेंन्स सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये दिये गये हैं वे ऐसे लोगों को दिये गये हैं जो इंस्पेक्टरों से मिलकर खूब ब्लैक करते हैं। उनसे मिलकर तरह-तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। यहां पर जो व्याख्यान चीनी के बारे में दिया गया वह असत्य है। हलवाइयों को २५ फीसदी भी चीनी नहीं दी गई। यह बाराबंकी और लखनऊ में है। देहात में रहने वाले हलवाइयों को १ परसेन्ट भी कोटा नहीं है, बल्कि उनका कोटा बिलकुल समाप्त कर दिया गया है और उस पर भी चीनी का इतना घोर संकट है। इसके पहले श्री चन्द्रबली सिंह जी ने कहा कि और मेरे पास भी प्रमाण है, यह सच है कि सप्लाई आफिसों पर विशेष तौर से कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला है और उनके सदस्य और संयुक्त विधायक दल के सभी सदस्य मिलजुलकर चीनी को परमिटें हासिल करके ब्लैक करते हैं और उसका धंधा बनाये हुये हैं। सरकार की ओर से जो भी आदेश हो, लेकिन बाराबंकी जिले के जिलाधीश के अलग ही आदेश हैं। एक क्विंटल गेहूं पर आधा किलो तक चीनी दी जाती है और उसके बाद यह नौबत आ गई है कि अब आधा किलो भी नहीं मिलती है। देहाती क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का अभाव है। वहां इसका जल्दी प्रबन्ध होना चाहिये।

यह भी यहां कहा गया कि किसान खुशी से लेवी का गल्ला देता है। मैं बाराबंकी जिले में रुदौली, मवई और दरियाबाद की मिसाल देता हूं। एक आदमी के ऊपर ४ क्विंटल गल्ला लगाया गया। वह परती जमीन थी जिसमें धान की खेती होती है। उसकी अपील पर कोई सुनवाई न हुई। जब वह गल्ला नहीं दे सका तो कुर्की में ३ मन गल्ला उसका ले लिया गया सरकार ८५ रुपये के भाव और ५० रुपये ब्लैक मार्केट का पैसा उससे वसूल किया गया। यहां यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि सरकार को लेवी हंसमुखी से मिल रही है। इस तरह की नीति से खाद्य नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वितरण और उत्पादन की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का भाषण सुना। उससे मेरे दिमाग में यह आया कि "रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों ही से न टपके तो लहू क्या है ?" वह हमको तो नतीजा चाहिये। मंत्री जी ने चैक पोस्ट का भी जिक्र किया। एक चैक पोस्ट मेरी कांस्टीट्युएन्सी में भी है। उसके आगे ३०,००० के करीब इंडस्ट्रियल लेबर रहता है। उस चैक पोस्ट के आगे हमें एक किलो गेहूं ले जाने की इजाजत है। उस एक किलो गेहूं से इन्डस्ट्रियल वर्कर कैसे गुजर कर सकता है ? दूसरे उसमें कोई तुक भी नहीं है। क्योंकि उसके एक तरफ तो हरियाना प्रान्त है और दूसरी तरफ दिल्ली है, जहां यहां से सस्ता गल्ला है। इसलिये वहां किसी प्रकार की रोक लगाने

की जरूरत ही नहीं थी । लेकिन माननीय मंत्री जी के दिमाग में तो इसका मीनिया था । कारखाने के लोगों के लिये वहां पर फेयर प्राइस शाप खोली गयी है जिसको एक सेर अनाज अथवा चीनी नहीं दी गयी है । इसके लिये इन्डस्ट्रियल लेबर में काफी असन्तोष है । वहां पर जो दूकानदार हैं उनकोभी दूकानदारी का सामान नहीं मिल पाता है । जनता यह नहीं देखती कि यहां पर कौन सा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, उसको तो सस्ता अनाज मिलना चाहिये कोई कांग्रेस की गवर्नमेन्ट हो अथवा किसी दूसरी पार्टी की हो । लेकिन यहां की हालत तो यह है कि मस्जिद तो शब भर में बना ली ईमां के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका । उन्हीं पुराने तरीकों से कैसे कोई सुधार हो सकता है ?

कोआपरेटिव का बहुत जिक्र किया गया । मुझे नहीं पता कि कोई भी सरकारी या कोआपरेटिव का कारखाना प्राफिट में चल रहा हो । सिंदरी में खाद्य का कारखाना लगाया लेकिन जब तक श्री श्रीराम वहां नहीं पहुंचे उसमें नुकसान ही होता रहा । कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रियां बहुत सी चल रही हैं उनमें से भी किसी में मुनाफा नहीं है । इसलिये प्राइवेट फैक्टरी को आपको उत्साह देना चाहिये क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके उन्नति कर रही है ।

चीनी के मुताल्लिक बहुत शोर हुआ । २१ तारीख को माननीय मंत्री जी ने कहा कि शुगर फैक्टरी वाले ब्लैक मार्केटिंग करते हैं । मैंने प्रोटेस्ट किया लेकिन किसी टैक्नीकेलिटी की वजह से वह नहीं माना गया । मैं उसको जानता नहीं हूं । लेकिन मैं आज बता देना चाहता कि चीनी का वितरण किस प्रकार है । जब चीनी कारखाने में तैयार हो जाती है तो वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अन्डर में आ जाती है । सरकार के इन्सपेक्टर्स वहां रहते हैं । और सेन्ट्रल गवनमेन्ट स्टेट की पापुलेशन को देखते हुये हर स्टेट के लिये कोटा निर्धारित कर देती है। और उसी के अनुसार प्रान्तीय सरकार अथोराइज्ड डीलर्स को परमिट दे देती है । जब चीनी सड़क पर पहुंच गयी तो मिल मालिक का उसमें हिस्सा किस प्रकार से हो गया । अब यह एजेन्ट लोग कुछ करते हों तो दूसरी बात है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि खांडसारी कितनी बनी ? खांडसारी की अभी तक ४ लाख टन की एस्टीमेटेड फिगर्स हैं । मैंने मंत्री जी से कहा था कि आप इसको सीज कर लीजिये तो कम से कम आपके प्रान्त में तो चीनी की दशा ठीक हो जायगी और हमारे हिसाब से सबको मिल जानी चाहिये । खांडसारी उद्योग को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये क्योंकि गल्ले से जो रिकवरी होती है वह सौ मन पर साढ़े ९ प्रतिशत होती है और खांडसारी की रिकवरी केवल ७ प्रतिशत ही होती है । इस का मतलब यह है कि सौ मन गल्ले पर ढाई प्रतिशत का हम लास करते हैं और इतनी चीनी को हम आग में झोंक देते हैं क्योंकि वह उस में रस पकाते हैं । इस तरह से डेढ़ लाख टन चीनी हम ने खांडसारी को प्रोत्साहन देने में आग में फेंक दिया । आज जब कि शुगर फैक्टरीज को पूरे सीजन गन्ना नहीं मिलता और हाहाकार मचती है । हो सकता है कि इस साल चुनाव के सिलसिले में तमाम दल अपने लोगों को खुश करने में लगे रहे हों लेकिन जब इस तरह से एक नेशनल वेस्टेज होता है और डेढ़ लाख टन चीनी भट्टी में झुक जाती है और जनता को नुकसान होता है । हल बताने की बात ही जाती है तो मैं इस समस्या का हल बताऊंगा । मानें या न मानें आपकी मर्जी ; लेकिन यह जो खांडसारी उद्योग है इस पर केन रेगुलेशन (सप्लाईज एन्ड परचेज) ऐक्ट लगाना चाहिये और उस को गन्ना केन सोसाइटीज की मारफत ही सप्लाई होना चाहिये । इस से सही फिगर मालूम हो सकेगी कि कितनी खांडसारी चीनी बनी । खंडसारी पर सेन्ट्रल एक्साइज वालों ने ४०० से ११२० मन ड्यूटी प्रति सप्ताह लगा रखी है, उस को हो सही तखमीना नहीं लगा मिलता कि कितनी खंडसारी वाकई में बनी है । अगर कहीं खांडसारी डेढ़ सौ मन बनती है तो कोई पूरे मिकदार नहीं दिखाता कि इतनी बनी है, जो असिल मिकदार होती है वह कहीं ऊपर होती है । अगर आप इन खांडसारी वालों के लिये भी कम्पलसरी कर देंगे कि वह भी केन सोसाइटियों के जरिये से ही खरीदें गन्ना तब चीनी सूबे में ज्यादा मिल सकेगी ।

[श्री जी० एस० चौधरी]

गुड़ भी हमारे यहां ४५ लाख टन सालाना बनता है, वह काश्तकारों की अपनी चीज है, उस पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय । किसानों के पास क्रशर लगाने के साधन नहीं हैं वर्ना वह भी चीनी बना सकते थे और ज्यादा रिकवरी हो सकती थी । मेरा सुझाव है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को अप्रोच किया गाय कि वह शुगर फैक्टरीज को इनसेंन्टिव देता कि ज्यादा चीनी बने । आप लोग सफेद चीनी ज्यादा पसन्द करते हैं अगर ऐसा न करेंगे तो आप को सफेद चीनी आगे नहीं मिलेगी । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सन् ६२-६३ में इनसेन्टिव दिया था उसी तरह से चीनी मिल को इनसेन्टिव देना चाहिये । उस वक्त था ६५-६६ में कि जो मिलें साढ़े १३ लाख टन चीनी बनायेंगी उन को केन सेस और एक्साइज ड्यूटी फ्री कर दिया जायगा । इस तरह से अब भी किया जाय तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, इस से चीनी अधिक बनेगी और भावों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा । शुगर मिल्स को भी प्रायर्टी इंडस्ट्रिज में लाया जाय ताकि डेवलपमेंट रिबेट करों में भी उसे रिलीफ मिल सकते ।

दूसरे यह कि शक्कर की जहां जैसी पैदावार हो और आबादी के लिहाज से राशन के लिये चीनी दी जाय और जो बकाया चीनी मिलों के पास हो उस को डिकंट्रोल कर दिया जाय ताकि उसके भाव अधिक न बढ़ सकें । इसके अलावा हमारे यहां के गन्ने में शुगर कन्टेंट १२ परसेन्ट है जब कि महाराष्ट्र में वह १५ परसेन्ट और जावा में १८ परसेंट है । हमें अपने यहां उन किस्मों को फैलाना चाहिये जिन में शुगर कन्टेंट अधिक हैं और इस से हमारी ईल्ड बढ़ सकती है । ३१२ गन्ने की बहुत बात हुई, वह गन्ना पहले की तरह न तो क्वान्टिटी में और न क्वालिटी में ही ठीक उतरा । वह तो खुद ही मर गया । उससे भी चीनी मिलों को नुकसान हुआ है ।

गन्ने के भाव मुकर्रर हैं, लेबर के दाम मुकर्रर हैं तो एक्साइज ड्यूटी जो है अगर उसको ५७ के करीब ले आवें तो चीनी सस्ती जरूर हो जायेगी । इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और जो इन्डस्ट्री इस समय क्राइसिस में है, वह भी फायदे में रहेगी ।

अनाज के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो एक किलो अनाज ले जाने की बंदिश है कि कारखाने के मजदूर केवल एक किलो अनाज ले जा सकते हैं, उसको समाप्त किया जाय । मैंने उसके बारे में २४ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी व लेबर व उद्योग मंत्री जी को तार भेजे थे लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे तुरन्त कार्यवाही करें ताकि पब्लिक को फायदा पहुंचे ।

श्री राज किशोर (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे माननीय चन्द्रबलीसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस सदन में सदन के माननीय सदस्यों को आवाहन करके एक प्रेरणा दी है कि आज खाद्य समस्या देश के सभी दल और निवासियों की समस्या है । मैं समझता हूं जो लोग राजनीति का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, या इस देश के नागरिक होने का गर्व करते हैं, उन्हें भली-भांति ज्ञान है कि खाद्य समस्या किसी व्यक्ति विशेष की न होकर सारे देश के निवासियों की समस्या है । यदि इस देश के निवासियों की जिन्दगी रहेगी तो देश की सारी समस्या हल हो जायेगी । मेरी स्वयं की इच्छा भी है कि खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाये जायें देश की सहायता के लिये, तो एक संस्था के सिपाही की हैसियत से मुझे उसको स्वीकार करना चाहिये लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो भी विचार हमारे सामने आये हैं, उससे और सरकार चलाने वाले दल के लोगों के विचारों से उसकी कसौटी पर कसने के बाद मैंने देखा कि वे लोग इस समस्या से घबरा कर भागना चाहते हैं और जब ऐसा महसूस होता है तो स्वाभाविक हो जाता है कि अपने दिल के अरमान जो लेकर बैठे थे, कैसे वे इस समस्या को हल कर पायेंगे ? हमने देखा कि इन ३ महीनों में इन्होंने एक भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया जिससे हमारे प्रदेश की जनता जो आज भुखमरी का शिकार है, विशेष रूप से पूर्वी अंचलों में-जैसे मिर्जापुर की समस्या

है जिस के बारे में आये दिन इस सदन में सवाल उठा करते हैं कुछ राहत की सांस लेती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि वह केवल मिर्जापुर की बात नहीं है, बल्कि पूर्वी अंचल के जितने जिले हैं उस से प्रभावित हैं। उसी प्रकार की समस्या जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और तमाम पूर्वी जिलों में है। एक ढंग से वहां के नागरिकों का जीवन है। जो सुझाव उधर से हमारे सामने आये, जैसा मैंने कहा, वह समस्याओं से भाग रहे हैं और यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि समस्याओं के बारे में कोई तर्क पेश न करके बार बार २० वर्ष की बात कह कर वर्तमान सरकार वैतरणी पार करना चाहती है। इसके अलावा और कोई काम उन का नहीं है। मैं कहता हूं कि २० वर्ष मुझे मुबारक हों और आप को ४२० मुबारक हों। कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया वह देश के सामने मौजूद है। जिन लोगों को इन्सानियत का अधिकार नहीं था उन्हें इंसान बनाने का गौरव कांग्रेस को प्राप्त हुआ इन २० वर्षों में। सदन में कुछ नौजवान खड़े हो जाते हैं और २० वर्ष का नाम लेते हैं जिनकी कुल आयु २० वर्ष की है। उन को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने देश को हरा भरा देखा और यह देखा कि उन के जैसे जो गरीब घर में पैदा हुये थे आज वह विधान सभा में बैठ कर मंत्री का स्थान ग्रहण कर रहे हैं, विधान सभा के मेम्बर हैं। २० वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है।

आज खाद्य की क्या दुर्दशा है? जिस दिन कांग्रेस सरकार बदलने वाली थी उस के पहले इसी स्थान से बैठकर माननीय विकल जी ने कहा था कि मेरी सरकार हो जायगी तो यहां भाव घटने लगेंगे। उन्होंने बंगाल का हवाला दिया था। मालूम होता था कि उन के आने से ही सस्ती आ जायगी। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। मैंने अपने साथियों से कहा था कि जो माननीय विकल जी ने कहा है मैं समझता हूं उस का कारण क्या है। जनरल अयूब जब पाकिस्तान में पावर में आये थे तो उन्होंने इस तरह का ऐलान किया था कि हम भावों को सस्ता कर देंगे और डंडे के बल पर उन्होंने कुछ दिन भाव सस्ते कराये। उसी तरह से यहां जनता ने सोचा कि न जाने आने वाली सरकार का क्या रुख हो, इसलिये कुछ दिन के लिये भाव सस्ते हो गये। लेकिन जब जनता ने देखा कि दोनों सरकारों में कोई फर्क नहीं है तो भाव फिर चढ़ गये। यह सरकार कांग्रेस सरकार की नकल ही कर रही है, इसलिये जनता ने समझ लिया है कि इन में कोई दम नहीं है। मैं एक मिसाल दूं, जिस कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट सरकार कहा जाता है, मैं दोनों के जमाने के भाव, दो स्थानों के बारे में देना चाहता हूं।

मैं इस समय लखनऊ तथा अपने जिले जौनपुर की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। लखनऊ में डेढ़ रुपये से पौने दो रुपये किलो तक गेहूं मिल रहा है और चीनी तो अधिकांश ऐसे सदस्य होंगे जो साढ़े ४ रुपये से लेकर ५ रुपये किलो तक की चीनी खरीद कर चाय पीते हैं। मेरे जिले में कांग्रेस सरकार के जमाने में गेहूं १ रुपये से सवा रुपये सेर तक बिकता था और आज ११ छटांक का है। डेढ़ सेर का जो बिकता था जो कि आज १४ छटांक का है। मेरा जिला बड़ा गरीब जिला है। वहां एक वर्ग ऐसा है जो गरीबों का है और जो चोटे का शर्बत पीकर अपनी जिन्दगी बसर करता था। चोटा पहले ३ सेर का बिकता था जो कि आज १३ छटांक का बिकता है। जो यह सरकार अपने को ८ करोड़ जनता की प्रतिनिधि बतलाती है कब इन भावों को खत्म करेगी?

हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि वे युद्ध स्तर पर खाद्य समस्या को सुलझाना चाहते हैं। खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये खाद्य मोर्चे का सबसे बड़ा सैनिक किसान होता है लेकिन इस सरकार के आने पर किसानों को घोर निराशा हुई है। इस सरकार के दो कदम उठे हैं उस निराशा को बढ़ाने के लिये। एक तो सरकार ने कृपा करके किसानों पर लैवी लगाई है जिसके लिये तारीफ होती है कि किसान बड़ी खुशी से दे रहा है।

दूसरे जिलों की बात मैं नहीं जानता लेकिन जौनपुर में लैवी किस तरह से वसूल होती है? अन्य मित्रों ने कहा कि उनके यहां लेवी वसूल नहीं हो रही है लेकिन जौनपुर में लेवी के नाम पर किसानों से रुपया लेकर बनियों से गल्ला खरीद लिया जाता है। जहां से मैं निर्वाचित हो कर

[श्री राजकिशोर]

आया हूं, वहां की दुख दर्द की कहानी लिख कर मैंने माननीय झारखंडे राय जी को दी। तीन वर्ष से निरन्तर वहां वज्रपात हो रहा है। एक-एक सेर का ओला मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में पड़ा है। किसानों की हालत खराब हो गई है और वहां के जिलाधिकारी ने जानबूझ कर ओले की रिपोर्ट गलत दी है। मैंने उनसे निवेदन किया कि वे चारों तरफ घूम रहे ह, एक दिन के लिये मेरे यहां भी चलकर गरीबी देख लें, किसानों की दुर्दशा देख लें और फिर जो चाहें फैसला करें लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद मेरी वह दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। उन किसानों के खेतों में ३ वर्ष से गल्ला नहीं हुआ, हजारों पशु मर गये और सरकारी अधिकारी जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र मड़ियाहूं में जो ओला पड़ा उसके लिये उनका कहना है कि हमने तो देखा नहीं। मैंने बार-बार वहां के जिलाधीश से कहा कि आप वहां की दुर्दशा अपनी आंख से चलकर देखिये कि वहां ओला पड़ा है या नहीं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी और वह गये नहीं। लेकिन, श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूं कि आज वहां जिस तरह से बलपूर्वक गल्ला वसूल किया जा रहा है उससे मुझे इतिहास के जजिया कर की याद आजाती है। गल्ला खुशी से देने की बात तो माननीय झारखंडे राय जी जानें, मैं तो एक किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं लेकिन अगर इस तरह की कोई लिस्ट बनायी जाय हमारे पूर्वी जिलों के गल्ला देने वालों की और उस लिस्ट के आधार पर चुनाव लड़ा जाय तो मैं सहर्ष माननीय झारखंडे राय जी के मुकाबले में चुनाव लड़ने के लिये तैयार हूं और अगर वह उस चुनाव में नाकामयाब रहें तो हम यह समझेंगे कि वह हमारे सदन को और इस प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे थे। हम देखते हैं कि आज लेवी के नाम पर लोग तौले जा रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि वह डंडे के बल पर दे रहे हैं, कभी खुशी से नहीं दे रहे हैं। (लाल बत्ती जलने पर) लाल बत्ती जल गयी है। सोचा था कि बहुत कुछ कहूंगा लेकिन लाल बत्ती जल गयी। मैं आप से नम्रता से निवेदन करता हूं कि अगर आपका कोई ईमानदार कदम उठेगा और मैं यह देखूंगा कि वह किसानों के हित में है तो मैं विरोध इसलिये नहीं करूंगा कि कम से कम प्रदेश की जनता आपके शासन को देखे और समझे कि आप जो कुछ कहते हैं उसमें एक प्रकार का आत्मिक बल होता है या केवल प्रोपेगेंडा मात्र होता है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो खाद्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। यह सही है कि आज हमारे प्रदेश और देश में खाद्यान्नों का सवाल और कीमतों का सवाल एक अहम सवाल है। इसको बड़े हल्के फुल्के तरीके से, साधारण दृष्टि से देख कर के हल नहीं किया जा सकता। यह एक राष्ट्रीय सवाल है जिसको राष्ट्रीय पैमाने पर देश और प्रदेश के सभी लोगों को मिल कर हल करना होगा। माननीय चन्द्रबली सिंह जी भले ही इस बात से सहमत न हों कि यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है, लेकिन इस बात से जरूर सहमत होंगे कि यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह केवल सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस या जनसंघ किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है बल्कि आज यह पूरे प्रदेश और देश की जनता का प्रश्न है। हम सदन में बैठकर आपकी आलोचना कर लें और आप हमारी आलोचना कर लें इससे संतोष नहीं हो सकता और न समस्या का हल ही हो सकता है। जो प्रदेश की बिगड़ती हुई हालत है उसको झारखंडे राय जी या कोई भी यहां बिठाल दिया जाय, ढाई महीने में हल नहीं कर सकता। आप भी हल नहीं कर सकते, यह बात सही है कि आज हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी है। बढ़ती हुई कीमतों का सवाल है। इन दो सवालों को हल करने की आवश्यकता है। खाद्य मंत्री जी ने इस विषय में जो कदम उठाये हैं उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि दो चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि वे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें केन्द्र हमारा सहयोग करे और हम इसकी अपेक्षा भी करते हैं। लेकिन खाद्य मंत्री जी को यह समझ कर चलना चाहिये कि इन प्रश्नों को हमें हल करना है और केन्द्र से जो हम सहयोग चाहते हैं वह हमें नहीं मिलेगा, फिर भी हमें हल करना है।

पहला सवाल आज बढ़ती हुई कीमतों का है। आज आप घोषणा करते हैं कि ८५ रु० क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे और १०० रुपये के हिसाब से बेचेंगे, तो फिर आप इन व्यापारियों को क्यों नहीं मजबूर करते कि वे भी १०० रुपये क्विंटल के दिसाब से गेहूं बेचें। आपको इस तरफ कदम उठाना चाहिये और सख्ती के साथ उठाना चाहिये। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने बहुत से आर्डर गिनाये जैसे होर्डिंग आर्डर, मूवमेंट आर्डर आदि, उनको सख्ती के साथ लागू कीजिये। अगर उनमें कोई कमी है तो उनको संशोधित करके समय के अनुरूप बनाया जाय इस तरफ हमारा प्रयास होना चादिये।

आज कीमतें बढ़ती चली जायं और हम तमाशबीन की तरह से देखते जायं, तो इसको जनता अधिक समय तक बरदाश्त नहीं कर सकती है। वह न इनको क्षमा करेगी और न हमको क्षमा करेगी। यह तो दोषी हैं ही इसलिये निकाले गये हैं और अगर हम भी न संभाल पाये तो ठीक नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार ने एलान किया और तम्बाकू पर ड्यूटी बढ़ा दी तो हमारे यहां सिगरेट वालों ने सिगरेट का स्टाक रोक लिया और कीमतें अनाप शनाप बढ़ा दीं। अब सिगरेटों की कीमतें ड्योढ़ी हो गई हैं। क्या हम तमाशबीन की तरह से देखते रहें? क्या हमारी सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती थी इस तरफ हमारा स्यान जाना चाहिये। आज कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं उनको रोकने का पहला प्रश्न है। जब तक दूसरे प्रदेशों में भी कीमतें न बांधी जायं तब तक अकेले हमारे प्रदेश में बांधने से काम नहीं चल सकता है। लेकिन हमारा प्रयास तो होना चाहिये। हम बढ़ती हुई कौमतों को रोकने का प्रयास करें।

दूसरा प्रश्न राजकीय व्यापार का है। हमको खाद्यान्न के मामले में इस ओर बढ़ना चाहिये। इसमें दिक्कतें हैं और जब तक केन्द्र से हमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसमें सफलता मिलनी मुश्किल है। केन्द्र ने तो १९५९ में इसको करने का प्रस्ताव पास किया था लेकिन उस समय से अभी तक नहीं कर सकी। इसलिये यदि आप उससे अपेक्षा करें कि केन्द्र का सहयोग मिलेगा तो यह आपका कोरा भ्रम है। इसको सोचकर चलिये कि केन्द्र सहयोग नहीं देगा लेकिन हम लागू करेंगे। इस काम में बहुत सी दिक्कतें आयेंगी लेकिन उनसे हमें निबटना है। जब तक यह नहीं होगा तब तक काम नहीं चल सकता है। आज छोटे किसान साधारण जनता और आम लोग आपको सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन चन्द लोग बड़े बड़े किसान, फार्म वाले और मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि आपकी नौकरशाही के कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर ऐसा चाहते हैं कि आपकी स्कीमें फेल हो जायं। ये लोग आपके कदम को नाकारा साबित करना चाहते हैं। इस गग को आपको तोड़ना होगा। इसका एकमात्र रास्ता ही राज्य व्यापार है। आज व्यापारी लिमिट से ज्यादा गल्ला खरीद कर गांवों में रख देते हैं। गांव के बड़े-बड़े किसान इन लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। मिल जुलकर होर्डिंग को बढ़ा रहे हैं और ये लोग प्रदेश की जनता को भूखों मारकर मुनाफा कमायेंगे। इस मनोवृत्ति से लड़ने के लिये आपको राष्ट्रीय व्यापार की ओर बढ़ना है। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। शकर के संबंध में केन्द्र ने कोटा घटा दिया। २८ हजार क्विंटल को २० हजार, और अब १६ हजार और १५ हजार क्विंटल कर दिया। शकर के मामले में केन्द्रीय सरकार के मुहताज हैं। यह उनका विषय है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है। सूबे के पैमाने पर जितनी कमी आवे उसका वितरण समान रूप से होना चाहिये। जो कमी होती है वह देहातों में की जाती है। देहातों के हलवाइयों का पहले से ही बड़ी किफायत के साथ, बड़ी सख्ती के साथा कोटा फिक्स किया गया है लेकिन बड़े बड़े रेस्ट्रां होटल और लाइम-जूस की दूकानों को बड़ी उदारता से कोटे दिये गये हैं। ३० परसेंट जब कोटा में कमी हुई तो देहात वालों का कोटा काट दिया गया लेकिन शहर वालों के जो बड़े-बड़े कोटे थे उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आयी। लखनऊ में ही चाहे चौधरी स्वीट हाउस हो, चाहे मोती महल हो, या रायल कैफे हो, या दौराला लाइम जूस की फैक्टरी हो, एक हजार बोरे महीने के परमिट हैं। आप जांच करवाइये कि उनका कंजम्पशन कैसे होता है। आया वह शकर के बोरे सही इस्तेमाल होते हैं या नहीं और जो कटौती करें वह देहात के हिस्से में ही न पड़ जाय।

[श्री भीखलाल]

शहर में जो राशन कार्ड हैं उनकी भी आप फिर से जांच कराइये। हम देखकर चकित रह जाते हैं। हम भी महंगाई के शिकार हैं। माननीय सदस्यों के जो एमालूमेंट्स हैं और जो फर्ज हैं उनको देखते हुये वह भी महंगाई के शिकार हैं। लेकिन जब भी चौधरी स्वीट हाउस, रायल कैफे की तरफ निगाह डालिये या प्रिंस सिनेमा की तरफ निगाह डालिये तो मालूम होता है कि महंगाई है ही नहीं। उस वर्ग को जिसको राशन कार्ड पर गेहूं, चावल की जरूरत नहीं है उसके राशन कार्ड रद्द किये जायं और जो चार छटांक गरीब को देते हैं जिसको खाने को नहीं मिल रहा है उनको बढ़ाइये। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपार धन है और जिनको खर्च करने के लिये साधन नहीं मिल रहे हैं, वह रेस्ट्रां में गुलछर्रे उड़ाते हैं, उनके राशन कार्ड बन्द होने चाहियें।

प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में बड़ा शोर मचाया गया कि किसान उसका विरोधी है। आपने शुरू में आठ प्रतिशत किसान से गल्ला मांगा, जब और सुझाव आये सामने तो चार फीसदी किसान रह गये। करीब ढाई लाख टन का जो कोटा फिक्स किया गया था दो लाख पूरा हुआ है। बहुत से जिलों में कोटा पूरा करके एक्सीड कर गया है। उन्नाव जिले में १५० फीसदी हो गया है लेकिन इस तफतीश का दूसरा रुख भी है। १५० प्रतिशत वसूल होने के बाद भी काफी परसेन्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने गल्ला नहीं दिया है, जिनको गल्ला देना है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि लक्ष्य कैसे पूरा हुआ। बिना सख्ती के हमारे यहां के किसानों ने स्वेच्छा से गल्ला दिया है, हमारे अपने क्षेत्र के काश्तकारों ने स्वयं चन्दौली के केन्द्र स्थापित करके जिलाधीश को बुलाकर १०० क्विंटल गल्ला दिया है। लेकिन इसके साथ-साथ जिन लोगों के नाम नोटिस थे और जो बड़े-बड़े किसान थे और जो १००-१००,२००-२०० बीघा के किसान हैं तथा जो किसी राजनीतिक पार्टियों का प्रश्रय पा रहे हैं वे लोग सरकार को गल्ला नहीं दे रहे हैं और छोटे किसान दे रहे हैं उन्हें भी तरह-तरह से भड़का रहे हैं जिस से इस सरकार की स्कीम फेल हो जाये। आज ३० तारीख हो रही है और कल एक तारीख हो जायेगी और गल्ला वसूली की अवधि समाप्त हो जावेगी किन्तु जिन किसानों ने अब तक गल्ला नहीं दिया है यदि टारगेट पूरा हो जाने के कारण उनको छोड़ दिया गया यों ही तो इसका नतीजा आगे चलकर अच्छा नहीं निकलेगा। यदि बड़े किसान बच निकले तो खरीफ की योजना आपकी वसूली की फेल हो जायेगी। क्योंकि छोटा किसान भी सोचेगा कि न देने से जब यह बच सकते हैं तो हम भी बच जायें और अपना गल्ला सरकार को न दें। आपको रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिसमें क्षमता हो फिर भी न दे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। परचेजिंग सेन्टर आपने कायम किये। लेकिन आपकी यह स्कीम टेम्पोरोरी नहीं है। आपको हर शक्ल में प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा इसलिये जहां पर प्राइवेट एजेन्ट्स इस वर्ष नियुक्त किये गये हैं वहां पर आप सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कीजिये और उनके जरिये से गल्ला खरीदिये और उन्हीं के जरिये से किसानों को उनकी जरूरत की चीजें दीजिये चाहे शकर हो, चाहे मिट्टी का तेल हो और चाहे सीमेंट और डालडा हो। इन चीजों को आप उसे फेयर प्राइज पर दीजिये जिससे कि किसानों का हौसला बढ़ सके और वे आपको अधिकाधिक गल्ला देने में आगे बढ़ सकें। लेकिन आज इसके विपरित हो रहा है, जो बड़े-बड़े किसान हैं इन्सेन्टिव उन्हें मिल रहा है। बन्दूक के लाइसेंस, तकावी लोन, पम्पिंग सेटों व कुओं का अनुदान और तरह-तरह की सरकारी सहायता ऐसे ही बड़े-बड़े किसान पा रहे हैं किन्तु छोटे किसान जो आपको गल्ला दे रहे हैं वे इन सहायताओं से महरूम हैं। मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर अमल करेंगे।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई दिन से सरकारी पक्ष के भाषण सुनता सुनता ऊब गया। हम लोगों को एक तरह से शर्म आती है कि हम सरकारी पक्ष के लोगों को कुछ कहें क्योंकि इस प्रसंग में २० वर्ष तक की चर्चा, जो भी भाई उधर से उठते हैं वह अपने भाषण में २०--२५ बार अवश्य करते हैं। इस बारे में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें कि बहुत कम समय

लगेगा। जब स्वराज्य की लड़ाई चल रही थी उस समय एक विश्वविद्यालय में पिकटिंग चल रही थी और पिकेटर्स लोग कमरे के दरवाजे दरवाजे पर नारा लगाया करते थे। वहां पर मद्रास के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने प्रोफेसर लोगों को संकेत किया कि आप लोग हल्ला के समय पढ़ाते समय अप्रसंग में यह भी कहा करें कि गांधी, ऐंड जवाहर। इससे वालंटियर लोग यह समझेंगे कि प्रोफेसर लोग गांधी और जवाहर की बात कर रहे हैं और शोर नहीं मचायेंगे। इस तरह से इन बातों से इस समस्या का हल करने में कोई सहायता नहीं मिल सकती है। कोई नया तरीका इस मिली जुली सरकार का हो तो उस पर गौर किया जाय और वही बात सुनने के योग्य होगी। उसमें कोई बड़ा परिवर्तन हो तो अवश्य समझा जाय कि कुछ हुआ है किन्तु अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। इस भवन में ११ बजे से सवाल होते हैं, उसमें जवाब का वही ढर्रा होता है। जहां सरकार क पकड़ज ने की गुंजाइश होती है वहां कह दिया जाता है कि नोटिस की जरूरत है। इधर के लोग तो बहुत खराब थे और हैं तो आप क्यों उनकी नकल करते हैं। आज भी उसी तरह से होता है कि आफिसर्स की जो रिपोर्ट आती है उसी को सरकार कहती है कि हमारे कलेक्टर ने यह लिखा है और वह सही है और जो हम सदस्यगण कहते हैं वह गलत है।

स्टेट ट्रेडिंग के मामले में जब हम लोग कहा करते थे कि अभी कुछ दिक्कत हैं वो ये ही लोग स्टेट ट्रेडिंग की बात कहते थे। उसके बारे में हम लोगों ने २० वर्षों तक यही कहा कि काफी कमी है इसलिये स्टेट ट्रेडिंग नहीं होगी लेकिन आज तो झारखंडे राय जी जो ऊंचे शिखर से पुकारा करते थे कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये वह क्यों नहीं स्टेट ट्रेडिंग करते। वह कहते हैं कि यह डिफीकल्टी है और वह डिफीकल्टी है।

एक एतराज यह किया जाता था कि कांग्रेस मिनिस्टरान बहुत दौरा करते हैं लेकिन इनको आये ढाई महीना हुआ। इस गवर्नमेंट के मिनिस्टरान हरहर जिले में १०-१०, १२–१२ मिनिस्टरान एक-एक दिन बाद दौरा प्रति जिले में करते हैं। तो सारी चीजें उसी ढंग पर चल रही हैं जिस तरह से पहले चलती थीं। कांग्रेस सरकार तो बड़ी बदनाम थी। लेकिन आज आप जो कर रहे हैं उससे क्या खाद्य समस्या या अन्य समस्यायें सुलझ गईं या सुलझ जायेंगी? इस संबंध में एक प्रसंग आपके सामने और रख दूं। अप्रैल में एक मेढक पैदा हुआ और जुलाई में बड़े जोरों की बारिश हुयी तो उसने कहा कि अपने जीवन में कभी ऐसी बड़ी बारिश नहीं देखी थी। काम तो कोई उन्होंने किया नहीं शुरू से आखिर तक। ट्यूबवैल का, बिजली का बड़ा जिक्र है लेकिन आपने इनमें ही कौनसा कदम उठाया जिससे कहा जाय कि आपने ढाई महीने में वह कर दिया जो साल भर में आपको करना था उसके रेश्यो से? लेकिन वह कुछ नहीं हुआ। लेवी के मामले में हमारी तरफ से विरोध हो रहा है। आप कहते हैं कि हम लोग नहीं होने दे रहे हैं लेकिन जितना शोरगुल आपकी तरफ से हो रहा है उसको देखते हुये अगर आप जनसंघी गल्ला दुकानदारों के पास जितना गल्ला है उसको जब्त कर लें तो सारा शोर खत्म हो जाय। गरीब किसानों से ८५ रुपये में लिया गया है अगर उसी हिसाब से २, ढाई लाख टन इन से जबरदस्ती ही ले लेते तो आसानी से चार दिन में गल्ला आपको मिल जाता और सरकार इस बदनामी से बच जाती। किसी कानून का सबसे अच्छा होने का सिद्धान्त यह है कि अधिक से अधिक को फायदा हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो, तो चार दिन में समूचा गल्ला आपके पास आजाता और आपकी बदनामी भी नहीं होती।

इसके अलावा, चीनी के मामले में मैं संकेत करता हूं कि जो लोग २० वर्षों की बड़ी चर्चा किया करते हैं कि उस जमाने में बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती थी लेकिन मैं पूछता हूं आज ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है। माननीय झारखंडे राय जी, चाहे जितनी चीनी ब्लैक में ले लीजिये तुरन्त आपको प्राप्त हो सकती है। तो फिर मैं पूछता हूं कि इस ब्लैक को कराने वाला कौन है।

[श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी]

सिवाय इस सरकार के और इस सरकार के वे आदमी जो चीनी का काम करते हैं दूसरा कोई भी नहीं है। पहले हम मान लेते हैं कि बड़ी ब्लैक मार्केटिंग थी मगर आज ब्लैक मार्केट क्यों चल रही है। जब कि सारी पावर इस सरकार के हाथ में आ गई है।

इसी प्रकार से सीमेंट का सवाल है। सीमेंट के संबंध में कौन सा कड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है जिससे यह कहा जाय कि सीमेंट सस्ती हो गई है? सरकार की तरफ से भी शिकायत की जाती है कि सीमेंट मंहगी हो गई है। इसी प्रकार से लोग कांग्रेस सरकार के समय में शिकायत किया करते थे। इस सरकार ने सस्ती लाने के लिये कौन सा नया कदम उठाया। दुकानदार को सीमेंट का कोटा दिया जाता था। उसमें से बी० डी० ओ० कृषि नियोजन और तहसीलदार के लिये कुछ कोटा रिजर्व कर दिया जाता था। वही आप भी कर रहे हैं। जिस दुकानदार के पास ४०० बोरे एक वैगन में आते थे उसमें से १००-१५० बोरे उसको बेचने के लिये दिये जाते हैं। और सारे बोरों के ढोने की कीमत २ आने प्रति बोरे उनको दी जाती है लेकिन जो लैंडो में सीमेंट दी जाती है; उसको आप अपने एजेन्ट को ६ आना प्रति बोरे देते हैं। इस ढुलाई में किस तरह से २ आने प्रति बोरे काफी हो सकते हैं। किस तरह से वह स्टेशन से उसके घर तक २ आने प्रति बोरे में आ सकती है? उसको भी दो आने से अधिक कीजिये। आप क्यों ढुलाई की दर बढा नहीं रहे हैं? फिर २०० बोरा को वह ६ आना या ५ आना ढुलाई दर दे कर कैसे केवल १०० या १५० बोरे में सारा खर्च पूरा कर सकता है? वह अपने ब्लैक मार्केटिंग से उसको मजदूरी में पूरा करता है। इस तरह रास्ता आपने वही अपनाया है जो कांग्रेस सरकार ने शायद अपनाया था। फिर आप क्यों डींग मारते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने २० वर्ष में नहीं किया वह हमने ढाई महीने में कर दिया है। चेस का खेल तभी खतम होता है जब मात खाये मोहरे हटते जायं। वरना खेल खतम ही नहीं होगा। एक मित्र थे—उनको ऐसी जिद थी कि अगर आसमान को भी एक बार उन्होंने यह कह दिया कि यह काला है और दूसरे उसे पीला कहें तो चाहे किसी तरह की दलील उनके सामने रखी जाय वह आसमान को पीला मानने वाले नहीं हैं। आसमान को तब भी कह देते थे कि वही काला जरा-जरा पीला लिये हुये। अतएव इस तरह से इस बहस से काम नहीं चलेगा। आप चाहे जो कहें लेकिन आपने भी वही रास्ता अपनाया है जो कांग्रेस सरकार ने शायद अपनाया था और उसकी ही आप नकल कर रहे हैं। आपने कोई तब्दीली नहीं की है। इस प्रकार से सरकार की ओर से किसी भी तरह के सिद्धान्त की बात कही जाय यह खाद्यान्न की समस्या सुलझने वाली नहीं है। मैं चाहता हूं यह सरकार बताये कि कौन सा उसने नया कदम उठाया है जिससे रास्ता साफ दिखाई देता हो और उससे इस खाद्य की समस्या हल होती नजर आती हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गल्ले के विषय में यहां पर बहुत शोरगुल कल मचाया गया कि गल्ला तब तक काफी पैदा नहीं होगा जब तक पूरे साधन उपलब्ध न हो जांय। इसके बारे में इधर से भी और उधर से भी सुझाव आये। आखिरकार गल्ला कैसे पैदा होगा इस पर विचार करना होगा। यदि पैदावार बढाना है तो उसके लिये पानी मुख्य चीज है। खाद को यदि आप न भी दें अगर पानी का इन्तजाम कर दिया जाय तो गल्ला बहुत पैदा हो सकता है। पानी के लिये आप पहले कहते थे कि ट्यूबवैल का प्रबन्ध कर दिया जाय और उसके लिये बिजली सस्ती दी जाय। दाम अधिक बढ़ाया न जाय और बिजली कम कीमत पर दी जाय। १८ वर्ष तक इस तरह से काम करने की बात आप कांग्रेस सरकार के सामने कहते थे। अब तो सारी चीजें आपके हाथ में आ गया हैं। अब आप सस्ती बिजली क्यों नहीं काश्तकार को देते जिस से पानी का इन्तजाम जल्दी हो सके? उससे खेती की पैदावार बहुत बढ सकती है। प्राइवेट नलकूप के लिये सारी बिजली की अड़चनें समाप्त कीजिये। सारे सदस्यों ने इस सदन में कहा कि पहले जो काम एक हजार रुपये में होता था वह आज ४ हजार रुपये में होता है। तब आप उनके नलकूप को इनरजाइज करते हैं। इस तरह से क्या पैदावार बढ़ेगी? आज ट्यूबवैल में वही गड़बड़ी है, वही आपरेटर, वही इंजीनियर और सब वही पुरानी बातें हैं

जिसके लिये आपने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने जो काम २० साल में नहीं किया वह हमने ढाई महीने में करके दिखा दिया और आगे सारे काम २० महीने में करके दिखा देंगे जो कांग्रेस सरकार ने २० वर्ष में भी नहीं किये हैं। कोई नया तरीका आप का दिखलाई पड़ता है जिस पर जनता का विश्वास जमे ? इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री किशुनलाल (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

आज सदन में खाद्य पर चर्चा चल रही है और उस में विभिन्न विचार सुनने को मिले। सब से बड़ा भूत हमारे विपक्ष पर माननीय झारखंडे राय जी का चढ़ा हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं कि बीस वर्षों तक आप ने हुकूमत कर के देश को तबाह कर दिया तो क्या गलत है। यह संकट किस का दिया हुआ है ? क्या यह संयुक्त विधायक दल का काम है ? आप के काले कारनामों से ही देश की यह हालत हो गयी है। भ्रष्टाचार देश में किसने फैलाया, किस ने सिखाया ? यह आप का ही काम है। आज हमारे कर्मचारी यह आशा और विश्वास लिए बैठे थे कि १६ तारीख को यह सरकार उलट जायगी तब उनका काम अच्छी तरह से चलेगा। आप ने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन फल उलटा निकला। अब आप ने यह आशा दिला रखी है कि २८ तारीख को सरकार उलट देंगे और अगर नहीं, तो ७ तारीख तक तो अवश्य यह सरकार समाप्त हो जायगी।

श्री त्रिवेणी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो २८ तथा ७ तारीख का नोटिस दिया है यह किस आधार पर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री किशुनलाल--

आज जनता यही आशा और विश्वास ले कर बैठी है कि यह संयुक्त दल की सरकार अवश्य हमारा कुछ भला करेगी। माम्बर, आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जनता जरा भी उकताई हुई नहीं है। उसने आशा और विश्वास नहीं खोया है। वह आशा भरी निगाहों से देख रही है कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। आज कहा जाता है कि अन्न महंगा हो गया है, गल्ला नहीं मिलता। लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप बाहर जायं, आप को एक भी आदमी भूखा मरता नहीं दिखायी देगा। अगर कहीं थोड़ी दिक्कत है अन्न की तो उस के लिए हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। बीस वर्षों में कांग्रेसियों ने जो देन दी है उस का नतीजा यह है कि आज हर व्यक्ति अपनी जगह पर निकम्मा हो गया है। गांव में ट्यूबवेल बन गए लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं रहा। मैंने २१ मई को कृषि मन्त्री जी का ध्यान ऐसे ट्यूबवेलों की तरफ दिलाया था कि जो बेकार पड़े हैं और जो कांग्रेस सरकार की देन हैं। जब ट्यूबवेल ही खराब हैं तो फिर सिंचाई कैसे हो और पानी कैसे खेत में पहुंचाया जाय। और जब किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचा तो किसान कहां से अन्न पैदा करे ? अवर्षण का हमेशा बहाना ले लिया जाता था, प्राकृतिक प्रकोप का बहाना हमेशा ले लिया जाता था लेकिन जिस दिन हमारे संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी उसके आते ही प्रकृति ने भी वर्षा दिया और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वह सब आपके सामने है, और हम भविष्य के लिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि देखते-देखते लोग रह जायेंगे कि यह आमूल परिवर्तन कैसे हो गया !

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री किशुनलाल]

जहां तक अन्न की बात कही गयी है कि राशन कार्ड से लोगों को अन्न नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बगैर राशन लिए हुए सरकारी दूकान से कोई वापस नहीं जा सकता है। हर आदमी व औरत को ११ बजे रात तक राशन मिलता है और हर आदमी आज इस सरकार से प्रसन्न है। आज जनता इसी सरकार को चाहती है, जो सरकार २० वर्ष तक शासन कर चुकी है उसे वह नहीं चाहती। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि वे जाकर देखें कि जनता क्या कहती है। वह न चीनी मांगती है, न अन्न मांगती है, न खाद मांगती है, वह तो पानी मांगती है। अगर किसान को पानी न मिले तो अन्न कैसे उपजे? लोग कहते हैं कि चाहे ५ वर्ष तक प्रदेश में अन्न पैदा न हो लेकिन किसी तरीके से भी हम यहां के किसी आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे। इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। इस ढाई महीने के अन्दर ही यहां की सरकार ने जो-जो काम किए हैं, उसकी तरफ इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि इस देश की जनता की आंखें लगी हुई हैं कि देखें इस प्रदेश की सरकार और आगे क्या-क्या कार्य कर रही है। आज यहां की जनता प्रसन्नता से अपना जीवन बिता रही है। आपको तो अपनी राज्य सत्ता के जाने का गम है। राज्य सत्ता को पाकर आप मदहोश हो गए थे लेकिन आज आप अपने को कमजोर अनुभव कर रहे हैं। आज सफेदपोश हाथी सिंहों की चिंघाड़ से अपने को भयभीत महसूस करते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि राज्य सत्ता च्युत होने पर नर्क होता है। तो राज्य सत्ता के चले जाने पर आप अपने को नारकीय जीवन में पा रहे हैं। (व्यवधान) जनता की पुकार है कि यह सरकार बनी रहे। जनता देख रही है कि अब उसका शासन रहेगा और आज प्रदेश की जनता की मांग है कि यह सरकार बनी रहे। आप कह सकते हैं कि इस ढाई महीने में इस सरकार ने क्या किया है, लेकिन यह कह कर आप जनता को धोखे में नहीं रख सकते। आज जनता प्रसन्न है और वह समझती है कि हमारा कौन सच्चा हितैषी है।

*श्री रमाकान्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्मुख कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में खाद्य समस्या अत्यधिक विषम है। और देश में ही नहीं, सारे विश्व में खाद्य समस्या बहुत ही गम्भीर है। मैं भी ऐसा मानता हूं, जैसा कि सरकार की ओर से अभी कहा गया, कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ कर हम इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस पार्टी का यह दृष्टिकोण न होता कि खाद्य समस्या विषम है और कोई राजनीतिक प्रश्न न उठा कर सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करें तो शायद इस पार्टी की ओर से भी कुछ सक्रिय कार्यक्रम रखा गया होता और उसका वास्तविक विरोध होता। लेकिन इसका कोई भी प्रमाण इस प्रदेश में किसी समय नहीं मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सक्रिय रूप से विरोध किया गया हो। यह सही है कि जब कभी भी ऐसी शिकायत हुई और गवर्नमेंट की तरफ से खामियां नजर आयीं तो हमारी पार्टी के नेताओं की ओर से, कांग्रेस की ओर से, उस पर विचार करने के लिए आपके सम्मुख कुछ बातें रखी गयी थीं।

इस खाद्य समस्या के सम्बन्ध में मैं एक दो बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आज के खाद्य संकट का कारण यह है कि ३ साल से जलवृष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह लेवी की योजना लायी गई तो जो अपने को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं उन्होंने इस पर पूरा विचार नहीं किया। उसका प्रमाण यह है कि इसमें ३—४ बार संशोधन किया गया। उस ओर के महानुभावों ने विचार नहीं किया कि क्या लेवी, बाग, बंजर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊसर पर भी वसूल की जा सकती है। जब ऐसी चीजें रखी गयीं तो ३–४ बार संशोधन किया गया। यह इस योजना के दोषपूर्ण होने का प्रमाण है। दूसरी चीज यह है कि कहा जाता है कि हमारा गेहूं का भाव ८५ पैसे का है, हम किसान को बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परचेजिंग सेन्टर्स पर जिस तरीके से गल्ला किसानों से लिया जाता है तो वह उनको ७० पैसे ही पड़ता है। ३–३ बार गल्ला छाना जाता है, और इस तरह से जो फर्स्ट क्लास गेहूं निकलता है उसके दाम उनको ७०–७५ पैसे से ज्यादा नहीं पड़ते। और उधर सरकार को उसी गल्ले की कीमत आज जो मार्केट में रेट है उससे कहीं ज्यादा देनी पड़ती है। वह इस प्रकार से कि फतेहपुर में ढाई महीने के अन्दर इस लेवी के मामले को लेकर ४ मिनिस्टर, ३ डिप्टी मिनिस्टरों का दौरा हुआ। सारा स्टाफ इस काम में शुरू से आखिर तक लगा हुआ है। तो जो खर्चा हो रहा है उसको अगर जोड़ा जाय तो सरकार को करीब करीब वही भाव पड़ता है जो आज मार्केट में है। श्रीमन्, क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि काश्तकार को जो लगान देना पड़ता है उससे लगान के रूप में रुपया ले लिया जाय? ११ करोड़ की परचेजेज होने जा रही है तो क्या सम्भव नहीं था कि उतनी ही रकम से आप ओपेन मार्केट से गल्ला खरीद लेते, या लगान की शक्ल में काश्तकार से खरीद लेते? तब जो इतना अनावश्यक खर्च हो रहा है, उसकी बचत हो गयी होती।

फतेहपुर की बहुत दयनीय स्थिति है। झारखण्डे राय जी वहां गए थे। कई जगह मीटिंग की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप दोष भले ही किसी को दें लेकिन हमारे यहां सिंचाई की कोई व्यवस्था है ही नहीं। एक योजना रामगंगा पर नहर बनाने की चली थी। उसका परिणाम यह हुआ कि वह बीच में ही रुक गयी। अब फिर से वह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है। हजारों बीघा जमीन काश्तकार की उस नहर के बनने में चली गयी और काश्तकार विवश है कि अगर वह ट्यूबवैल या पम्पिंग सेट लगाए तो, चूंकि चकबन्दी नहीं हो पायी है वह अपनी जमीन पर इन सिंचाई के साधनों को कहां लगाए। हो सकता है कि चकबन्दी के बाद जमीन दूसरी जगह चली जाय। तो जो सहायता मिलनी चाहिए थी काश्तकार को या सिंचाई या दूसरे साधन खाद इत्यादि के डिस्ट्रिक्ट के काश्तकार को मिलने चाहिए थे, वह किसी रूप में उपलब्ध नहीं हुए। इस अवसर पर मैं यह निवेदन कर दूं कि आप ट्यूबवेल वहां पर लगायें जहां कि आज तक ट्यूबवैल लगे ही नहीं हैं या एक दो लगे हैं। इससे पैदावार काफी बढ़ सकती है।

एक बात मैं आपके सामने शकर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। शकर की वितरण व्यवस्था शहरों में आज बड़ी गलत है। जिनको शकर की जरूरत है उनको, तथा जिनको जरूरत नहीं है उनको, दोनों को समान रूप से शकर वितरित की जाती है। आज ७० फीसदी शहरों में ऐसे लोग हैं जिनको शकर मिलती है, किन्तु उनको उसकी जरूरत नहीं है, वे उसको ब्लैक में हलवाइयों आदि के हाथों बेच देते हैं। जो कम आय वाला व्यक्ति है उसके सामने सबसे पहले रोटी का प्रश्न है। रोटी तो वह दो वक्त मुश्किल से खा पाता है, शकर वह कैसे खायगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिनको शकर की जरूरत हो, उनको आप शकर दीजिए, और जिनको जरूरत नहीं है उनको न देकर उस शकर को बचाकर आप उसे देहात में दीजिए।

एक बात मैं शकर के उन रिटेलरों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जो शकर के बिक्रेता हैं। उनको बेचने के लिए ८–१० बोरा शकर मिलती है और मुश्किल से १२ रुपए प्राफिट के मिलते हैं। माननीय गेंदासिंह जी की चेयरमैनशिप में पहले एक कमीशन बैठा था जिसने अपनी यह सिफारिश दी थी कि रिटेलर को फी बोरा कम से कम ५ रुपए का प्राफिट मिलना चाहिए। जब सवेरे ७ बजे से ११ बजे तक और फिर शाम को ३ बजे से ६ बजे तक दूकानदार दूकान खोल कर बैठेगा और दो रुपया बोरा उसको प्राफिट होगा तो वह किस तरह से गुजारा करेगा?

[श्री रमाकान्त]

आज जबकि ५०० रुपए बोरा ब्लैक में चीनी का दाम है और कन्ट्रोल १५० का है तो निश्चय ही उसकी नीयत खराब होगी। इसलिए जो मार्जिन आफ प्राफिट है उसको ठीक करिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हलवाइयों के लिए उनके रेट्स पर आज कोई नियन्त्रण नहीं है। जिन हलवाइयों को आप शकर का कोटा देते हैं उनकी मिठाई की कीमत भी आप निश्चित कीजिए जिससे जनता को सहूलियत हो। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि खाद्य समस्या सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रश्न है। अगर उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति गम्भीर है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि गिरानी थोड़ी बढ़ी है। इस बात का उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में दिया था, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। हमारे पास एक बात कहने को रह जाती है कि जो साधन हमारे पास हैं या जो सहायता हमें केन्द्र से मिलती है उसका वितरण ठीक प्रकार से हो। वितरण व्यवस्था में जितनी कमी है और जितनी गड़बड़ियां हैं वे जरूर हमारे द्वारा ठीक होनी चाहिए और हमें ठीक करना चाहिए। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनकी कुछ बातें सुनकर मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि कुछ बहुत सोच समझकर उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। कोई बहुत बड़ा ठोस सुझाव भी सामने नहीं रक्खा इस सरकार के सामने जिसके जरिए हम यह समझते हैं कि जनहित कुछ हो सकता। श्रीमन्, उन्होंने चीनी के दाम बढ़ने की ओर और चीनी के सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलने की बात कही। श्रीमन्, आप जानते हैं कि चीनी का महंगा करना और चीनी का जो कुछ भी सवाल है वह केन्द्र से सम्बन्धित है। यदि केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता न करे और उस मात्रा में हमें चीनी न दे तो हम असहाय हैं और निरुपाय हैं सिवाय इसके कि सरकार को लिखते रहें और कोई दूसरा उपाय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, उस तरफ एक माननीय सदस्य सो रहे हैं। अगर वे उस तरफ लाबी में चले जायं तो.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक विवाद चल रहा है बड़े ध्यान से सुनें और ऐसा न लगे कि आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, चीनी के विषय में उन्होंने और बात की कि लेमन जूस और बिस्कुट बनाने को शक्कर दी जा रही है, इस वजह से प्रदेश में कमी हो गई है और श्रीमन्, हलवाइयों को भी शक्कर नहीं दी जा रही है, इसलिए कमी हो गई। श्रीमन्, वे हलवाइयों की वकालत कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि उन्हें रसगुल्ले खाने की आदत है और हलवाइयों को रसगुल्ले खिलाने की आदत है। उन्होंने यह भी कहा कि परमिट बेचे जा रहे हैं। वे स्वयं जानते होंगे कि उन्होंने कितने परमिट बेचे हैं। बहरहाल, अगर वे ऐसी बातें नालेज में लायं और ऐसे कांक्रीट प्रूफ ला कर दें तो यह सरकार जांच करवाने को अवश्य तैयार होगी, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। मगर इस तरीके से चार्ज लगा देना कि हर आदमी परमिट बेच रहा है, यह ऐसा चार्ज है जो माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चन्द्रबलीसिंह जी जैसे सीनियर सदस्य से मैं आशा नहीं करता था। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि लेमनजूस और आईस फैक्टरी और बिस्कुट फैक्टरी, अगर इनको दिए गए लाइसेन्सों और इनको दिए गए कोटों पर हम ध्यान रक्खें तो ये सब के सब पुराने कोटे चले आ रहे हैं। नई सरकार की मैं यह जानता हूं कि बरेली में काफी कोटों में कमी कर दी गई है और जिस शक्ल में आता है किसी के आधा और एक-तिहाई कोटा कर दिया गया है और इसलिए मैं वहां के डी० एम० और डी० एस० ओ० को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी कन्ट्रोल किया है। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उन का नाम नहीं लूंगा मगर ऐसे दो चार मिश्री भन्डार हैं। एक तो लक्ष्मी मिश्री भन्डार, आलमगिरी है जहां पचास बोरे शकर जाया करती थी। मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं बताना चाहता जो कांग्रेस से सम्बन्धित हैं जिन्होंने उस दूकान के लिए कोटा दिलवाया था। श्रीमन्, इस तरीके से बहुत सी अनियमिततायें हो रही थीं। इस सरकार के अफसरों ने जब से कठोरता बरती, उन्होंने काम किया है और कार्यवाही जारी है और हो सकता है कि शक्कर की यह दिक्कत दूर भी हो जाय। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वास्तव में चीनी की इतनी कमी है और इधर बच्चों के लिए दूध बहुत महंगा होता जा रहा है, तो इन दूध और चीनी की दोनों समस्याओं को हल करने के लिए क्या यह बहुत अच्छा सुझाव नहीं है कि हम खोए की बनी हुई चीजों को बन्द कर दें, जैसा कि पंजाब और दिल्ली में हुआ है और वहां दूध की समस्या हल हो गयी है, और जब तक यह दिक्कत रहे इसको जारी रखा जाय? ऐसा भी किसी डाक्टर ने नहीं कहा कि मिठाई न खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि परिस्थितियों के अनुरूप यह एक अच्छा सुझाव है।

दूसरे सीमेंट की बात भी कही गयी। सीमेंट भी सेन्टर का विषय है तथा उसके ऊपर आजकल कोई कन्ट्रोल नहीं है। सरकार को केवल इतना अधिकार है कि वह प्लानिंग के कामों के लिए कुछ सीमेंट ले लेती है, देहात में कुएं आदि बनवाने के लिए। लेकिन यह भी ठीक है कि उस सीमेंट का सही वितरण नहीं हो पाता। जिसको कम आवश्यकता है, उसको अधिक मिल जाती है और जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको कम मिलती है। मेरा सुझाव है कि इस सीमेंट के कोटे में से माइनर इर्रीगेशन वर्क्स की मरम्मत के लिए भी कुछ सीमेंट दिया जाय। इसके अलावा बरसात का समय आ रहा है। किसानों को मरम्मत के लिए २ किलो सीमेंट भी नहीं मिलती है, उसको मरम्मत के कामों के लिए एक दो बोरी सीमेंट मिल जाय तो बहुत अच्छा हो, चाहे वह प्लानिंग के कोटे में से दिया जाय अथवा उसका सरकार और कोई प्रबन्ध करे।

सिंचाई के बारे में सरकार की एक आज्ञा निकली है कि गांव में ट्यूबवेल्स में जो रुपया ज्यादा लगे, वह किसान कर्जे के रूप में दे दे। यह बात समझ में नहीं आयी। किसी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह सरकार को कर्जा दे सके। उस अतिरिक्त धन को वह कहां से लाएगा? मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं कि सरकार के प्रचार से प्रभावित होकर लोगों ने अपनी जायदाद को बेचा, अपनी बीबी के जेवर को बेचा और किसी प्रकार से उसने ट्यूबवेल खड़ा किया लेकिन उसको बिजली नहीं मिल पायी। अब नयी आज्ञा के अनुसार उसके पास ४–५ हजार रुपया और हो तब उसको बिजली मिल पाए। इस तरह से आप सिंचाई को बढ़ा नहीं सकते और अगर सिंचाई न बढ़ी तो आपकी खाद्यान्न समस्या हल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप भले ही यह देख लीजिए कि लाइन अगर ज्यादा दूर ले जानी पड़ती है तो उस ओर ८–१० ट्यूबवेल्स हैं या नहीं, इसके अलावा और कुछ न देखिए। नहीं तो किसान पैसा दे न पाएगा और आप की जो प्लान अधिक अन्न उपजाओ की है वह पूरी न हो पाएगी। मेरे पास कई आदमी आए जिन्होंने कहा कि सब सामान तैयार है, केवल बिजली नहीं मिली है। केवल उसी की दिक्कत है।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

एक मेरा सुझाव यह भी है कि जो बहुत से बड़े-बड़े प्राइवेट उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन ले ली है जो बेकार पड़ी हुई है। इसी प्रकार कुछ फैक्टरियों ने जो दूसरे कामों के लिए जमीन ली थी उन जमीनों पर जिन पर कि कोई काम नहीं हो रहा है और जबकि अन्न के लिए आज जमीनों की जरूरत है तो जो उपजाऊ जमीनें हैं उनको सरकार या तो ले ले या उनको किसानों को वापस कर दे ताकि उन पर काश्त हो सके। इससे अन्न समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी। एक बात मैं अन्न समस्या के हल के विषय में और कहूंगा कि जो दूकानें हमने अन्न वितरण के लिए नगरों में दी हैं उनमें भी बहुत घपला है। सहकारी समितियों को जो दूकानें दी गई हैं उनको सहकारी समिति वाले लोग स्वयं नहीं चलाते और उन को २००–२५० रुपए मासिक पर दूसरों को किराए पर दे रखा है। जिन संस्थाओं को यह दूकानें दी गई हैं उन्होंने भी उनको किराए पर उठा रखा है। एक दो नहीं, बरेली में १२ दूकानें ऐसी हैं जो दूसरे लोग किराया देकर चलाते हैं, दूसरे लोग ही वहां काम करते हैं, पूंजी लगाते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में डी० एम० से कहा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज पकड़ कर साबित करना मुश्किल है। मैंने उनको बताया कि यह बहुत आसान है, उनका रोजनामचा देखा जाय, किसका पैसा लगा है, किसके नौकर हैं, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, कहां से रुपया आता जाता है, किताबों और बैंक से जांच हो सकती है, इस से पता चल सकता है कि कितनी दूकानें किराए पर चल रही हैं। इस तरह से किराए की दूकानों से भ्रष्टाचार अधिक फैलता है। एक निवेदन यह भी मैं करूंगा कि औरतों के नाम भी दूकानें चल रही हैं, औरतें तो स्वयं दूकानें चला नहीं सकतीं और वह किसी दूसरे को मैनेजर बनाकर बिठाती हैं इस से भी गड़बड़ी फैलती है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कठोर नियम बनाकर दूसरों से दूकानें चलवाने की प्रथा को बन्द किया जाय। बरेली में डी० एम० ने कहा कि यहां रिटायर्ड सरकारी नौकरों को भी दूकानें दी गयीं हैं, उनकी भी शिकायत आई और उन्होंने भी दूकानें दूसरों को दे कर चलवाना शुरू कर दिया।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि यह जो दाम बढ़ने की बात बार-बार कही जाती है तो यह दाम बढ़ने का सिलसिला मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। आप भी ऐसा समझते हैं और हम भी समझते हैं कि दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन दामों को कम करने के लिए जो प्रयत्न यह सरकार आज कर रही है उतना आप के वश का काम नहीं था। जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वह उस से कहीं अधिक है जो आप कर पाते। माननीय चन्द्रबली जी ६ आर्डर्स की बात करते थे। यह हमने दिए, इसी से जाहिर होता है कि हम कितने जागरूक हैं समस्या को हल करने के लिए। अगर हम ऐसा न करते तो आप समझते कि हम जागरुक नहीं हैं। जो हो सकता है वह सब हम कर रहे हैं। जहां जिलाधीश हटाने थे वे हटाए गए और दूसरे पी० सी० एस० आफिसर मुकर्रर किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति होनी चाहिए जो देखभाल करे और यह भी होना चाहिए कि किसी की भी कहीं से शिकायत आती है तो उसको पार्टी लेविल पर न तय किया जाय। मुझे अफसोस है कि पीलीभीत के डी० एस० ओ० के ट्रांसफर के और फिर रिवर्जन के आर्डर किए गए और फिर रिवर्जन रोक दिया गया। बहराइच के ९ जनसंघ के विधायकों ने डी० एस० ओ० के ट्रांसफर के लिए लिखा लेकिन उस का भी रिवर्जन रोक दिया गया, वहां का डी० एस० ओ० आज डंके की चोट पर कहता है कि आप सब ने क्या करा लिया। बड़े दुख की बात है कि जहां के ९–९ विधायक एक बात कहें और उन के खिलाफ एक डी० एस० ओ० ऐसा कहे। इस तरह की चीजों से गड़बड़ी पैदा होती है। हम को एक यूनिट की तरह सब के सहयोग से काम करना चाहिए और जहां से भी शिकायत आए और वह सही प्रमाणित हो जाय तो उसमें कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैंने ३ महीने के बीच में देखा कि इस विधान सभा में २ मुख्य मंत्री हुये । एक बनिये का बेटा देखा और दूसरा किसान का बेटा । वे लोग जो इधर से उधर चले गये कहा करते थे कि गुप्ता जी की जो कैबिनेट बनी है उसमें अधिकतर बनियों को बैठाया है जैसे—नवल किशोर जी, माननीय राममूर्ति जी । कहा जाता था कि ये कैपिटलिस्ट एलिमेंट है, इससे किसानों की समस्या का हल होने वाला नहीं है । हो सकता था कि हमारी जो कैबिनेट बनी थी, उसमें ऐसी बातें हो सकती थीं लेकिन ताज्जुब इस बात से हुआ है कि हमारे मुख्य मंत्री ने, जो बनिये का बेटा है, और जिनको व्यापारियों का हित करने वाला कहा गया, सबसे पहले लगान अधिभार को समाप्त किया । लेकिन किसान के बेटे ने क्या किया ? जब मैंने देखा कि किसान का बेटा मुख्य मंत्री हो गया तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे दल की सरकार नहीं बनी है तो हमारे जो बिखरे हुये लोग हैं वे अवश्य भला करेंगे क्योंकि उनसे बहुत बड़ी आशायें थीं और जब हमने कैबिनेट के लोगों के नाम सुने कि उसमें माननीय राम चन्द्र विकल जी जैसे व्यक्ति, जो किसान के लिये अपनी जान तक देने की बात किया करते थे, बड़ी प्रसन्नता हुई थी । ऐसी आशा में माननीय वर्मा जी से जो हमारे वित्त मंत्री हैं, किया करता था, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ । इन्होंने पहले भूमि भवन कर खत्म किया । तो बनिया के बेटे ने तो अधिभार समाप्त किया और किसान के बेटे ने भूमि भवन कर । यह केवल एक विडम्बना है । खाद्य की समस्या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, यह प्रदेश की जनता का सवाल है । अभी जब हमारे यहां माननीय झारखंडे राय जी गये तो उन्होंने कहा कि लेवी कांग्रेस सरकार ने आरम्भ की थी । तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है । हमने कहा कि १२ एकड़ की बात थी, यद्यपि वह भी कांग्रेस सरकार का फैसला नहीं हुआ था । अगर हम इसको करते भी तो इन तरीकों से न करते जैसा कि अब किया गया है । गुप्ता जी की सरकार ने विरोधी दलों को आमंत्रित किया था कि आओ और बैठ कर इस बात का समाधान और हल निकालें क्योंकि उनके दिल में यह भावना थी कि खाद्यान्न का मसला किसी विशेष दल या व्यक्ति का नहीं है लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया ? हमने आफर किया, लेकिन आपने हमारी बात तक भी नहीं सुनी और आपको ६–७ एमेंडमेंट करने पड़े और क्या उससे इस समस्या का समाधान हुआ ? आप यह कहते हैं कि हमने सहयोग नहीं दिया लेकिन मैं कहता हूं कि हमने हमेशा आपको सहयोग दिया है, आप घबराइये नहीं, इस बात में हम आपके साथ हैं । आपकी सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो मैं अपनी ओर से कहता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं लेकिन अगर आपने दलबन्दी से काम किया तो हम आपका सहयोग नहीं कर सकेंगे । जब हमारे माननीय खाद्य मंत्री हमारे यहां पर गये तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलें और देखें कि लोगों की क्या हालत है लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं है । आप वहां पर से घूम कर चले आये जहां का प्रोग्राम नहीं बना था । आप में इतनी कर्टसी नहीं थी कि वहां के एम० एल० ए० को लेकर चलते । मुझे अफसोस हुआ । मैं समझता था कि साम्यवादी लोगों में मानवता पहले होती है लेकिन पता नहीं कौन सा रंग माननीय मंत्री जी में आ गया । कुछ लोगों ने कहा कि हम सरकार तोड़ने में लगे हुये हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार आप की चले, जनता देखे कि आप क्या कर रहे हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे और मेरे दल को कोई इच्छा सत्ता लेने की नहीं है । अगर हमारे काले कारनामों से प्रदेश को तकलीफ हुई तो भगवान करे आप जनता को सुख दें और शासन करें । लेकिन अगर आप की प्रणाली प्रजातांत्रिक समाजवाद से बाहर जायगी तो हम आप का कदम कदम पर विरोध करेंगे, चाहे कोई समस्या हो ।

स्टेट ट्रेडिंग की बात आपने कही । लेकिन क्या सामने लाये ? मैं सोचता था बजट में अच्छी बातें होंगी । लेकिन पहले जो पढ़ा तो कोढ़ निकला और बाद में समाजविहीन दल जिसका अर्थ एस० वी० डी० से है । तो जहां समाजविहीन दल, एस० वी० डी०, होगा, वहां पोखरे में पानी स्वतः गंदा हो जायगा ।

[श्री प्रेमदत्त]

खाद्य समस्या हल करने के लिये हम आप विचार करें, लेकिन दो, तीन बात आप हमारी मान लें। पहली बात तो यह है कि खाद्य पालिसी के बारे में आप हमारे अनुभव का फायदा उठायें। मंत्री जी ने कहा कि मार्केट का रेट उत्तर प्रदेश की २० मंडियों का उन्होंने देखा जो ११९ रु० क्विन्टल है। मैं अपने जिले गया वहां जिन के पास गल्ला नहीं है, अच्छे काश्तकार हैं, उन्होंने डिफरेंस जमा करना शुरू किया। मैंने पूछा क्या डिफरेन्स दिया। तो उन्होंने बताया कि ४५ रु० लिया जाता है अगर ८५ रु० की लेवी और ४५ रु० डिफरेंन्स तो यह तो बहुत हो गया। मैंने कहा कि मंत्री जी ने कहा है कि ११९ रु०बाजा का भाव है,तो यह इसकाडिफरेंस है। मैं चाहूंगा कि अगर वास्तव में ११९ रु० का भाव है तो मैं आप को चलिये यह डिफरेन्स दिलाता हूं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वह लगान देना चाहते हैं, लेकिन उन से कहा जाता है लगान तब लिया जायगा जब पहले लेवी दो। किसानों ने मनी आर्डर भेजे हैं। आप कहते हैं कि जनता खुशी से अन्न बिखेर रही है। मैं आपको बताऊं कि आपके ही सर पर ५ रु० का पाव भर चावल का पुलाव मिलता है। अगर यही हालत रही तो जनता का भला नहीं होगा।

वितरण का जहां तक सवाल है, अगर कोई खराबी कांग्रेस सरकार में मुझे नजर आती थी तो वितरण में ही आती थी। आप भी वही गलती कर रहे हैं। आप रिटेलर को कितना प्रफिट देते हैं? ८ बोरा शकर पाता है और उस में कितना मार्जिन देते हैं? जब आप मार्जिन ही नहीं देंगे तो वह आदमी क्या करेगा? इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इतना मार्जिन तो दें जिससे उतनी ही कीमत अगर वह दूसरे व्यापार में लगावे तो जितना वहां प्राफिट हो, उतना प्राफिट तो उस को मिल जाय। जहां तक सवाल है गल्ला वसूली का, आप वसूलिये, अच्छी बात है। लेकिन आप पता लगायें कि छान छान कर लिया जाता है और वह ८० तथा ७५ रुपये पर लिया जाता है। ८५ रुपये पर कितना गल्ला और कौन सा गल्ला लिया जाता है और कहां पर छान कर नहीं लिया जाता है? किसान की कमर अगर आपने तोड़ी तो आप बच नहीं सकते। आप कहते हैं कि हम सीमेंट तथा शकर देते हैं। ८० रुपये के भाव से वहां गेहूं आप लेते हैं जि का भाव बाजार में १२५ रुपये है और उसे अगर आपने ८ किलों शकर तथा कुछ सीमेंट दे दिया तो कौन सा तीर मार दिया? आप उसको कृषि यंत्रों में, आबपाशी में छूट दीजिये तो उसे अवश्य राहत मिल सकती है। शकर से उसका भला होने वाला नहीं है।

आप इंक्वायरी कीजिये। ७ वीं, ८ वीं का विद्यार्थी है और हलवाई बना है। जिस देश में लोग भूखों मरते हैं वहां मिठाई की बात करना कहां तक न्यायसंगत है? कौन मिठाई खाता है? 'चौधरी" में भीड़ होती है, किसान का बच्चा वहां खाने नहीं जाता। हलवाई का कोटा घटाइये, किसान को दीजिये। इससे प्रदेश का भला होगा।

जहां तक लेवी का प्रश्न है, जिस तरह से लेवी ली जा रही है इसके लिये मीटिंग कीजिये। इसका तरीका बदलिये। इस प्रणाली का मैं विरोध करता हूं। मैं इस कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी की तरफ से उपस्थित खाद्य अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। कहावत वही है"ज्यों ज्यों होवे धर्म की हानी, बाढ़त असुर, अधम, अभिमानी।" करम करे कोई और भोगे कोई। आज विरोधी दल में जो बैठे हैं उनकी तो बोलते बोलते हवा निकल गयी। २० साल के अन्दर जनता ने उनकी बोली बन्द कर दी। अब तो उनकी खामोश हो कर सुनने की आदत होनी चाहिये। जो देश की आज स्थिति है वह उनके कारनामों के कारण ही हुई है। कांग्रेस की सुधारवादी नीतियों ने देश को आज इस बरबादी की जगह पर खड़ा किया है। आज गल्ले की जो कमी है, जिनके हाथों में उत्पादन की सामर्थ्य है उनमें अनिश्चितता पाई जाती है। जिन्होंने किसान की जमीन को तितर-बितर करने की कोशिश की, उन्होंने जमींदारी तोड़ने का नारा लगाया और देश में जमींदारी बोड़ी भी। यही जमींदार थे जिन्होंने

जमीनों का मुआविजा लिया और बेचा भी है, सारी की सारी जमीन अपने नातेदारों और परिवारों के बीच रखी है। किसी भी देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये पूंजी और श्रम का मेल होना चाहिये। इन्होंने पूंजी और श्रम, दोनों को इतनी दूर रखा कि आज दोनों के बीच में एक अविश्वास पैदा हो गया। यह बीस वर्षों के इनके कारनामे हैं। अपना देश वह है जो किसी समय जगद्गुरु कहलाता था और हर तरह की चीजें विदेशों को देता था। बीस वर्षों के अन्दर ही इन्होंने वह स्थिति पैदा की कि आज देश का हर आदमी भिखमंगे की स्थिति में दूसरे देशों में या अपने देश में भी रह रहा है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि देश को दो वर्ष के अन्दर आत्मनिर्भर करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ नये कदम उठाने पड़ेंगे। जिला स्तर पर जो हमारी सरकारी मशीनरी काम कर रही है जिसके माध्यम से जो आज उधर विरोधी बैठे हैं और कल तक शासक थे वह स्वयं भ्रष्ट हुये और उनको भी भ्रष्ट किया आज अपने भ्रष्टाचार से इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी वे इनके पीछे लगे हुये हैं और भ्रष्टाचार में तल्लीन हैं, उन्हें सुधारना होगा। यह सरकार जो चल रही है आज इनको परेशानी है जो सरकारी गद्दी से हटे हैं, आज इनके दुकानदार, रिश्तेदार और ब्लैकमार्केटियर जिन्होंने बहुत सी एजेन्सियां कायम की हैं देश के अन्दर उनको बदमाश और चोरबाजारिया और गिरहकट भी अगर कहा जाय तो बुरा नहीं होगा। उन्हीं का भला हुआ है, ऐसी स्थिति का इन्होंने देश के अन्दर निर्माण किया है।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक ही तरीका है जो देश को मजबूत कर सकता है और आज जिन परेशानियों में पुराने शासक वर्ग ने देश को छोड़ा है उनसे निकाल सकता है। और वह तरीका है भूमि वितरण। प्रातः काल खाद्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हम भूमि का वितरण करेंगे और मैं उनको बता दूं कि किसी भी गांव में चार, पांच तरीके से जमीन निकली है जो ग्राम सम्पत्ति के नाम से है और उसका ठीक पता लगना चाहिये। वह चार, पांच किस्म यह हैं, चकबन्दी हुई, जमींदारी टूटी, हदबन्दी हुई, विनोबाजी का भू-दान चला और गांव में जितने ऊसर, बंजर और ताल तलैया पड़े थे वह सारे बेच कर खा गये पुराने शासक लोग। इन सम्पत्तियों की जांच करायें और यदि सब की आमदनी ली जाय तो सरकार को बड़ी भारी आमदनी मिल सकेगी। उनका ठीक प्रबंध भी होना चाहिये। माननीय खाद्य मंत्री जी का मैं इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि जिन ट्रकों को पुरानी सरकार ने परमिट जारी किये थे, उनके माध्यम से आज चोरबाजारी हो रही है। इसलिये अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनके लाइसेन्स रद्द किये जाने चाहियें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री नाथूराम शिक्षक--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन ट्रकों के जरिये जिनको लाइसेंस पुरानी सरकार के जमाने में दिये गये थे, आज ब्लैक हो रहा है। ये ट्रकें गल्ला गांवों से इधर उधर ले जाती हैं। इसलिये मेरी मांग है कि इनके पकड़े जाने पर इनके लाइसेन्स रद्द किये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान दिलाऊंगा और इलाहाबाद जिले का जिक्र करके मैं पुरानी सरकार के काले कारनामों को रख रहा हूं। इलाहाबाद जिले के तीन भाग हैं--गंगापार, जमुनापार और द्वाबा। अभी तक केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार और जिला परिषद् सभी की आंखें सदैव गंगा पार और जमुना पार इलाकों पर ही लगी रही हैं। सारी रकमें जो रखी गई हैं वे सब प्रधान मंत्री के क्षेत्र गंगा पार और जमुना पार के लिये ही रखी गई हैं। आज भी सूखा और पीड़ितों के नाम पर जो भी व्यवस्था हो रही है वह सारी की सारी गंगा पार और जमुना पार में ही चल रही हैं।

[श्री नाथूराम शिक्षक]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है । मैं तहसील मंझनपुर से आया हूं । मैं सरकार के प्लानिंग विभाग को चुनौती देता हूं कि २० साल से कांग्रेस के कुशासन में इस तहसील में कोई काम विकास का नहीं किया गया है और इस तहसील को अछूता छोड़ रखा गया है । आज गांवों में १२,१४ छटांक का गल्ला नहीं मिल रहा है । आज तक सारी योजनायें गंगा पार और जमुना पार में ही चलीं और इलाहाबाद के माने भी यही हैं कि गंगा पार और जमुना पार के इलाके । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे तहसील मंझनपुर की ओर ध्यान देने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि खाद्य समस्या का समाधान न तो शिक्षक जी सुझाव देकर कर सकते हैं और न यह सरकार ही कर सकती है क्योंकि उत्पादनकर्त्ता को आप समय नहीं देते हैं । १०,१५ बार मैं उठा, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, मेरी कठिनाई यह है कि अब ४ बजे का समय हो गया है, मुझे साढ़े चार बजे तक इस विवाद को समाप्त करना है । चूंकि माननीय चन्द्रबली ने कटौती का प्रस्ताव रखा था उन्हें जवाब देने का अधिकार है । आपने ऐसे समय में ध्यान आकृष्ट किया जब मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

चूंकि खाद्य समस्या का बजट है मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आज समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप को मालूम होना चाहिये कि आज पांच बजे से दूसरी समस्या जो खाद्य समस्या से मिली हुई है, सूखा और उपलवृष्टि, उस पर बातचीत होगी और काफी समय तक होगी, जब तक आप चाहेंगे । मैं पूछ लूंगा उस वक्त ।

*श्री चन्द्रबली--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव की आलोचना खास तौर से हरीश कुमार गंगवार जी ने की कि मैं हलवाइयों की हिमायत इसीलिये कर रहा हूं कि शायद रसगुल्ले ज्यादा खाने को मिलते हैं । बात सही है । रसगुल्ले बाप-दादों से, सैकड़ों वर्षों से खाते चले आ रहे हैं लेकिन टाफी और लैमनजूस तो ताजा-ताजा है जिनको ८० फीसदी फर्जी कोटा दिये गये हैं । मैं यह नहीं कहता कि वाजिब कोटों को काट दीजिये । जो दूकानें खोले हुये हैं टाफी और लैमनजूस की, उनको दीजिये लेकिन ८० फीसदी जो फर्जी हैं तमाम हटा दीजिये । अगर वितरण व्यवस्था ठीक हो जाय तो कमी नहीं दिखायी पड़ेगी । हलवाइयों को पांच बोरे से आधे बोरे तक कोटा मिलता है । अगर उनको पूरा कोटा दे दिया तो लैमनजूस वालों की चीनी बिकेगी नहीं । सारी लैमनजूस वालों की चीनी, सस्ते गल्ले की दूकानों की चीनी, फर्जी कार्डों की चीनी हलवाइयों के पास जाती है । आज उनकी दूकानें बन्द नहीं हैं । चीनी वह ब्लैक में खरीद रहे हैं । एक हलवाई ब्लैक से तीन बोरी मैदा खरीद कर ला रहा था, वह मार डाला गया । न मालूम कितने मारे जायेंगे इस गलत वितरण व्यवस्था में । वह चुरा कर अपने बच्चों का पेट पालने के लिये जरूर लायेगा मैदा और चीनी । वह ब्लैक में नहीं बेचता है, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाजार भाव पर बेचता है । आप इसको संभालिये । उन्होंने कहा कि प्रूफ दीजिये । माननीय हरीश कुमार गंगवार ने भी तो कलेक्टर के सिलसिले में जांच करवाने के लिये मांग की थी। मैं भी वही कहता हूं कि जांच कर लीजिये ।

एक बात भीखालाल जी ने कही । उन्होंने जो-जो सुझाव दिये हैं मैं उनको कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में ले लेता हूं । उनको एक बात की शिकायत है । मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के सिलसिले में कहा था । उनका दामन बिलकुल साफ है । उनकी चादर बिलकुल सफेद है लेकिन उसमें काले धब्बे लग गये हैं जनसंघ और जन कांग्रेस के । वह काली कोठरी में चले गये हैं । काजर की कोठरी में कैसहू सयानों जाय एक रेख काजर की लागिहै पै लागिहैं। मैं आपके सुधार के लिये कह रहा हूं, कम्युनिस्ट भाइयों से । आपसे गलती हो गयी । सचमुच आप बह गये हैं । मैं आपकी चादर को सफेद देखना चाहता हूं । पंजाब में बड़े पैमाने पर छापा मार कर गल्ला निकला है, आप उस रास्ते पर जायें । साथ ही गल्ला वसूली में सिर्फ राज्य व्यापार करें तो एक भाव रहेगा। उस भाव में गल्ला लेंगे तो ज्यादा भाव में फुटकर दूकानों पर गल्ला नहीं बिकेगा । किसान कहता है कि गल्ला वसूली में उसको १६ करोड़ का घाटा रहा है । इस समस्या को हल करने का एक ही तरीका है कि आप एक भाव निश्चित करें। सस्ते गल्ले की दूकानों पर खेत मजदूरों को गल्ला नहीं मिल रहा है । आपने कार्ड बनाने के लिये पैसा बजट में मांगा है पिछली बार, लेकिन आज तक उनको गल्ला नहीं मिला है । बिना कार्ड बनाये उनको गल्ला आप दे ही नहीं सकते हैं चाहे वे सरकारी गल्ले की दूकानें हों या सरकारी कर्मचारियों की सस्ती दूकानें हों या मिलों की दूकानें हों । चूंकि आप नफा कम देते हैं और वह घूस ज्यादा दे लेता है । जिलों में दूकानों का किराया बरसों से अभी तक पड़ा हुआ है । खेत मजदूरों को आप गल्ला नहीं दे पा रहे हैं और मिलों की दुकानों को भी गल्ला नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह आपको घूस नहीं दे पा रहे हैं । जहां तक चीनी की प्रदेश में आवश्यकता है, साढ़े सात लाख टन की आवश्यकता है और जो प्रदेश में पैदा हुई है उसको लेकर केवल ३ लाख ३६ हजार टन चीनी की आपको जरूरत है । इस चीनी की मात्रा को जिसकी आपको आवश्यकता है उसे आप मजबूती के साथ केन्द्र से क्यों नहीं प्राप्त करते हैं ? आखिर मूसरचन्द की तरह आप यहां पर क्यों बैठे हैं ? लीजिये उनसे और लेने का तरीका निकालिये, सत्याग्रह का तरीका निकालिये और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं चलेगा । क्योंकि जबर की ही सब कोई सुनता है और उसी का काम सब करते हैं । आज यह हो रहा है कि चीनी के बिना केन्द्र प्रदेश को मार रहा है, प्रदेश की सरकार हलवाई को मार रही है और हलवाई उपभोक्ता को मार रहा है । आप से निवेदन है कि आप इस क्रम को उलट दीजिये और होना यह चाहिये कि उपभोक्ता मारे हलवाई को, हलवाई मारे आपको और आप मारें केन्द्र को और केन्द्र मारे चीनी को इस तरह से काम चलाइये । अन्याय आप भी न सहें और मैं भी न सहूं ।

अब आटा मिलों का सवाल है, उसके बारे में भी बड़ी शिकायत है । आपने उनका कुछ कोटा काटा है और कुछ दे दिया है जिससे मजदूर बेकार न हो जायं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मिलें पी० एल० ४८० के आधार पर ही खुली हैं ? यदि ऐसा है तो आप मीलों को अवश्य बन्द कीजिये, यदि ये मिलें यही चाहती हैं कि विदेशों से गेहूं मंगाया जाए तो ये उसे पीसें और अपना काम चलाएं । क्यों नहीं ये बाजार से गेहूं खरीद कर उसको पीसती हैं । मिलें आटा में कंकड़ और दूसरे अखाद्य पदार्थ मिला रही हैं और यही नहीं आटे में ५–६ फीसदी नमी रखती हैं और देहात वालों को २–३ सेर आटा घट जाता है और आटे का थक्का बन जाता है जिसकी शिकायतें आती हैं । आपके जो अधिकारी हैं, जो ठाकुर जी हैं यानी जो आई०सी०एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं जो चरणामृत में जाएंगे लेकिन उसे पिएंगे नहीं । जो भ्रष्टाचार कराते हैं किन्तु उससे अछूते बने रहते हैं । ये आई० सी० एस० और पी० सी० एस० के अधिकारी १० हजार रुपया इन मिलों से ले रहे हैं और इसके बल पर मिल वाले जनता को लूट

[श्री चन्द्रबली]

रहे हैं और खराब अन्न आज लोगों को खाने को दे रहे हैं जिसका फल यह है कि लोगों के पेट खराब हो रहे हैं और तरह-तरह की बीमारी हो जाया करती हैं।

इन बातों को मैं मंत्री जी के सामने रखकर चाहूंगा कि राज्य व्यापार और हलवाइयों को शक्कर का पूरा कोटा देने पर वह विचार करें। चुर्क सीमेंट फैक्टरी को हर दूसरे महीने पर निश्चित रूप से माल पहुंचाने की कोशिश करें। उसका भाव ५-४ रुपया प्रति बोरे बढ़ जाता है और यह चुर्क सीमेंट फैक्टरी कर रही है। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री सरकारी है इसलिये यहां पर कम्युनिजम है और वहां पर अफसरों का राज्य है। अफसर मनमाना कर रहे हैं। इसको भी आप अवश्य रोकिये।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)--

मान्यवर, मैं उन सभी भाइयों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में इधर या उधर से भाग लिया है और अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी व्यावहारिक और रचनात्मक सुझाव आये हैं उन सब पर अमल करने का प्रयास किया जायगा।

बढ़ते हुये दामों की चर्चा काफी इस सदन में की गयी है। मैंने प्रारम्भ में ही इस बात की प्रार्थना की थी और अनुग्रह किया था कि बढ़ते हुये दाम एक आल इंडिया फिनामिना है, इस बात से आंख नहीं मूंदी जा सकती। अभी परसों जब मैंने केन्द्र के खाद्य मंत्री जी से बातचीत की थी तब उनसे आग्रह किया था कि जब जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं तो उस समय इस प्रश्न को एजेंडे पर रखकर विवाद करें कि हिन्दुस्थान के पैमाने पर किस तरह से बढ़ते हुये दामों को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। मुझे इस बात को घोषित करते हुये प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे सुझाव को मान लिया है। तो बढ़ते हुये दामों में केवल प्रदेशीय सरकार ही नहीं आती है बल्कि उसके पीछे केन्द्रीय सरकार के बहुत से कानूनों और कदमों का प्रभाव पड़ता है। माननीय चन्द्रबली जी से मैं कहूंगा कि वे, २० साल की जो बात कही जा रही है कम से कम उससे तो गुरेज न करें। कांग्रेस का कोई सदस्य कहे तो और बात है। आज जो भी स्थिति है वह केवल ढाई महीने के हमारे कार्यों के कारण तो नहीं है। हम तो केवल दोषी उन्हीं बातों के लिये हो सकते हैं जो इस अवधि में हुई हों और हम उन्हें स्वीकार करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन जो २० वर्षों से सरकार चल रही थी और नीतियां उसके द्वारा चलाई जा रही थीं और जिनका कुपरिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है उसी के सम्बन्ध में आज चर्चा हो रही है। उसको उसी ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखना चाहिये। क्या यह सही नहीं है कि गत एक साल में ४ अरब के करेंसी नोट चलाये गये हैं और ४० अरब रुपये के करेंसी नोट्स १० सालों के अन्दर चला दिये गये? तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ा है? क्या केन्द्रीय सरकार के ६ गुने टैक्स जो २० साल में लगाये गये हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ा है? क्या जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है और वे मनमाने एडवांसेज व्यापारियों को दे रहे हैं इसका प्रभाव बढ़ती हुई गल्ले की कीमतों पर नहीं पड़ रहा है? यह अखिल भारतीय कारण है और जब चर्चा की जाती है तब चाहे इधर के चाहे उधर के भाइयों को उनको भी ध्यान में रखना चाहिये। जब मैं अखिल भारतीय पैमाने की बात कहता हूं तो मैं एक मिनट में सारे आंकड़े भी बताना चाहता हूं कि बिहार में इस बीच में २० से लेकर २३ तक, हरियाणा में १० से २० तक, राजस्थान में ३ से लेकर ६ तक, मध्य प्रदेश में करीब १२ तक, महाराष्ट्र में १२ तक, और उत्तर प्रदेश में ५ से लेकर २२ तक दाम बढ़े हैं। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि यह अखिल भारतीय फिनामिना है जिसका मुकाबला हम अखिल भारतीय पैमाने पर ही कर सकते हैं।

मान्यवर, बहुत सी बातों की चर्चा की गयी उन सबका जवाब समयाभाव के कारण नहीं दे सकता। हमारे भाई खंडूड़ी जी ने जो पर्वतीय भाग की चर्चा की है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमने उसके बारे में कदम उठाये हैं और आने वाले जमाने में भी इस बात का प्रयास करेंगे कि वहां के अभाव की पूर्ति कर सकें। संक्षेप में जो हुआ है उसको बताना चाहता हूं। गढ़वाल जिले में मार्च में १८९० टन गल्ला वहां दिया गया था, और जून में २०९० टन दिया गया। टेहरी गढ़वाल जिले में १६७४ टन मार्च में और जन में २३२४ टन यानी ३९ परसेंट ज्यादा दिया गया। उत्तर काशी में ३३९ टन मार्च में दिया गया था अब जून में ४३९ टन दिया गया, यानी २९ फीसदी बढ़ा है। अल्मोड़ा में ८० फीसदी, और नैनीताल में १८ परसेंट बढ़ा है। और चमोली जिस जिले से वह विधायक है वहां ७८ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। जहां मार्च में ४५० टन है वहां ८०० टन जून में दिया गया है। पिथौरागढ़ में इसी प्रकार से किया गया है जहां से हमारे विष्ट जी आते हैं। वहां का कोटा भी २० फीसदी बढ़ाया गया है। वहां के लिये १५८७ के स्थान पर १९१२ टन किया गया है। २९, ३० फीसदी मार्च के महीने से जून तक पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक दिया गया है। इसलिये इस विषय में हम जागरूक हैं और आगे भी इस बात का प्रयास हमारा रहेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में और जहां पर सूखे का असर है और गल्ले की कमी रही है हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें।

स्टेट ट्रेडिंग के बारे में हमारे एक मित्र हमसे जानना चाहते हैं। मैं बहुत साफ निवेदन कर दूं कि हम स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। उसके पक्ष में हैं लेकिन उसकी व्यावहारिकता का प्रश्न है। जो दिक्कतें उधर बैठने वालों को २० साल तक रही हैं और आज भी जो दिक्कतें नान कांग्रेस सरकार को प्रान्तों में हो रही है उन्हीं दिक्कतों के बीच में हम भी हैं। तो इस बीच में हमको व्यावहारिक सुझाव चाहिये। शासक पार्टी के लोगों की और विरोधी दल के सदस्यों की हम एक सम्मिलित मीटिंग बुलाना चाहते हैं कि वह हमको कोई व्यवहारिक रास्ता बतायें जिससे स्टेट ट्रेडिंग का रास्ता साफ निकले कि कौन सा व्यावहारिक कदम उसके लिये हो सकता है। और उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं।

कर्मचारियों द्वारा लूट करने की बात कही गई। बहुत लूट हुई है मैं इस बात को मानता हूं। इस विभाग में बहुत गन्दगी रही है। लेकिन २।। महीने के अरसे में हमने जो कदम उठाये हैं, मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उतनी मजबूती के साथ पिछले २० साल में कदम नहीं उठाये गये हैं। ६ गजटेड अधिकारियों की सर्विस को टरमिनेट किया गया उनकी अनुपयोगिता के कारण। ३१ नान गजटेड कर्मचारियों की सर्विस को टरमिनेट किया गया है उनकी अनुपयोगिता के कारण। इस प्रकार पिछले २० साल में भी नहीं उठाये गये हैं जो हमने इस थोड़े-से समय में अपने प्रान्त में उठाने का प्रयास किया है। कोई भी शिकायत आती है किसी कर्मचारी के प्रति तो उसकी फौरन जांच की जाती है और जांच की जा रही है। कोई भी कर्मचारी आज यह महसूस नहीं कर रहा है कि यदि उसने ऐसा किया है तो उसका जीवन खतरे से बाहर है। इसलिये इसकी तरफ हमने कदम उठाया है और आगे भी उठाना चाहते हैं।

तस्कर व्यापार के विषय में कुछ बातें यहां पर कही गईं। तस्कर व्यापार के विषय में मैं विस्तार से चर्चा उस समय कर चुका हूं कि इसको मिटाने के लिये १८७ चेक पोस्ट कायम की गई हैं और उसका फल भी हमको मिला है। २१७ आदमी पिछले २ महीनों में पकड़े गये हैं। १७२ केसेज पकड़े गये हैं जिनके अन्दर काफी गल्ला हमको मिला है। गल्ले की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोर बाजारी के ऊपर हमारी बराबर नजर है और बराबर हमारा प्रयास जारी है कि कोई व्यापारी ऐसा न कर पाये समय-समय पर हम इसका प्रयास करते रहेंगे कि ऐसा न होने पाये। कोई व्यापारी यदि गिरफ्तार होगा तो रात के दो बजे कोतवाली में जाकर उसकी जमानत नहीं हो सकेगी। इस तरह का समय अब नहीं आयेगा।

[श्री झारखण्डे राय]

खांडसारी के बारे में प्रतिबन्ध लगाना और उसको सीज करना मैं समझता हूं इस समय व्यावहारिक नहीं होगा जब कि काफी खांडसारी हमारे प्रदेश से बाहर जा चुकी है पिछले महीन में। इसलिये खांडसारी के बारे में भी नीति तैयार करनी है जैसा कि आज प्रातः काल हिंट दिया वह खांडसारी क विषय में भी हो सकता है।

अरहर के बारे में चन्द्रबली जी ने कहा कि केन्द्र से लड़ना चाहिये। केन्द्र से लड़ना जरूर है लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उन उसके लिये न नक्सलबाड़ी का तरीका हो सकता है और न सत्याग्रह का ही तरीका हो सकता है जैसा कि चन्द्रबली सिंह जी ने बताया। अपन तरीके से हम उनसे लड़ते रहे हैं और आग भी लड़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि वह हमारी बात मानें। अरहर के बारे में केन्द्रीय खाद्य मन्त्री जी से परसों बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे दक्षिण के प्रदेशों में हाहाकार मच जायगा। हमने मटर बन्द कर दी, उसकी दाल बन्द कर दी। इसको भी रोक देने से वहां की स्थिति बिगड़ जायगी। इसलिये हमारे सामने मजबूरी है।

और बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं लेकिन उस स्तर तक उतरना मैं उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि उनको ऐसी बातें यहां नहीं कहनी चाहिये। अगर किसी व्यक्ति विशेष या जिले विशेष के बारे में उनको सूचना हो तो वह कह सकते हैं और उसके बारे में मैं सफाई कर दूंगा, लेकिन यह सदन उन बातों के लिये विवाद का क्षेत्र नहीं बन सकता, न इसे होना चाहिये।

एक हजार क्विंटल के बारे में उन्होंने चुनौती दी कि हमने २५० क्विंटल की सीमा को बढ़ा कर १,००० क्विंटल कर दिया। १,००० क्विंटल की जो सीलिंग थी वह ज्यों की त्यों है, केवल फर्क इतना किया गया है कि पहले २५० क्विंटल से ज्यादा एक प्रकार का गल्ला कोई नहीं रख सकता था। लेकिन अब अगर एक प्रकार का गल्ला भी कोई रखना चाहे तो वह रख सकता है, अगर दो प्रकार का गल्ला रखना चाहे तो वह रख सकता है, लेकिन सीलिंग वही १,००० क्विंटल की रखी गयी है। इस प्रकार कोई खास रियायत जमाखोरों या व्यापारियों के लिये नहीं दी गयी है।

जहां तक हलवाइयों का प्रश्न है उसके बारे में उनकी चिन्ता का मैं आदर करता हूं। मैं भी समझता हूं कि हलवाई ऐसे व्यवसायी हैं कि जिनका पुस्तैनी पेशा जीवन निर्वाह का वही रहा है इसलिये उनका कोटा नहीं काटा जाना चाहिये। उनको ५० प्रतिशत तक देने की बात रखी गयी है और २५ प्रतिशत तक उनको मिलता रहा है। पहले ही मैंने निवेदन किया कि उनके लिये हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। उनको हम कुछ देंगे। रेवड़ी, बताशा आदि के लिये भी हम चीनी देंगे। यदि आधी बोरी शक्कर में किसी के पूरे परिवार का निर्वाह होता है तो उसके प्रति हम जागरूक हैं और उस का पूरा ख्याल रखा जायगा।

आखिरी बात मैं समाजवादी पार्टी की नुमाइन्दगी क बारे में कहूंगा। माननीय चन्द्रबली जी ने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात कही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसे देश और प्रदेश में कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके लिये कहीं न कहीं हमें लाइन आफ डिमार्केशन अवश्य खींचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति की पार्टी, यदि ऐसा ग्रुप अपने लिये आग्रह करे तो क्या किया जाय। मान्यवर, आपके सामने भी प्रश्न है, यदि चन्द्रबली जी आप से भी मांग करें अपने लिये तो आप को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

उत्तर प्रदेश की जन कांग्रेस को किस से मान्यता प्राप्त है? यह बिल्कुल दो दिन की पार्टी है।

श्री झारखंडे राय--

उन्होंने भाई शराफत हुसैन के बारे में कहा। वह अपनी पार्टी के अकेले मेम्बर हैं, लेकिन उनकी पार्टी को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है इसलिये मेरी व्यावहारिक दिक्कत है और मैं समझता हूं कि वह मेरी इस भावना का आदर करेंगे।

यह सही है कि जन कांग्रेस इस चुनाव के पहले इस प्रदेश में नहीं थी। चुनाव के बाद जो घटना चक्र यहां घूमा है उसके फलस्वरूप वह यहां बनी है। लेकिन उसकी शक्ति, सरकार में उसका स्थान, किसी से छिपा नहीं है। इसलिये व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह उचित न होगा कि उस पार्टी को भी दूसरी पार्टियों के साथ स्थान न दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति बाबू खां को या शकील साहब की चर्चा की, चाहे माननीय चन्द्रबली जी हों, चाहे बाबू खां हों, चाहे शकील साहब हों, हम से कोई अनुचित काम नहीं करा सकता है। उन्हें स्वयं इसका अनुभव है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी इस तरह का काम नहीं करा सकता है। किसी छोटे मोटे ट्रांसफर को लेकर आरोप करना उनके ऐसे नेता के लिय शोभा नहीं देता है। ट्रांसफर का करना या न करना विभाग के ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी मौके पर माननीय मंत्री जी जरूरत होने पर उसमें हस्तक्षेप करते हैं। किसी ट्रांसफर में किसी तरह का प्रेशर स्वीकार नहीं किया गया है और न आगे किया जायगा। इसके अलावा मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यू कोर्स में हो जाती हैं और कुछ ड्यू कोर्स में रह जाती हैं। लेकिन हमारी उसके ऊपर सतर्क निगाह है और आगे भी रहेगी।

इसके अतिरिक्त मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जितने नान गजटेड कर्मचारी हैं जो प्रदेश के अन्दर एक स्थान पर १०-१२ और ८-८ वर्ष से किसी दफ्तर में या कुछ फील्ड के अन्दर है, उनका होलसेल ट्रांसफर इस हफ्ते के अन्दर हो जायगा। हम यह चाहते हैं कि चाहे गजटेड आफिसर हों, चाहे नान गजटेड कर्मचारी हो, सभी एक नियम के अन्दर रहे और नियम के अन्दर रहें और नियम के अन्दर उनका ट्रांसफर हो। यह न हो कि वे एक जगह पर मठाधीश की तरह से किसी विभाग के अन्दर बैठ जाये और उसका नाजायज फायदा उठावें। इसके लिये हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर हर जगह इस तरह की चीज है, इस बात को मैं मानता हूं। जहां तक नीचे स्तर को देखा जाय, वहां भ्रष्टाचार है, बुराई है, गड़बड़ी है, वह सब मुझे तसलीम है लेकिन आपको मैं बतला दूं कि ढाई महीने के अन्दर एक भी परमिट किसी को नहीं दिया गया है। कुछ लोगों का सस्पेंशन किया गया है, कुछ का टरमिनेशन हुआ है, इसके अलावा कोई नया काम नहीं किया गया है। सिर्फ पुरानों की छानबीन व देखभाल की गयी है। मुझे विश्वास है कि जो विजिलेंस कमेटी बनी है वह नीचे के स्तर की गड़बड़ियों को भी देखेगी।

वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है, सही है, इसको मैं तसलीम करता हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि वे गड़बड़ियां ठीक हो जायं तो ५० प्रतिशत जनता का जो असन्तोष है वह समाप्त हो जायगा। उस कमेटी में हर पार्टी के लोग हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस काम में पोलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ कर सब का सहयोग व योगदान हो तभी इस काम में सफलता मिल सकती है। हमें बतलाया गया कि एक नोटोरियस फर्म है जिसे एक विशेष पोलिटिकल पार्टी का आश्रय प्राप्त है। मुझे भी पता है कि कई फर्म्स ऐसी हैं जिनके लिये कांग्रेस पार्टी असाइलम बनी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां किसी को असाइलम नहीं मिलेगा, ट्रेडर क्लास वैसा है जो किसी का नहीं होता है। उनके ऊपर हमारी बड़ी तेज निगाह है और इसलिये मैंने माननीय चन्द्र बली जी की बात मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। उनके स्वयं इस बात की जानकारी है।

[श्री झारखंडे राय]

जैसा कि मैंने शुरू में कहा--खाद्य समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और डिफेंस आफ इंडिया की तरह से हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा का प्रश्न जैसे राष्ट्रीय प्रश्न है, जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान के हमले के समय सभी पार्टीज ने मिल कर देश की सुरक्षा में एक आवाज उठायी थी उसी प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस राष्ट्रीय समस्या को मिल जुल कर हल करना चाहिये। स्टेट ट्रेडिंग हो तो स्टेट ट्रेडिंग से फ्री ट्रेडिंग हो तो फ्री ट्रेडिंग से, या मिक्स्ड इकोनामी के जरिये खाद्य समस्या हल हो तो उसी से इसको हल करें। मैं फिर अपना सिर झुकाते हुए माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय और एक स्वर से मेरे इस अनुदान को स्वीकार करें।

श्री नवल किशोर---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपने खाद्य मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने फरमाया कि खाद्य समस्या दलगत राजनीति से ऊपर है और राष्ट्रीय समस्या है, उसका समाधान करने में भी आपने विरोधी पक्ष से किसी प्रकार का कोई सहयोग मांगा या चाहा ?

श्री झारखंडे राय---

नवल किशोर जी को याद होगा कि जब मैं उधर बैठता था तब भी मैंने बराबर कहा है कि "फूड प्राब्लम इज ए नैशनलन प्राब्लम"। जहां तक सहयोग की बात है, उसी भावना से सोच कर ही मैंने कहा है कि इधर या उधर दोनों को मिला कर हम एक नीति बनायेंगे जिसमें आपकी पार्टी के भी लोग होंगे, विज्ञ लोग भी रहेंगे और मिल जुल कर रास्ता निकालेंगे। आजकल के जमाने में वादों और सिद्धान्तों को छोड़ कर जो समन्वय का मार्ग निकलेगा उस पर चलने की कोशिश करेंगे, इस पर मैंने पूरा विश्वास दिलाया है।

श्री अध्यक्ष---

वैसे मेरे पास अनुदान संख्या १६ में कुल १३ कटौती के प्रस्ताव थे, लेकिन माननीय चन्द्र बली जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया पहला, वह नीति संबंधी है और उसमें सभी कटौती एक तरह से समाविष्ट हो जाती है, तो मैं उसी पर मतदान लूंगा।

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी का उद्देश्य खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन की नीति पर चर्चा करना और सुझाव देना

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६---खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०४,२३,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३---राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,८०,६३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के निवासियों पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनायें आयी हैं जिनको मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। इनमें एक माननीय उग्रसेन जी द्वारा इसी नियम के अन्तर्गत आयी है। उसको मैंने अस्वीकार तो कर दिया एक वैधानिक कारण से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का उससे सीधा संबंध नहीं है। लेकिन उसके महत्व को फिर भी देखते हुए मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिये--

"उत्तर प्रदेश के पिछड़े व गरीब जनपद देवरिया, आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर के नागरिक अरसे से दार्जिलिंग जिला, पश्चिमी बंगाल के अन्तर्गत नक्सल बाड़ी, खोडी बाडी और फांसीदुआ क्षेत्रों में अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में गत १०० वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। उनका वहां व्यापार है और खेती बाड़ी है। गत १ जून ६७ से उक्त क्षेत्र में अतिवादी वामपंथी कम्युनिस्टों के नृशंस में लगातार नृशंश हत्यायें, डकैतियां और लूटपाट हो रही है। नाजायज तौर पर खेतों पर गोल बनाकर कब्जा भी कर रहे हैं। अभी २० से अधिक व्यक्तियों की हत्यायें हो चुकी हैं। १० लाख से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इस आतंक से उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार अपनी जमीन और जायदाद छोड़कर भाग कर वापस चले आये हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार से उन्होंने रक्षा हेतु मदद मांगी मगर नहीं मिली। इस घटना से समूचे उत्तर प्रदेश की जनता में विशेष आतंक छा गया है। अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

इससे उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, मैंने इसको पढ़ दिया, माननीय मुख्य मंत्री तथा सदन की जानकारी के लिये।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया यह विषय प्रदेशीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन इसका प्रभाव चूंकि हमारे यहां के नागरिकों पर पड़ रहा है, इसलिये मैं यह विचार कर रहा हूं कि हम अपनी गवर्नमेंट की ओर से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को लिखें और उसका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करें।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री रामचरन दोहरे (जिला इटावा)--

श्रीमन्, एक उर्दू के संबंध में था, कुछ लोग अनशन कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैं कई बार माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन कर चुका हूं कि एक दिन में जितने प्रस्ताव नियम ५१-५५ के अन्तर्गत आते हैं सभी को पढ़ कर सुनाना नियमानुसार आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न इसके पहले भी यहां उठाया गया है और जिन आधार पर मैंने पहले इसको अस्वीकृत किया है उसी आधार पर यह भी अस्वीकृत किया है। कोई भी माननीय सदस्य जिनकी सूचना को मैंने अस्वीकृत कर दिया है, और वे समझते हैं कि उसे स्वीकृत होना चाहिये, तो वे मेरे कक्ष में मुझे दर्शन दें, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा....

एक सदस्य--

श्रीमन्, उर्दू का प्रश्न बड़े महत्व का है, कई लोग अनशन कर रहे हैं, संयुक्त विधायक दल की सरकार ने, सरकार बनने से पूर्व . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। जो भी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव भेजते हैं वह महत्व का तो होता ही है, लेकिन मुझे देखना पड़ता है कि वह नियमों की परिधि में आता है या नहीं।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)--

संयुक्त विधायक दल की सरकार ने अपने कार्यक्रम में इसे शामिल किया था, यह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

एक सदस्य--

आप इसको माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये कल जैसा मैंने निवेदन किया था, मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं अधिकाधिक माननीय सदस्यों की इच्छा पूर्ति में सहायक बनूं और मैंने यह नयी परिपाटी डाल दी है कि जो भी सूचनायें आती हैं, उनको मैं माननीय मंत्री के पासभेज देता हूं। पहले केवल स्वीकृत सूचनायें ही भेजी जाती थीं, मैं जो अस्वीकृत होती हैं उनको भी भेज देता हूं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, उर्दू के मामले में जितने भी अलग अलग दल हैं, जन कांग्रेस और जन संघ को छोड़कर सभी ने यह नारा लगाया था कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाया जाय। इसके लिये करीब १५ दिन से लोग अनशन कर रहे हैं। सदन में इस पर विचार होना चाहिये। इसके लिये मेरा प्रस्ताव भी आपके पास पहुंचा है, उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक कर लें, मगर इस पर सदन में वक्तव्य करा दें।

श्री अध्यक्ष--

दरअसल नियम ५१ की ही बात नहीं है। किसी चर्चा को यहां उठाने के बहुत से ऐसे तरीके हैं जैसे अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों द्वारा, सामान्य विवाद वगैरह। अगर उसमें आ जायेगा तो सदन को बहस करने का मौका अवश्य मिलेगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि अब तक जैसी परिपाटी आपने नियम ५१--५२ की डाली है कि आप उन प्रस्तावों को संबंधित मंत्रियों के पास भेज देते हैं उसी प्रकार यदि यह भी परिपाटी डालदी जाय कि जिनकी ओर से प्रस्ताव आता है कम से कम उनको स्पष्टीकरण के लिये पांच मिनट की अनुमति प्रदान कर दी जाय तो बेहतर होगा। श्रीमन्, जो सूचनायें संप्रेषित की जाती हैं वे बहुत अहमियत की होती हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने बहुत अहमियत का सवाल पेश किया है। यदि कहीं फैक्टरी में लाक आउट हो जाय और उसके बावजूद सदन में चर्चा नहीं होगी, तो मैं यह समझता हूं कि हम लोग उन के प्रति पूरे दायित्व का निर्वाह नहीं कर पायेंगे यदि हमें स्पष्टीकरण की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि आप इसकी परिपाटी भी सदन में डालें।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है कि यह बात जो आप कह रहे हैं यदि यह संभव होती तो मुझे हर्ष होता। असंभव इसलिए है कि सभी प्रश्नों पर जिनके ऊपर स्वीकृति नहीं होती है, पांच-पांच मिनट की स्वीकृति देदें तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिये कि सदन का कार्य एक घंटा और आधा घंटा तक सीमित नहीं रह जायगा। उसको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मेरा कहने का मतलब यह है कि ....

श्री अध्यक्ष--

यह मुझसे अलग से बात करने की चीज है। इस समय तो कुछ समय हमारे पास बाकी था लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा होना ठीक नहीं है।

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि चेचक के प्रकोप से हजारों व्यक्तियों की मृत्युयें हुयी हैं, परन्तु उसको आपने स्वीकृत नहीं किया। उस पर बाद में मंत्री जी ने वक्तव्य भी नहीं दिया है। इसमें हजारों मत्यु होने से बच जातीं अगर आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता .....

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपा करके बैठ जाइये। आपने उसकी जानकारी करने का कष्ट किया होता तो आपको अवगत हो गया होता। उस विषय को मैंने पहले वक्तव्य के लिये नहीं स्वीकृत किया था। आपने पुनः जब आग्रह किया तो मैंने पुनः संबंधित मंत्री के पास विशेष कार्यवाही के लिये भेज दिया था। संभवतः मंत्री बदल चुके हैं इसलिये मैंने पुनः उसे भेज दिया है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हम आपके आभारी हैं पर वह तो जैसे एक कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। यदि आप कृपा करके उस पर जो कार्यवाही संबंधित मंत्री जी करते हैं वह श्रीमान् के पास या प्रश्नकर्त्ता के पास एक निश्चित समय के अन्दर दे दें तो इस से भी वह सहायक होगी। उदाहरण के लिये, यह बड़े हलके ढंग से लिया जाता है जो विधान भवन के सामने भूख-हड़तालें होती हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपके पास दूसरे उपाय हैं, आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं, इत्यादि।

एक सदस्य--

यह जो भूख हड़ताल विधान भवन के सामने हो रही है क्या मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नोत्तर का समय ११ से १२ तक होता है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

५१, ५२ की सूचनाओं के लिये मुख्य मंत्री जी के लिये समय नियत कर दिया जाय ....

श्री अध्यक्ष---

मैं आप सबको सोमवार ३ जुलाई को ५ बजे आमंत्रित करता हूं कि मेरे कक्ष में दर्शन दें और इस संबंध में मुझे अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें।

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

आप कृपा करके नियमों का भी अध्ययन कर लें। आपकी कठिनाई का उपचार उनमें मिल जायगा।

प्रदेश में वर्षा, उपल वृष्टि तथा सूखे से हुई क्षति की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष---

इसके पहले कि मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को इसके लिये बुलाऊं मैं सदन का एक परामर्श चाहूंगा। गेंदा सिंह जी ने जब इसके विषय में समय की बात कही थी तो मैंने कहा था कि मुझे आपत्ति नहीं होगी चाहे आप रात भर भी इसके लिये बैठना चाहें और आज भी मेरी तरफ से वही बात है। लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि आप आखिर कोई सीमा निर्धारित कर लें जिससे वाद-विवाद आसानी से हो सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

जब तक आप समझें कि वाद-विवाद उपयोगी हो रहा है इसे चलने दें। हम लोगों को खाना खाने जाना है और आपको भी अधिक रोकना संभव नहीं होगा। बहस शुरू होने दें।

श्री अध्यक्ष---

आपके मुख्य सचेतक, श्री बनारसी दास जी से मेरी बात कमरे से फोन से हुई थी और उन्होंने मुझे बतलाया कि आप यह चाहेंगे कि यह वाद-विवाद ७ बजे तक चले। अब मैं इसे चलने देता हूं। आपस में परामर्श करके आप मुझे बता दें।

एक सदस्य---

अभी वक्तव्य की कापी मिली है। इसे स्थगित कर दें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय और वाद-विवाद शुरू हो जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह कई पन्नों का वक्तव्य है। मैंने एक सरसरी निगाह से इसे देखा तो मुझे लगता है कि इसे गौर से पढ़ने की जरूरत है। जो इसके पहले के वक्तव्य या कागज हैं उनके मुकाबले में इसे देखना आवश्यक है कि यह कितना कसौटी पर उतरता है। किसी और दिन रख दिया जाय।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)---

आज ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

आज के एजेन्डा में जो चीज रखी गई है वह आज ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्षा, उपल वृष्टि तथा सूखे से हुई क्षति की स्थिति के संबंध में मेरा वक्तव्य निम्न प्रकार है--

सन् १९६६ में वर्ष जून के अन्त में वर्षा आरम्भ हो गई थी । किन्तु जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के आरम्भ तक वर्षा नहीं हुयी और इस से चिन्ता होने लगी थी । लेकिन उसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह तक वर्षा संतोषजनक होती रही और सारी चिन्ता दूर सी हो गयी । दुर्भाग्यवश अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद फिर करीब-करीब बन्द-सी हो गयी जिससे खरीफ की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ । सितम्बर, अक्तूबर में वर्षा इतनी कम हुई कि रबी की बोवाई कठिन हो गयी और बहुत से क्षेत्रों में बोआई न हो सकी । लेकिन फिर नवम्बर के दूसरे सप्ताह में वर्षा हो जाने से प्रदेश के काफी बड़े हिस्से में रबी की बोआई हुई । दिसम्बर मास में शीतकालीन वर्षा प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई परन्तु जनवरी तथा फरवरी १९६७ में जब वर्षा की अत्यन्त आवश्यकता होती है तब वर्षा थोड़ी-सी ही हुई । जनवरी में शीतकालीन वर्षा के अभाव से दलहनी फसलों को तथा आलू में पाले की वजह से नुकसान हुआ । इसके साथ ही पछुवा हवा जो असमय चली, इस से गेहूं की फसल के दाने पतले पड़ गये । इन सबके ऊपर मार्च के महीने में अप्रत्याशित रूप से असमय वर्षा तथा उपलवृष्टि का भी प्रकोप रहा । प्रदेश में वर्षा की स्थिति के निम्न आंकड़े प्रस्तुत हैं :--

माह		सामान्य वर्षा (मिलीमीटर में)	वास्तविक औसत वर्षा (मिलीमीटर में)	अन्तर
मई, १९६६	..	१४.८०	२०.१५	+५.३५
जून	..	९७.१	१७६.९६	+७९.८६
जुलाई	..	२९४.७०	१७८.९९	-११५.७१
अगस्त	..	२९१.६०	३३०.१७	+३८.५७
सितम्बर	..	१७८.९०	५०.६२	-१२८.२८
अक्तूबर	..	३३.१०	१५.००	-१८.१०
नवम्बर	..	१४.४८	४.८०	-९.६८
दिसम्बर	..	८.०६	८.००	-०.०६
जनवरी, १९६७	..	१.२७	२०.१०	+१८.८३
फरवरी	..	३.७३	२२.३०	+१८.५७
मार्च	..	४२.१२	११.४०	-३०.७२

इस तालिका को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जून के महीने में पिछले वर्ष अधिक वर्षा हुई है, जब कि जून की वर्षा से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ करता लेकिन जुलाई में जब कि वर्षा की आवश्यकता होती है ११५.७१ मि० मी० वर्षा कम हुई है । सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में वर्षा बहुत कम हुई है । यह क्रमानुसार -१२८.२८ और -१८.१० मि० मी० है । उसके बाद मान्यवर, आप देखेंगे कि जनवरी और फरवरी में, जब कि शीतकालीन वर्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वर्षा हुई है, १८.८३ मि०मी० और १८.५७ मि०मी० हुई है । इतनी कम वर्षा होन से यह स्पष्ट हो गया था कि प्रदेश में फसलों की हालत खराब होगी ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

सूखे से प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग में खरीफ की फसलों तथा कुवांरी एवं अगहनी धान, गन्ना, वालें तथा अन्य प्रकार के मोटे अनाजों को अधिक क्षति हुई। सूखे का प्रदेश के ४१ जिलों पर प्रभाव पड़ा और लगभग ८८,९६१ गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित जन संख्या का अनुमान लगभग साढ़े चार करोड़ के है। नवम्बर में वर्षा हो जाने से सूखे का प्रभाव कुछ जिलों में कम हो गया परन्तु प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा इलाहाबाद व बांदा जिलों में इसका प्रभाव काफी हो और सूखे की स्थिति जो वर्षा के कम होने से उत्पन्न हुई थी वह ज्यों की त्यों बनी रही। इन जिलों में गोरखपुर डिवीजन के ४ जिले, वाराणसी डिवीजन के ५ जिले, फैजाबाद डिवीजन के ६ जिले तथा बांदा व इलाहाबाद जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में सूखे से, प्राथमिकतानुसार, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा तथा वाराणसी जिले अधिक प्रभावित हैं। १९६१ की जन गणना के अनुसार इन १७ जिलों की जनसंख्या ३०६.४५ लाख है। इस जनसंख्या का लगभग ४१ प्रतिशत ०-१४ वर्ष की उम्र के लोगों का है तथा ६ प्रतिशत संख्या उन लोगों की है जिनकी अवस्था ६० वर्ष से ऊपर की है। इन जिलों में भूमिहीन किसानों की संख्या २१.८७ लाख है।

वर्षा के कम होने तथा खरीफ फसलों की क्षति होने की सूचना मिलने पर शासन की ओर से पहला आदेश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा खण्डों के आयुक्तों को २२ सितम्बर, १९६६ को भेजा गया जिसके अधीन उनसे कहा गया कि २४ जिलों में वसूली रोक दी जाय। उसके बाद सभी जिलों की सूखे की स्थिति को देखकर शासन की ओर से भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा बना ली गयी। निश्चित कार्यक्रम को पूरा करने में कोई विलम्ब न हो इसके लिये अधिकारियों की एक कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी जिसमें सभी विभागों के सचिव तथा कुछ विभागों के विभागाध्यक्ष सदस्य बने। इस कमेटी ने बहुत से महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किये और सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये निर्णय लिये। सूखे का मुकाबला करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी योजना भारत सरकार को भेजी गयी। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्र के मंत्रियों से वार्ता करके उसको अन्तिमरूप दिया गया और योजना कार्यान्वित की गयी। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं----

सहायता कार्य---३१ मार्च, १९६७ तक किये गये सहायता कार्यों का विवरण निम्न है--

२,१६,१२,४८२ रुपये की आपत्तिकालीन तकावी वितरित की गयी तथा ८९,७९,२६८ रु० की अहेतुक सहायता दी गयी। इसके अलावा कच्चे कुओं के लिये निर्माण में सहायता के रूप में १,०८,७६,९३२ रु० दिये गये। १३ जिलों में टेस्ट वर्क्स चले और लगभग १,५०,००० आदमियों को रोजी मिली। टेस्ट वर्क्स पर कुल ८५,७५,९०६ रु० खर्च हुये। प्रदेश के सूखाग्रस्त २९ जिलों में सहायतार्थ विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क के रूप में २,३७,००० रु० वितरित किये गये। भारत सरकार की ओर से इस प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये जो ५,००० टन गल्ला प्राप्त हुआ था वह प्रदेश के १८ जिलों में वितरित करने के लिये आवंटित किया गया साथ ही २५ जिलों को अल्प वयस्क बच्चों तथा गर्भवती माताओं में वितरण के लिये ७० टन बिस्कुट भी आवंटित किया गया। खादी की कताई योजना के अधीन प्रति हुन्डी १५ पैसा की दर से छूट के रुपये प्रादेशिक खादी बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा १५,१७,००० रु० वितरित किये गये।

कृषि उत्पादन---रबी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मैक्सिकन गेहूं का क्षेत्रफल प्रदेश में ४ लाख एकड़ से बढ़ाकर ५ लाख एकड़ कर दिया गया। यह आंकड़े १९६६-६७ के हैं। कानपुर-६८ का क्षेत्रफल पौने दो लाख एकड़ से बढ़ाकर ४ लाख एकड़ कर दिया गया। आलू के क्षेत्रफल में लगभग डेढ़ लाख एकड़ की वृद्धि की गयी है और इस प्रकार गत रबी में ५ लाख एकड़ में आलू बोया गया। इसके अतिरिक्त एक बड़े पैमाने पर तरकारी बोने का कार्यक्रम चलाया गया। लगभग १२.२१ लाख किलो तरकारी का बीज तथा ८६ करोड़ पौधे रियायती दामों पर इस कार्य के लिये बांटे गये। फसलों को बीमारी से बचाने के लिये १९,३९,३५० रु० की धनराशि द्वारा छिड़कने वाली मशीनों का प्रबन्ध किया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद के लिये लगभग ६,६१,००,००० रु० की तकावी दी गयी।

अल्प सिंचाई योजना--

३१ मार्च तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ष की उपलब्धि निम्न प्रकार से है--

कार्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
पक्के कुएं	६५,०००	८३,७०३
बोरिंग	७५,०४०	६६,७१९
रहट	४५,०००	६०,७१७
पम्पिंग सेट	३५,०००	२२,४४४
निजी नलकूप	१३,७३०	२४,०६९

उपर्युक्त सिंचाई कार्यों की पूर्ति के फलस्वरूप अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वर्ष १९६६-६७ में ११.२३ लाख एकड़ बढ़ी ।

नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही इस प्रदेश की सरकार में परिवर्तन हुआ तथा गत ३ अप्रैल से इस शासन ने कार्यभार ग्रहण किया है । सूखे की स्थिति पर सबसे पहिले ध्यान दिया गया तथा यह निश्चय किया कि सहायता कार्य न केवल बड़े पैमाने पर किया जाय परन्तु यह सहायता भी अधिक दी जाय जिससे अधिक जनता को अधिक सहायता मिल सके । सहायता कार्यों में सबसे पहिला काम तो यह किया गया कि निर्बलों, अशक्तों तथा छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं की सुविधा के लिये स्थान-स्थान पर अधिक से अधिक मुफ्त भोजनालयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाय और तकावी, अहेतुक सहायता, टेस्ट वर्क्स की संख्या जहां तक आवश्यक हो बढ़ा दी जाय । इन सहायता कार्यों के साथ ही सिंचाई के साधनों को बढ़ा कर तथा बिजली सुलभ करके पैदावार बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है । और यह सभी कार्यक्रम सघनता से, सुदृढ़ता से तथा गतिशील रूप में चलाये जा रहे हैं ।

गत मार्च मास में केवल ११ मुफ्त भोजनालय चल रहे थे । इसके विरुद्ध अप्रैल, मई तथा जून, के महीने में उनकी संख्या बढ़ कर क्रमशः ६४, १२३ तथा २०७ हो गयी । इसी प्रकार इस वर्ष कम दामों पर बहुत पीड़ित लोगों को भोजन मिल सके, इस भावना से प्रेरित होकर मिर्जापुर जिले में कम दामों पर यथा--२० पैसे में शहरी क्षेत्रों में तथा २५ पैसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन मिल सके--ऐसी १४ कैन्टीनें खुलवा दी गयीं हैं । इनके अतिरिक्त टेस्ट वर्क्स जो ३१-३-६७ को केवल १५२ थे और जहां प्रतिदिन औसत उपस्थिति ७२,२३७ व्यक्तियों की थी इनकी संख्या बढ़ा दी गई तथा गत १५ जून को ४७८ टेस्ट वर्क्स चलाये जा रहे थे जहां प्रतिदिन औसत उपस्थिति २,३१,५३७ आदमियों की थी । वर्तमान सरकार ने इन टेस्ट वर्कों के लिये १,०३,२०,४०५ रु० की धनराशि दी है । इसके अतिरिक्त अहेतुक सहायता के मद में अब तक २९,१३,३१० रु० की धनराशि आवंटित की जा चुकी है ।

इन मदों के अतिरिक्त आपत्तिकालीन तकावी के रूप में वर्तमान शासन की ओर से राजस्व परिषद् को आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को संकटग्रस्त व्यक्तियों में वितरण हेतु ८३,३३,००० रु० आवंटित किये गये हैं । आशा की जाती है कि इस खरीफ में इस आपत्तिकालीन तकावी के पश्चात् क्षतिग्रस्त किसानों को बीज खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

स्त्रियों एवं बच्चों को आपत्तिकालीन भोजन वितरण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यूनीसेफ तथा केयर के सहयोग से प्रदेश के ४ जिलों में चलाया जा रहा है । इस योजना के अधीन चूर्ण से बना हुआ दूध तथा अन्य भोज्य सामग्री ११ वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं में वितरित किया जाता है । इस प्रकार से सहायता पाने वालों की संख्या इन चारों जिलों में लगभग ६ लाख है। इस कार्यक्रम को इन चारों जिलों के ६२ प्रखण्ड विकास क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

पेय-जल योजना—

प्रत्येक वर्ष इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी, झांसी, गाजीपुर, मिर्जापुर तथा हमीरपुर के जिलों में ग्रीष्म ऋतु में नदियों,नालों तथा कुओं के सूख जाने से एक बहुत बड़ी संख्या में जनता को पेय-जल का कष्ट होता रहा है । इस संबंध में शासन द्वारा दो प्रकार की योजनायें स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग की ओर से कार्यान्वित की जाती हैं । प्रथम स्थायी योजनायें एवं द्वितीय अस्थायी योजनायें । इन दोनों योजनाओं के अधीन कहीं-कहीं पाइप बिछाकर तथा टंकियां बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर नल लगवाये जाते हैं, कहीं-कहीं टैंकरों में भरकर निश्चित समय पर निश्चित ग्राम में जल पहुंचाया जाता है और कहीं-कहीं ट्रक, जीप, बैलगाड़ी जो भी यातायात के साधन सुलभ होते हैं उनके द्वारा जल पहुंचाया जाता है । स्थायी योजना के अधीन इलाहाबाद के ३२७ गांव, झांसी के २०६ गांव, बांदा के १५६ गांव मिर्जापुर के १०३ गांव लिये गये हैं । अस्थायी योजना के अधीन बांदा के ९४, मिर्जापुर के ४५४, झांसी के २१८, इलाहाबाद के १८५, वाराणसी के ४१ तथा हमीरपुर के १२ गांवों में पेय-जल की योजनायें हैं और उन्हीं पर इस ग्रीष्म ऋतु में कार्य किया गया। इनके अतिरिक्त हमीरपुर था गाजीपुर जिलों के क्रमशः १,१८,४०० रु० तथा २५,००० रु० की धनराशि इस वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में पेय जल के संकट के निवारणार्थ स्वीकृत किया गया । पेय-जल के अधीन स्थायी योजना पर २१५ लाख रुपये की तथा अस्थायी पर विगत योजनाओं वित्तीय वर्ष में २२,८३,४०० रु० और इस वर्ष के कुल ४ महीनों के लिये ४,३८,८०० रु० की धनराशि आवंटित की गयी हैं ।

यह धनराशि जो मैंने बताई वह है जो यहां से सैंक्शन की गई लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा हुआ वह है १,०९,४०,००० ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा—

यह सम्भावना व्यक्त की गयी थी कि अन्न संकट से तथा पेय जल की कमी से विविध प्रकार के संक्रामक रोग जैसे चेचक तथा है जो इन क्षेत्रों में अधिक फैलेगा और इस बात को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ७ चल चिकित्सा केन्द्र, ४ मिर्जापुर में, एक-एक इलाहाबाद,वाराणसी तथा बांदा में चलाये जा रहे हैं । इन चल चिकित्सा केन्द्रों में अब तक २३,८०१ व्यक्तियों को जो टेस्ट वर्कों पर काम कर रहे हैं चिकित्सा की जा चुकी है । इनके अतिरिक्त विभिन्न मेडिकल कालेजों से तथा इलाहाबाद, कानपुर वाराणसी के विद्यार्थियों ने भी छोटी-छोटी टीमें बनाकर स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग दिया । इन टीमों को छोटे-छोटे क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के टीके लगाने का काम तथा दवा बांटने का काम सौंपा गया । इनके द्वारा २३,९७४ व्यक्तियों को दवायें दी गयीं तथा १७,१४९ व्यक्तियों को हैजे के तथा १८,०४५ व्यक्तियों को चेचक के टीके लगाये । जनवरी, सन् १९६७ से लेकर इलाहाबाद, बांदा तथा गोरखपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद के डिवीजनों के कुल १७ जिलों में प्रथम बार में १,५२,१५८ व्यक्तियों को और दूसरी बार ५,७५,४५८ व्यक्तियों को टीका लगाया गया । अकेले मई के महीने में ही ६९,८४९ व्यक्तियों को प्राथमिक टीका तथा दूसरी बार २,६०,१५२ व्यक्तियों को टीका लगाया गया । इसी प्रकार हैजे के लिये पहली जनवरी से अब तक १,७१,५१४ व्यक्तियों को टीके लगाये गये । हैजा की बीमारी की सूचना केवल फैजाबाद जिले से प्राप्त हुई जहां २१ व्यक्तियों को यह रोग हुआ तथा एक व्यक्ति के मरने की खबर मिली है परन्तु चेचक से ८०३ व्यक्तियों के बीमार होने की तथा २६६ व्यक्तियों की चेचक से मृत्यु होने की सूचना मिली है । इनके अतिरिक्त ४,७१,५२० मल्टी विटामिन की टिकियां, इलाहाबाद, मिर्जापुर और देवरिया में वितरित की गयीं ।

अन्न और जल कष्ट के साथ ही साथ पशुओं के चारे की समस्या भी बड़े गंभीर रूप से इस प्रदेश में उत्पन्न हो गयी थी और इस हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों से सस्ते मूल्य पर चारा मंगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु तथा वन विभाग से घास इत्यादि की सहायता उपलब्ध करने के लिए ६५,०००रु० की धनराशि आवंटित की गयी है । इसके अतिरिक्त एक ठेकेदार को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया गया है जिससे उचित मूल्य पर जानवरों के हेतु चारा उपलब्ध है तथा आवश्यकता होने पर प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले के हेतु वहां से मंगा सकता है । इस चारे ाने में रेलवे से छूट दी जाती है ।

सस्ते गल्ले के वितरण की कार्यवाही जो खाद्य विभाग के द्वारा होती है, के अधीन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ३१ मार्च, १९६७ तक ४,२२८ दूकानें थीं और विगत ३१ मई तक इन दूकानों की संख्या बढ़ाकर ६,५४५ की गई। इन दूकानों के संबंध में जनता के चुने हुये नुमाइन्दे, तथा जिला परिषद् के सदस्य प्रखण्ड विकास क्षेत्रों के प्रमुखों को निरीक्षण करने के अधिकार भी दे दिये गये हैं जिससे इन दूकानों के द्वारा होने वाले वितरण संबंधी शिकायतें दूर हो सकें। मुफ्त वितरण हेतु अप्रैल, मई, जून के महीने में कुल ३००० टन गल्ला जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था वह भी इन्हीं सूखे से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के हेतु जिलाधिकारियों को आबंटित कर दिया गया है।

यह धनराशि जो मैंने बतायी वह जो यहां से सैंक्शन की गयी लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा हुआ वह है १,०,४०,००० ।

सूखे की मूलभूत समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के ऐसे भागों को जहां समय-समय पर अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से संकट पैदा होते रहते हैं वहां ऐसे उपचार किए जायं जिससे आने वाले निकट भविष्य में वहां की पैदावार बढ़ाई जाकर जनता की आर्थिक समस्या को सुलझाया जा सके। इसके हेतु वर्तमान शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

(१)	सिंचाई कूप	६०,०००
(२)	बोरिंग	८०,०००
(३)	रहट	३५,०००
(४)	पम्पिंग सेट	१८,०००
(५)	निजी नलकूप	१६,५००

और इस मद में २०,६८,००,००० रु० के ऋण दिए जाने का प्राविधान है। इनके अतिरिक्त सूखे से क्षतिग्रस्त जिलों में ८० राजकीय नलकूपों, १८० मील गूलों तथा २०० न काम कर रहे नलकूपों को ठीक करने का तथा १,२०० ऐसे राजकीय नलकूपों को सुधारने का लक्ष्य है जिनसे कम जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्ष १९६७-६८ में विद्युत् परिषद् की ओर से सूखे से प्रभावित जिलों में ३,९५० नलकूप पम्पिंग सेटों को बिजली देने का भी लक्ष्य है।

ओला—

प्रदेश के देवरिया, बलिया, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बांदा जिलों में ओला पड़ा। यह ओला विगत मार्च मास की १४ से २९ तारीख के भीतर गिरा। इन जिलों में उपलवृष्टि से हुई क्षति निम्न प्रकार थी—

देवरिया जिले की सलीमपुर तहसील में जो ओला गिरा उससे १५२ गांवों को २१,२०० एकड़ भूमि में गेहूं, जौ, चना और अरहर के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है। किसी मनुष्य अथवा पशु के मरने की सूचना नहीं मिली। इसी जिले में २६-३-६७ को सलेमपुर तहसील के ब्लाक बिलौनी और बरहज में भी छोटे-छोटे ओले गिरने की सूचना मिली थी।

गोंडा जिले में गोंडा, उतरौला तथा बलरामपुर तहसीलों के २९३ ग्रामों में १४ मार्च को ही ओले से ७६,२५७ एकड़ भूमि में गेहूं, जौ, चना, अरहर की खड़ी फसल के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है। इस ओले से ६ गायों की मृत्यु हुई।

बस्ती जिले में डुमरियागंज, बांसी, बस्ती, खलीलाबाद, नौगढ़ तहसीलों के अन्तर्गत १,७२० गांवों में १४ मार्च को ही ओला गिरा जिससे ७१,५७२ एकड़ में गेहूं, जौ, चना तथा अरहर की खड़ी फसल के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है।

गोरखपुर जिले की सदर, बांसगांव और फरेंदा तहसीलों के ९५४ गांवों में १४ मार्च के ओले से ३१,७३० एकड़ भूमि में खड़ी फसल की क्षति होने का अनुमान है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

जिलाधीशों की रिपोर्ट से यह विदित होता है कि ओला २२-३-६७ से २९-३-६७ तक विभिन्न जिलों में गिरा किन्तु ओला मुख्यतया २३-३-६७ तथा २६-३-६७ को ही अधिकतर जिलों में गिरा। प्राप्त सूचना के अनुसार बुलन्दशहर, मैनपुरी, बदायूं, कानपुर, फर्रुखाबाद, गढ़वाल, उन्नाव, हरदोई, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा चमोली में उक्त तिथि में कोई ओला नहीं गिरा। मेरठ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, झांसी, में बहुत मामूली ओला गिरने की सूचना मिली है जिससे किसी विशेष प्रकार की हानि नहीं हुई।

अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में १०,५२१ गांव तथा ११,८४,८३४ एकड़ भूमि इस ओले से प्रभावित हुई है। ओले के कारण प्रदेश में ९ मनुष्यों की मृत्यु तथा १२७ मनुष्यों के घायल होने की सूचना मिली है। इसी प्राकृतिक आपदा के कारण ३५२ जानवर मर गए और २३२ जानवर घायल हो गए।

जहां-जहां ओला गिरा था वहां-वहां जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया था कि उन क्षेत्रों में मालगुजारी की वसूली फौरन रोक दी जाय और तकाबी तथा अहेतुक सहायता के लिए अतिरिक्त धनराशि जो उन्हें पहले से दी गयी थी, से प्रभावित लोगों में वितरण के आदेश दे दिए गए थे।

बजट--

पछले वित्तीय वर्ष में सूखे के लिये कुल २,८५,९१,२१९ रुपये व्यय किया गया इसके विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में ६ करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। उक्त धनराशि में से २ करोड़ रुपया टेस्ट वर्क्स पर, २ करोड़ रुपया अहेतुक सहायता पर और शेष २ करोड़ रुपया आपत्तिकालीन तकावी के रूप में व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

इस सूखे का यह ब्यौरा अपूर्ण रह जायगा यदि जन सेवी एवं परोपकारी संस्थाओं के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण उपस्थित किया जाय। प्रादेशिक स्तर पर इन जन सेवी संस्थाओं का प्रधान कार्यालय लखनऊ में ही है और उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति के नाम से विख्यात है। संस्था के अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर हैं। इस संस्था ने मुफ्त भोजनालयों के चलाने का संचालन कार्य हाथ में लिया है और इसके द्वारा इस समय प्रदेश में २०४ मुफ्त भोजनालयों का संचालन कार्य किया जा रहा है। जिनकी जिलेवार संख्या निम्न प्रकार से है :

जौनपुर	७
गाजीपुर	१०
मिर्जापुर	१२५
इलाहाबाद	११
वाराणसी	१२
बांदा	१०
गोरखपुर	११
आजमगढ़	७
बस्ती	५
बलिया	३
अल्मोड़ा	३

इनके अतिरिक्त देवरिया में पांच भोजनालय खोले जा रहे हैं।

जिन संस्थाओं ने हमें बहुमुखी सहयोग दिया है उनके नाम हैं--

यूनिसेफ--यूनिसेफ के द्वारा मुख्यतः दुग्ध वितरण तथा दवाओं के वितरण का कार्य किया गया।

भारतीय रेडक्रास समिति प्रत्येक मास अन्न के रूप में सेब की पूरी, दुग्ध चूर्ण, पिसा हुआ जौ, बिस्कुट तथा दवाओं के साथ-साथ कपड़ों के वितरण में सहयोग दिया।

राम कृष्ण मिशन ने पहले बांदा जिले में और अब मिर्जापुर के जिले में एक छोटे से क्षेत्र में सघन रूप से कार्य करके सहयोग प्रदान किया।

भारत सेवक समाज, वीमेन्स फूड कौंसिल, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसियेशन, कैथोलिक रिलीफ सोसाइटी, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, गांधी स्मारक निधि तथा अन्य विभिन्न संस्थाओं ने अन्न से, वस्त्र से तथा शारीरिक सहायता से हमें इस बड़े काम में सहायता दी है ।

सूखा अर्थात् अनावृष्टि, उपलवृष्टि अर्थात् हिमवृष्टि एवं अतिवृष्टि ऐसे दैवी प्रकोप हैं जिनका सामना करने के लिये न केवल शासन वरन जनता के सभी अंगों का सहयोग अपेक्षित है। यह हो सकता है कि जिस परिमाण में भारत सरकार ने बिहार को सहायता दी वह सहायता हमें नहीं मिल पाई । जिस रूप में बम्बई मद्रास,कलकत्ता या कानपुर के धनाढ्यों से सहायता अपेक्षित थी उतनी न मिल सकी, परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि प्रदेश की आर्थ तथा वित्तीय अवस्था को देखते हुये इस सरकार के द्वारा सहायता कार्यों में कोई शिथिलता नहीं की गयी ।

अभाव और सूखा हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्यायें हैं । इसका हमें पूर्ण साहस, सबलता, एवं दृढ़ता के साथ सामना करना है । जिस जनता में आत्मबल न हो वह दैवी आपदाओं का मुकाबला करने में अपने को कमजोर समझेगी । मेरा आप सबसे इस विषय में अनुरोध है कि आप इस गंभीर परिस्थिति का, संकट के इस प्रकोप का दृढ़ता से मुकाबला करने में सहयोग दें एवं जनता के आत्मबल को जगाने में आगे बढ़कर कदम उठायें जिससे न केवल आज ही इस समस्या का समाधान हो सके वरन् आगे आने वाले दिनों के लिये भी इस समस्या को सुलझा लिया जाय ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

समय बांध दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। माननीय नेता विरोधी दल से परामर्श करके बतलाऊंगा और तभी समय निश्चित हो जायगा।

श्री गेंदोंसिंह—

उग्रसेन जी जितने समय के लिए इजाजत देंगे उतने ही समय तक बोलूंगा। ५ घंटे तक बोलने की न सामर्थ्य है न आवश्यकता है । थोड़ी बात मैं माननीय उग्रसेन जी की सेवा में और सारे सदन की सेवा में रखना चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा कर मेरे क्षेत्र देवरिया चलें। मैं उनको सारी सुविधाएं अपनी तरह से देने की कोशिश करूंगा और वह देखें कि स्थिति क्या है।

इस विवाद में शिरकत करने के पहले मैं बहुत नम्रतापूर्वक और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि परसों जब यह निश्चय हुआ इस सदन में कि इस विषय पर कोई बातचीत होगी तो मैं कल चला गया था और मैंने अपने को फिर एक बार इस कसौटी पर रखने की कोशिश की कि इस सदन में क्या कहूं पहले इसे तो सोच लूं। मैं ब्लाक के दफ्तर में गया और यह पूछा भी जैसी कि मेरी जानकारी थी कि भूख से मृत्यु हुई है, लेकिन कुछ कहने में मैं संकोच करता था। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ब्लाक से यह मालूम हुआ कि मई के महीने में १०५ मृत्युएं उस ब्लाक में हुई थीं।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

माननीय मित्र ने कुछ यह फरमाया कि कहीं कल गए थे और फिर मुझे सम्बोधित किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां से प्रेरणा लेकर आए हैं आप ताकि मुझे भी जरूरत पड़े तो मैं भी वहां हो आऊं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—

मैं अन्याय नहीं करूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री से मुझे प्रेरणा नहीं मिलती है कुछ कहने की। वह कभी मानने को तैयार नहीं होते जब तक वह स्वयं देखें न। इसलिए उनसे प्रेरणा नहीं मिली बल्कि प्रेरणा मिली उन भूख से मरने वाले लोगों से। मैं तो कहता हूं कि आप कृपा करके एक दिन के लिए चलिए तो आप स्वयं देख लेंगे। जिस तरह से १९५४–५५ में आप गए थे और उसके बाद आपने अपने अधिकारियों को दंडित किया था कि गलत रिपोर्ट दी तुमने। तब आप मुख्य मन्त्री के स्थान पर नहीं थे, माल मन्त्री के स्थान पर थे। लेकिन जब आपने स्वयं जा कर देखा तो हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने स्वयं मुख्य मन्त्री जी से कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी से काम किया है। मैं आज भी विश्वास करता हूं कि अगर वह जायेंगे तो बिल्कुल उसी राय के होंगे।

मैं यह कह रहा था कि मैं कल ब्लाक के दफ्तर में गया था और वहां पूछा कि पिछले महीने में मृत्युओं की संख्या क्या है? तो उन्होंने बहुत देख दाख कर बताया कि १०५ मृत्युयें हुई हैं। यह कभी गलतफहमी न हो कि उन्होंने यह कह दिया कि भूख से हुई। लेकिन मैं आपके सामने विचार के लिए रखता हूं कि मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च में कितनी हुई थीं ताकि एक अनुमान लगाया जा सके। जनवरी, १९६७ में ४२ मृत्युयें हुई थीं, फरवरी में २४, मार्च में २०, अप्रैल में ३८ और मई में १०५ मृत्युयें हुईं। हमने पता लगाया कि कोई एपिडेमिक भी हुई? उन्होंने कहा, हां, चेचक हुई और उससे ४० मृत्युयें हुईं। तो जो बाकी ६५ रहीं उनके बारे में सोचना पड़ता है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा हुयीं जबकि पिछले वर्ष मई में केवल २२ मौतें हुई थीं। तो देखने से मालूम होता है कि भूख से ये मृत्युयें हुईं लेकिन ऐसा कहने में थोड़ा सा संकोच होता है। मैंने आपकी सेवा में कुछ तस्वीरें भेज दी थीं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी की सेवा में फिर इन तस्वीरों को भेजूं। इन से मैं इतना प्रभावित नहीं था कि जो मैं मान लूं कि भूख से मृत्यु हुई लेकिन देखने से मैं प्रभावित हूं और मैं ऐसा कहता हूं कि यह बड़ा भारी दोष है। हम यह मानते हैं कि अकाल पड़ा। माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया उसमें भी कहीं इन्कार नहीं किया और जो विपत्ति है वह सब पर है लेकिन अगर सारे सूबे में एक ही साथ एक तरह की विपत्ति न आए और किसी भाग में हालत ऐसी है जिसमें लोग भूख से मर सकते हैं तो फिर उदारतापूर्वक उस पर विचार करना चाहिए। यह बात बिल्कुल साफ है कि पिछले वर्ष पानी कम बरसा। उसके पहले साल में भी कुछ गड़बड़ बरसा और अगर सच पूछिए तो यह मानना पड़ेगा कि इस प्रदेश के ये कुछ ऐसे अभागे हिस्से हैं जो पिछले ३० वर्षों से भुगतते चले आ रहे हैं। मुझे कोई दोष दे और माननीय राकेश जी जरूर दोष देंगे कि २० साल की शरारत थी जिसकी वजह से दुख भोग रहे हैं। लेकिन भाई उग्रसेन जी मैं स्वीकार कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो केवल दो वर्ष के लिए पकड़ा जाऊंगा, बाकी १८ वर्ष तो मैं उन लोगों के साथ ही रहा हूं? इसलिए इस विषय पर मुझे बहुत जोर से पकड़ने की ताकत उग्रसेन जी में नहीं है। इसके लिए वे जो प्रायश्चित करने के लिए कहेंगे वह मैं कर दूंगा।

श्री उग्रसेन—

आप सही बात तो बोलें।

श्री गेंदासिंह—

आप बता दीजिए क्या कहूं? मैं यह कहूं कि वहां दुर्दशा नहीं है, इस समय जो बरबादी अंधड़ से वहां हुई है, वह नहीं हुई।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है लेकिन जो दिशा अपना रखी है वह सही नहीं है। अगर हम और आप सब कदम से कदम मिला कर चलते तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए होते।

श्री गेंदासिंह—

इस हाउस के बाहर बैठ कर यदि माननीय राकेश जी चर्चा करेंगे तो जरूर करूंगा। वह जितना रिजिड मुझे समझते हैं उतना नहीं हूं। लेकिन बुड्ढा हो गया हूं और कूद फांद ज्यादा नहीं कर सकता हूं। कभी भी विचार विनिमय करने के लिए जो इन्कार करता है, मैं समझता हूं कि वह पोलिटिक्स में रहने के काबिल नहीं है। मैं सीरियस बात कर रहा था लेकिन उग्रसेन जी मुझे बहकाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी सारी चीजें जाकर देखें और मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इन्हीं को भेज दें और जो कुछ यह बतायें उसको सदन स्वीकार करे।

मैं कह रहा था कि यह मेरी राय नहीं है बल्कि विशेषज्ञों की राय है कि यह भाग कुछ ऐसे हैं जहां घनी आबादी है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, खेती कम है और दूसरे, तीसरे वर्ष यहां बाढ़ें आती रहती हैं। सूखा भी पड़ जाता है और माल मन्त्री जी ने १७ जिलों के लिए कहा है। ५१ से लेकर ७५ फीसदी तक खरीफ की फसल बरबाद हुई थी। इस बात को ध्यान में रखना है। इस वर्ष से पहले भी यहां की अच्छी तस्वीर नहीं है। रबी की फसल में इतनी बात निश्चित है कि जो लोग हमारी आलोचना करेंगे वह भी इसको स्वीकार करेंगे कि वहां सिंचाई की व्यवस्था नाममात्र को है। इसके अलावा पछुआ हवायें भी बहुत तेज चलीं। मैं यह नहीं कहता कि रबी की फसल सारे प्रदेश में बरबाद हो गई है। मैं मानता हूं कि जहां पानी की व्यवस्था रही वहां प्राकृतिक प्रकोप से जूझकर किसान ने पैदावार की है। लेकिन जहां साधन नहीं थे वहां किसान नहीं जूझ सके। जाड़े में बरसात नहीं हुई और रबी की फसल मारी गई।

राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि २१,८७,००० भूमिहीन किसान हैं। ये कुल संख्या नहीं है बल्कि परिवार हैं। वे आधे एकड़ वाले किसानों की भी भूमिहीनों में गिनती कर लें। उनका भी ५/६ सदस्यों का परिवार है। वह भी बिना जमीन के किसानों की तरह से उसी बीमारी में मुब्तिला हैं। गोरखपुर और वाराणसी में ११ लाख परिवार हैं। जब मैं यह कहता हूं कि करीब दो करोड़ की आबादी मौत के मुंह में है, उसमें एक एकड़ वाले को नहीं ले रहा हूं, आधे एकड़ वाले के किसान को और भूमिहीनों को ले रहा हूं। इन दो करोड़ लोगों को खेत में काम हो तभी तो मजदूरी मिल सकती है लेकिन जब कोई खेत का काम न हो तो किस काम में लगाएं। मैं सिर्फ अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूं। मार्च, अप्रैल में फसल कटने वाली थी और दूसरी तरह से लोगों का काम चल सकता था। लेकिन जब फसल खत्म हो गयी, पानी बरसा नहीं, फिर किस जगह पर भूमिहीन और आधे एकड़ वाला आदमी काम करता? कौन सी मजदूरी उसको मिल रही है वह इस बात पर विचार जब तक नहीं करेंगे तब तक स्टारवेशन डेथ से हमेशा इन्कार करते रहेंगे। कहा कि ६ हजार ५ सौ दूकानें खोल चुके हैं लेकिन उन दूकानों को मालूम नहीं, इस स्टेटमेंट में नहीं बतलाया गया है कि उनको कितना अन्न दिया गया। यह सदन जानना चाहेगा कि उन दूकानों को कितना अनाज अप्रैल, मई, जून में दिया गया। आज मैन मेड फेमिन कहा जाता है। मैं जांच करवाने से, दावा करता हूं, साबित कर सकूंगा। हमारे इलाके में चारों तरफ प्रतिबन्ध लगा हुआ है, स्मगलिंग करते हैं, पांच किलो से ज्यादा कोई बनिया भी नहीं ले जा सकता बाजार में बेचने के लिए। गल्ले के बाजार में एक सेर चावल मोटा से मोटा सवा दो रुपए में मिलता है। जो बनिया घोड़ा लाद कर सात-आठ मील जाता है उसको सवा दो रुपए में १६ छटांक चावल मोटा मिलता है। तो क्या हालत होगी? दो रुपए आदमी को मजदूरी भी मिल सकेगी तो स्टारवेशन डायट से ज्यादा नहीं है। मैं मुकाबला नहीं करता जो कुछ पिछली सरकार ने किया। ६५ हजार रुपया चारे के लिए बांट दिया। कितने मवेशियों का ६५ हजार में बन्दोबस्त हुआ होगा। कुछ करोड़ मवेशी हैं। ६५ हजार रुपए मिर्जापुर में और दूसरे जिलों को दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बाजू बिहार में देखे क्या हो रहा है। क्या यह नहीं देख सकती? हम बिहार के निकट के रहने वाले हैं। माननीय राकेश भी बिहार के निकट के रहने वाले हैं। एक विदेश का विशेषज्ञ बिहार गया, उसने मिर्जापुर को भी जाकर देखा। उसकी क्या राय है बिहार के बारे में और राय रूप है मिर्जापुर के बारे में?

मिर्जापुर को देखकर उसने अपनी राय जाहिर की। अगर बिहार ७५ करोड़ रुपया अपने रिलीफ काम में खर्च करना चाहता है, १५-२० करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, २७ करोड़ रुपया यदि वह खर्च कर सकता है तो आप भी इतने बड़े पैमाने पर वहां पर मदद लोगों की क्यों नहीं कर रहे हैं। यह ठीक है कि वहां पर सूखे की स्थिति हमारे कांग्रेसी शासन काल के समय से शुरू हुई है, लेकिन मैंने उसके लिये कोई प्रयास उठा नहीं रखा है। किन्तु वर्तमान सरकार में तो पहले की सरकार की अपेक्षा पीड़ितों से अधिक सहानुभूति रखने वाले लोग है। तो यह कमी क्यों हो रही है। जो भूख से मौतें हो रही हैं, जो भूख से अधमरे हो रहे हैं और मत्यु के मुंह में जाने वाले हैं उनको भूख से मरने से बचाया जाय। मैं सरकार के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि वह वास्तविकता को दृष्टि में रखकर विचार करें और इसी दृष्टि से आपत्ति के निवारण का प्रयत्न करें। इस संकुचित दृष्टि से वे विचार न करें कि वहां पर उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं वहां से उनकी पार्टी के लोग जीतकर नहीं आए हैं और यह बात सरकारी पक्ष के सदस्य की ओर से न कही जाकर विरोधी पक्ष के एक सदस्य के द्वारा कही जा रही है जो भूतपूर्व सरकार में मंत्री रह चुका है। यदि मंत्री जी के सोचने का यही रवैया है तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं यदि माननीय मंत्री जी कहें, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों का भूख से मरना बरदाश्त नहीं करूंगा। मैं मिनिस्टर रहा हूं, इसलिये उग्रसेन या दूसरे सदस्य जितना चाहें गाली दे लें, सुन लूंगा। किन्तु मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूं कि देवरिया में और देवरिया के जिस हिस्से से मैं चुनकर आया हूं वहां पर आज भुखमरी की स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्रों से भी इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। जब तक इस मसले को उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीरता के साथ नहीं समझेगी, जब तक इसकी गम्भीरता को सरकार नहीं समझेगी तब तक भारत की सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देगी। भारत सरकार को भी शिकायत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कहती है उस तरह से हम मान लेते हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। किन्तु यदि आप यह समझते हैं कि जबतक हमसे लड़ते रहोगे और उधर बैठते रहोगे तब तक वहां के लिये कुछ नहीं होगा तब तो मैं यह कुर्सी अवश्य छोड़ दूंगा और वह कुर्सी भी छोड़ दूंगा।

श्री कमलाप्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो राजस्व मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। २३,२४, व २९ मार्च को जिला जौनपुर के मड़ियाहूं, मछलीशहर तथा शाहगंज तहसीलों में और वाराणसी में उपलवृष्टि हुई और इसकी सूचना भी मैंने मंत्री जी को दी। भयंकर उपलवृष्टि से लोगों के खपरैल टूटे, मवेशी और आदमी घायल हुये, लेकिन यह रिपोर्ट में नहीं है जिससे वहां के लोग सहायता से वंचित रह जाएंगे।

श्री अध्यक्ष —

अभी आप बैठ जाएं, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा, तब आप कहियेगा अभी माननीय उग्रसेन जी ने एक बात कही थी जिसको मैं उस समय ठीक से समझ नहीं पाया था। उन्होंने कहा कि समय को बांध दो, तो क्या उनका मतलब माननीय सदस्यों के बोलने के समय को निश्चित कर देने से है ?

श्री उग्रसेन —

जी हां।

श्री अध्यक्ष —

तो इसके लिये मैं यह समझूंगा कि समय न भी बांटू तो माननीय सदस्य १० मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया करें।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर) --

अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोग यहां पर सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिये पांच बजे के बाद भी एकत्र हैं तो यह प्रश्न अपनी जगह पर अवश्य ही महत्व का है। अभी गदासिंह जी ने कुछ मौतों का जिक्र करते हुये उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी। यह बात ठीक है कि बहुत से लोग भुखमरी से मरे हैं, लेकिन आज से नहीं सदियों से मरे हैं। जो लोग मरे हैं उन मरने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है और उसका कारण क्या है? इसकी खोज-बीन करने पर मैंने इसका कारण यह पाया है कि इसके पहले किसी सरकार ने यह कोई नियम नहीं प्रकाशित किया कि कोई व्यक्ति कह सके कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु भूख से हुई है।

शायद उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार या इसके पहले किसी भी सरकार के पास कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं होगा जिसमें किसी भी जिलाधीश ने यह सूचना दी हो कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु भूख से हुई है। जब सभी लोग इस अहम मसले पर विचार करने के लिये एकत्र हैं तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वे कम से कम किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से हुई है उसके लिये कोई नियम बनावें, जिलाधीशों को कोई निर्देश दें और नहीं तो महज जहां तक हम सत्प्रयास कर रहे हैं और अव्यवस्था और दोषों की तरफ इंगित करते हैं वहां जो मौलिक गलती रह जाती है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। मैं यहां इतना अवश्य बता दूं और इसके पहले भी जब १८ दिन यहां कांग्रेस हुकूमत चली थी तब मिर्जापुर में मैंने कहा था कि भूख से १५० व्यक्तियों की मत्युयें हुई हैं लेकिन माननीय गुप्ता जी ने हमारी सूचना को गलत समझा और सूचना देने की कोशिश नहीं की और भले ही उस वक्त वह विवाद टल गया लेकिन इधर भी ७ व्यक्ति भूख से मरे और मैंने उनके नाम स्थान तिथि सारी की सारी चीजें लिखकर भेजीं और जब कल विचार विमर्श करने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के पास गया तो मुझे निश्चित रूप से महसूस हुआ कि सभी लोग अनिश्चित अवस्था में हैं कि कौन व्यक्ति भूख से मरे हैं और कौन भूख से नहीं मरे हैं इसका किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आज कम से कम विचार हो रहा है तब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय शर्मा जी, राजस्व मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की घोषणा कर दें कि १५० ग्राम से कम अगर किसी व्यक्ति को भोजन मिलता है तब उसकी मृत्यु भुखमरी से समझी जायगी या कोई और नियम निबद्ध करें म उसको सीमित नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मिर्जापुर भूखमरी का प्रतीक है वहां अकाल की छाया मंडरा रही है। ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि आपने प्रयास किये है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और इधर जो हाल में प्रयास हुये हैं वह हुये हैं, लेकिन बावजूद इसके शिकायतें सही हैं और उन शिकायतों के लिये भी हमने इसके पहले भी हमेशा कहा है कि आप दो-चार कदम और आगे बढ़ गये होते और जैसा माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं कि कुछ बातों की सत्यता को हम स्वीकार कर लेते हैं उसी प्रकार हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ जांय और जो सत्य है उसे स्वीकार कर लें।

मैं मिर्जापुर की बात बताऊंगा। हमारी प्रधान मंत्री महोदया दो बार वहां गयीं, हमारे राष्ट्रपति वहां पधारे और जितने लोग वहां जाना चाहिये थे शायद उस सीमा से ज्यादा लोग वहां पधारे लेकिन दो बार पधारने के बावजूद प्रधान मंत्री जी के वहां दुखदर्द को सुनकर द्रवित होने के बावजूद वह भी उसी मौलिक गलती को करके चली गयीं और किसी ने यह निर्देश नहीं दिया केन्द्रीय सरकार को या प्रान्तीय सरकार को कि मिर्जापुर को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय और इसी कारण आज वहां इंसान की जिन्दगी दूभर हो रही है। मिर्जापुर वह जनपद है जहां राबर्टसगंज का वह इलाका है जहां नियम कानून जो आप चलाना चाहते हैं वह चलते नहीं हैं, जहां शेरों, चीतों, बाघों की चिग्घाड के सिवाय इंसान की आवाज नहीं सुनाई देती जहां जंगलों में आदिवासी वनों में रहने वाले इंसानों के प्रति देखकर भी आपको हमदर्दी होगी वहां के लिये

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

अभी तक अकाल पीड़ित घोषित न करना और यह भी पता नहीं है कि आज कितने भूख से मरे हैं कितने नहीं मरे हैं इसकी भी सूचना न होना यह निहायत कष्ट देने वाली बात है। जैसा कि हमारे साथी गेंदासिंह ने कहा कि निश्चित रूप से इस समस्या पर दूसरे स्तर से विचार होना चाहिये और राजनीतिक पृष्ठ भूमि में लाकर जब किसी प्रश्न को उलझा दिया करते हैं और तब वास्तविकता मौत के पीछे पड़ जाती है और मखौल आगे आ जाता है। और सदन में भी और बाहर भी राजनीतिक हथकंडे राजनीतिक दाव पेंच शुरू हो जाया करते हैं।

मैं यह कहूं कि राजनीति और सिद्धांत कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है और न ऐसी कोई बात है जो राजनीति से परे हो। हम तमाम चीजों को जब अंकित करते हैं तो वहां राजनीति से दूर चले जाते हैं। उन तमाम कमियों और दोषों के बावजूद मिर्जापुर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वहां पर २४२ टेस्ट वर्क चल रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। वहां पर रिलीफ का काम काफी हो रहा है। तमाम सोसाइटीज वहां पर काम कर रही हैं। १२७ फ्री किचन वहां पर चल रहे हैं। बहुत अंश में नौकरी देने के लिये भी काम हुये हैं। अन्न की सप्लाई भी हो रही है लेकिन यह सब किस आधार पर हुआ है इस संबंध में एक मौलिक बात इस सेशन के शुरू होने से ही इस सदन के समक्ष रखता आ रहा हूं। इन महीनों में वहां पर प्रयास किया गया लेकिन इस तरह के प्रयास का आगे क्या परिणाम निकलेगा यह कहना कठिन है। जिस तरह से नियोजन के नाम पर कुनियोजन पिछले २० साल के दौरान हुआ उसी का यह भयंकर परिणाम सामने आया है। एक तरफ तो हम नियोजन करते रहे और सब कागजी कार्यवाही करते रहे लेकिन वस्तुस्थिति यह हुई कि कोई काम वहां पर नहीं हो सका। आदर्श के गगन में हम उड़ते रहे, यथार्थ में धरती पर नहीं उतर सके लेकिन आज उस नियोजन की व्यवस्था को नहीं सुधारते हैं तो फिर हमारे जैसे लोग यहां आकर यह कहते रहेंगे कि १० मरे और २० मरे और उसका जवाब यह कि जिलाधीश ने यह लिखा और यह रिपोर्ट दी इससे कोई लाभ विशेष वहां के लिये निकलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय सदस्य अपनी स्पीड बोलने की कम कर दें तो हमारे आशुलिपिकों को लिखने में आसानी हो।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं काफी प्रयत्न करके बोल रहा हूं कि तेज न बोलूं। मैं वितरण की व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भूख से जो मत्यु हुई है उनके संबंध में वितरण की समस्या पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मिर्जापुर भूख से मरने का एक प्रतीक हो गया है। यदि यह कहा जाय कि भूख से मिर्जापुर में मौत होती है तो उस पर इस सदन को विचार करना है। ऐसी व्यवस्था पर विचार करना जरूरी है जिससे वहां के लोगों को सहायता मिले और लाभ पहुंचे। वितरण के संबंध में जो कमी है उसके संबंध में माननीय माल मंत्री जी को मैंने पूरी योजना बनाकर दी है जिससे प्रत्येक आदमी को लाभ पहुंच सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि महिलाओं ने बहुत काम करना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी काम करना शुरू कर दिया, बूढ़ों ने भी काम करना शुरू कर दिया लेकिन बावजूद इन सब बातों के जब यहां बजट से हम उनको देते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि गरीब तक कितना पहुंचा है। उस गरीब तक उस सहायता के पहुंचने का कुछ आधार होना चाहिये। इधर हमने देखा है कि २० साल में कुछ ऐसे खानदानी समाजसेवी गली-गली और मुहल्ले-मुहल्ले आज विचरण करते हुये दिखाई देते हैं जिन्होंने समाज में अपना एक स्थान प्राप्त कर लिया है। वह इधर-उधर घूमते हुए नजर

आते हैं। यह रोटी की दूकान के लिये और दूसरे समाज सेवा के काम के लिये ठेकेदारों के रूप में या समाजसेवी के रूप में घूमते नजर आते हैं और कभी कभी उन का अधिकारियों और नौकरशाही के साथ भी गठबंधन रहा है। इस समय भी उनका अवशेष ध्वंसावशेष नहीं हो पाया है। वे पुराने खंडहर अभी तक ढह नहीं पाये हैं। उनके संबंध में थोड़ी सी तवज्जह फरमाने की जरूरत है। मौलिक आधार पर इस बात को देखना चाहिये कि उसकी व्यवस्था सही और ठीक हो सके। जिलाधीश ने किन लोगों को सस्ते गल्ले की दुकान दी है, रोटी की दूकान का ठेका किस आदमी को दिया गया है इस बात का पता लगाने की जरूरत है। राष्ट्रपति महोदय भी वहां पर गये थे, कुछ लोग आये थे, जिलाधीश महोदय ने कहा कि चूंकि वहां कटौती की जाती है इसलिये उन का पैसा काटा गया। मैं आप से यह फिर निवेदन करूं कि एक भूखा इंसान जिस का अस्थि पंजर चरमरा रहा है, यदि उस से कहा जाय कि वह सात घन फुट मिट्टी का काम करे तो वह सारा का सारा काम नहीं कर पायेगा और इस बात पर आप उस के पैसे की कटौती करते हैं। ऐसा होने से तो उसका सारा परिवार भूखों मर जायगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां हम ने कुछ कार्य किया है वहां उससे कुछ लोग अवश्य लाभान्वित हुए हैं किन्तु वास्तव में सारी की सारी चीज, सारा का सारा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता।

मैं टेस्ट वर्क के लिये कह दूं। मिर्जापुर का अंचल, वह जनपद एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। उस के साथ राबर्ट्सगंज का जो इलाका है वहां पर पचास-पचास मील के ऐसे इलाके हैं कि जहां किसी ने टेस्ट नहीं किया, यह देखा नहीं, सोचा नहीं कि वहां टेस्ट वर्क चालू किया जाय अथवा नहीं। आप को देखना चाहिये उसे। मिर्जापुर की बड़ी दर्द भरी कहानी है और मैं उसे यहां प्रस्तुत कर रहा हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि इस में ऐसी मौलिक चीजें हैं कि जिनके लिये हर एक व्यक्ति को सहानुभूति होगी। मैं जानता हूं कि उसके लिये किसी के दिल में दर्द न हो, ऐसी बात नहीं है। शायद गेंदासिंह जी भी यदि इधर हों तो वह भी नहीं चाहेंगे कि वहां कोई भूख से मरे, लेकिन जो वितरण व्यवस्था के दोष हैं उनकी तरफ या तो तवज्जह नहीं दी जा सकी अथवा इतने कम समय में सरकार को उस तरफ जितना आगे बढ़ना चाहिये था उतना आगे नहीं बढ़ सकी इसलिये कि उस के सामने बहुत से ऐसे काम आ गये हैं जिन की वजह से वह इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपनी आंखों और अपने कानों को बन्द कर लेते हैं, अपने दिमाग को सुन्न कर लेते हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें। यह ठीक है कि वहां लोग मर रहे हैं और मैं इसके लिये बधाई देता हूं कि हमारे झारखंडे राय जी ने इस बात को स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में ३५ मत्युयें हुई हैं। मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मत्युयें हुई हैं। हमें वस्तु स्थिति को स्वीकार करना चाहिये, लेकिन इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था में जो दोष हैं उनको आप दूर करें और अगर संभव हो तो जिस स्तर से जिस चीज की मांग हम लोग करें, यदि वह उचित हो तो सरकार उसे स्वीकार करे। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमेशा यह मांग की है कि उस क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं केवल तीन मिनट और चाहता हूं। इतने में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

बहुत अच्छा, तो मैं यह कह रहा था कि उसे हम ने अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की। हम ने यह मांग की कि आप अपनी अकाल संहिता में कुछ आवश्यक संशोधन कर दें और वह संशोधन करने के बाद आप उस क्षेत्र के लिये जितना

[श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

ज्यादा से ज्यादा करना संभव है करने की कृपा करें। उस के लिये प्रयत्न करें। ऐसा होने पर सारी दुनिया की, सारे देश की निगाहें हमारी तरफ उठेंगी। संभव है कि केन्द्र से इस प्रकार के आदेश राज्य सरकारों को आ गये हों कि कोई भी राज्य अपने यहां किसी क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित न करे, लेकिन मैं इस समय केंद्र और राज्य की मीमांसा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि भुखमरी से बचने के लिये, मिर्जापुर की सुव्यवस्था के लिये और सरकार के अधिकारियों द्वारा वहां के लिये आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने के लिये, यह आवश्यक है कि अकाल संहिता में संशोधन किया जाय और उसे अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय और इस के साथ ही जो कुछ वहां भ्रष्टाचार चल रहा है उसे समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप का समय समाप्त।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष जी, आज बहुत बड़े महत्व के प्रश्न पर यह सदन विचार विनियम कर रहा है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। मैंने मान्यवर बहुत, होशियारी से अपनी बात कही थी लेकिन उस से काम चलता दिखायी नहीं देता क्या कि माननीय मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं। मैं भरोसा करता हूं कि अगर वे इस कार्यवाही को थोड़ा सा सुनने की कृपा करते तो बहुत अच्छा होता। मान्यवर, मैं भी बदकिस्मती से एक ऐसे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व इस समय कर रहा हूं कि जिसमें बहुत बड़ी भूख है, सूखे का भयानक प्रकोप है और सूखे का ही प्रकोप नहीं है बल्कि बड़े हिस्से में जहां धरती के पेट में भी पानी नहीं है।

श्री चरणसिंह---

श्रीमन्, बहुगुणा जी ने बड़ी कृपा की कि तशरीफ रख ली। मैं उन के कहने की वजह से बैठ गया, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह जो प्रदेश की परिस्थिति है वह एक लम्बे प्रकृति के दोष से, हम सब के दोष के कारण है, एक लम्बे जमाने से चली आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रख कर आप जो कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकें वह दें तो अच्छा होगा और केवल इस गवर्नमेंट पर दोषारोपण की बात ही अगर होगी तो उस की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी, अगर आप इस तरह की बात करें तो मुझे खुशी होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। इस प्रश्न को दोषारोपण का प्रश्न बनाना ही नहीं है और मैं जो बातें कहूंगा अपने स्वविवेक में वह रचनात्मक ही कहूंगा लेकिन अगर मेरी जानकारी में बताने में किसी परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्य मंत्री जी हमारे नेता सदन हैं, हमारे बड़े हैं उम्र में, वह हमारा सुधार भी कर सकते हैं, उनके रहने से यह भी लाभ होगा।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इलाहाबाद का जनपद इस सूखा से बहुत परेशान है। इलाहाबाद की सब से बड़ी कठिनाई यह है कि पिछले सभी प्रयास चाहे अंग्रेजी जमाने के या स्वराज्य के जमाने के हो, जिनसे इलाहाबाद को सिंचाई के साधन दिये गये, सिवाय गंगापार के क्षेत्र में जो थोड़ी सी ट्यबवेल की योजना बनी उसको छोड़ कर, इलाहाबाद सभी सिंचाई साधनों के टेल पर ही रहा। चाहे वह शारदा नहर हो या गंगा नहर हो, उनके टेल पर है। जो शाखा जाती है फतेहपुर से धाता को उसमें इलाहाबाद का कुछ भाग चाइल, सिराथू और मंझनपुर का कुछ भाग पड़ता है और जो शारदा की दुम है वह सोरांव तहसील में थोड़ी सी

लागू होती है। जहां तक जमुना पार की बात है, जो केंद्रीय सरकार ने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे थे उनकी राय है कि जो बारा परगना है, तहसील करछना का और मेजा का जो दक्षिणी इलाका है वह इतना खुश्क है कि धरती के पेट में ही पानी नहीं है। ट्यूबवेल भी खोदें तो वहां पानी निकलने की गुंजायश नहीं है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की टीम की रिपोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ इस इलाके में परीक्षण कर रही थी। बेलन नहर निकली है जिससे इलाहाबाद का कुछ हिस्सा सिंचित हुआ, उसका आधार भी जल वृष्टि ही है। अगर कैचमेंट एरिया में पानी न बरसा हो तो सिंचाई नहीं हो सकती। बेलन नहर करछना, मेजा के थोड़े से हिस्से को सींचती है। उसमें भी कठिनाई मौजूद है। मौलिक कठिनाई यह है कि इलाहाबाद जिले की सिंचाई व्यवस्था में ऐसा दोष है वर्तमान स्थिति में कि एक ओर तो टेल-एंड पड़ता है और जो थोड़े बहुत ट्यूबवेल लगे हैं वह नाकाफी हैं, बहुत थोड़े से लगे हैं। एक बड़े हिस्से में जो पूरे तरीके से अकाल से पीड़ित है वहां ट्यूबवेल लगने की गुंजाइश नहीं है इस प्वाइंट को मैं विशेष तौर से आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। चौड़ी योजना अभी आपने स्थिर नहीं की है और अगर नहीं की हो तो इलाहाबाद को कैसे पानी मिल सकता है यह दूसरा प्रश्न आता है। मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि जमुना में बहुत पानी है और बारह मासी पानी है, अगर पंप कैनाल के जरिये से पानी पंप किया जाय और ब्रूस्टिंग के लिये बेलन नहर के और नये हिस्से में भी पानी देने की व्यवस्था की जाय तो बड़ा काम चल सकता है, चाहे वह दोआब का हिस्सा हो या जमुना पार का हिस्सा हो। इलाहाबाद में जहां सूखा सबसे अधिक है वह जमुना पार का क्षेत्र कहलाता है।

मैं दूसरी बात लेना चाहता हूं। १९५६ से १९६७ तक, ११ वर्ष की अवधि में हमारे इलाहाबाद में ५ बार लगान माफी हो गयी। वह तभी सरकार करती है जब सरकार ८ आने से ज्यादा फसल के नुक्सान को कबूल करे और इस बार जो सूखा पड़ा है वह राजस्व मंत्री ने स्वयं ही कबूल किया है और इलाहाबाद में बड़ा काश्तकार हो या छोटा दोनों परेशान हैं, उनके दुख का कोई हिसाब नहीं है।

माननीय कृषि मंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तब भी मैंने कहा था और आज भी वही बात कहता हूं। इलाहाबाद के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पानी कभी गांवों में सूखा ही नहीं। किन्तु आज दोआब के कुओं का पानी भी सूखने लगा है, यह सूखे का ही भयंकर प्रकोप है और इस से जिले की स्थिति बड़ी गम्भीर है। सन् ६६ से इलाहाबाद का नाम इस दुख लिस्ट में शामिल होने लगा, नहीं तो माननीय उग्रसेन जी आदि तो पूर्वी जिलों में सूखा और पच्छिम में वाटर लागिंग आदि की बात करते थे। लेकिन इलाहाबाद में भी आज एक भयंकर सूखे की स्थिति आ गयी। तभी उसकी चर्चा आई है। मैं भूख से लोगों के मरने की चर्चा करना कोई शोभनीय बात नहीं समझता। किसी आदमी को भूख से मरने दिया जाय और शेष गांव के लोग जिन्दा रहें, यह भी शोभा की बात नहीं है, लेकिन हमारे इलाहाबाद में क्या हो रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। गल्ला आप किसको दे रहे हैं? जिनके पास एक विसवां भी जमीन है उनको गल्ला नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास, आपके बनाये हुये कानून के अनुसार १० विसवा भी जमीन है तो उसको आप गल्ला नहीं दे रहे हैं। माननीय रेवेन्यू मंत्री तो वहां घूम आये हैं, मेरी उनसे इतनी शिकायत जरूर है कि अगर वे हम लोगों से वहां परामर्श करते तो मैं कोशिश करता कि उनको वहां ले जाता और उन इलाकों को दिखाता जहां एक बीघा तो क्या १० बीघा जमीन वालों के पास भी खाने को नहीं है। जब आप एक विसवा वाले को गल्ला नहीं देंगे तो किसको देंगे? एक आदमी पान की दूकान करता है। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि इसकी आमदनी तो ७० रुपये माहवार है, उसको भी गल्ला नहीं मिलेगा। गल्ला मान्यवर, कहीं १२ छटांक का बिक रहा है। बेझड़ ९ छटांक तक का बिका है पिछले दिनों में।

श्री चरणसिंह--

गल्ला कहां से आये, फूड प्रोक्योरमेंट की दिक्कतें आप जानते हैं, उसके ऊपर कुछ सुझाव दीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

सिंचाई के संबंध में मैंने सुझाव दिये। कहां से गल्ला आये वह भी बताता हूं। दिक्कत चौधरी साहब यह है कि फतेहपुर के जिले में ५ एकड़ तक के लोगों को आप गल्ला दे रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में एक बिसवा वाले को नहीं दे रहे हैं, इसको ठीक करिये। सारे सूबे के लिये एक सा रूल बनाइये। जो बीमार है उसको दूध दीजिये, बजाय इसके कि बीमार वाले और स्वस्थ सभी को घर भर को आप दूध दें।

दूसरी दिक्कत गल्ले की टेस्ट वर्क में काम कर रहे मजदूरों के लिये है। आपने कहा हम टेस्ट वर्क्स चला रहे हैं। मेरी उसमें भी शिकायत है और टेस्ट वर्क्स में जो गल्ला मिलता है उसमें भी शिकायत है और क्या होना चाहिये। टेस्ट वर्क्स की शिकायत यह है कि उसमें नायब तहसीलदार या लेखपाल या कानूनगो का मन आवे तो टेस्ट वर्क्स चालू हो न आवे तो दो दिन काम चलाये। रिपोर्ट दे देते हैं कि यहां पर आदमी काम पर नहीं आ रहे हैं। मैंने यह बात इलाहाबाद में दो जगह साबित की। मैं यह कह रहा था कि टैस्ट वर्क चलाने के लिये जिलाधीश और हाकिम परगना एक नियम रख लें कि उसको किस ढंग से करेंगे। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। नई सरकार ने फैसला किया है कि टेस्ट वर्क्स में सिंचाई का सिंचाई विभाग, सड़क वाले काम को पी० डब्ल्यू० डी० करेगा, अच्छा है। लेकिन जब सिंचाई विभाग वालों से पूछते है तो वे कहते हैं उनका काम नहीं। पी० डब्ल्यू० डी० वालों से पूछें तो वे कहते हैं कि उनके हाथ का ही काम पूरा नहीं हुआ, काम कच्चा हो तो वे नहीं चाहते। टेस्ट वर्क का चुनाव और उसका एक्जीक्यूशन इन दोनों के संबंध में पहिले एजेंसी निश्चित कर दी जाय और उसको घोषणा कर दी जाय। अगर पुरानी एजेंसी से काम करना है कीजिये। अश्वनीकुमार जी कुछ खराबियों की बात कर रहे थे मनुष्य के साथ साथ खराबी रहेंगी, हमें उन खराबियों के बीच से अवश्य गुजरना पड़ेगा और उसी के बीच चलते हुए पहिचान भी तो है मनुष्य की कि वह किस हद तक ठीक काम कर सकता है। अब अगर जिम्मेदारी की बात करते हैं तो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आप सफाई से कह दें कि टेस्ट वर्क की एजेंसी क्या हो, कोई भी हो, चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० हो या सिंचाई विभाग को वे देना चाहें, मुबारिकबाद। पर उसको निश्चय कर लिया जाय। अब मैं कहता हूं टैस्ट वर्क की मजदूरी की बात। चौधरी साहब से मैं निवेदन कर दूं कि हमारी कांग्रेस की डिवीजनल कांफ्रेंस जितनी हुई चौधरी साहब हमारे नेता रहे हैं और अब प्रदेश के नेता हैं सदन के नेता होने के नाते। मुजफ्फरनगर कांग्रेस में भी तय हुआ था मजदूरी के बारे में। सुचेता जी ने बड़ी मेहरबानी की थी कि ९० पैसे को बढ़ाकर एक रुपया कर दिया था। उधर महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है उसको मारकेट वेजेज पर चौधरी साहब कहेंगे उसको कहां से लावें। यही सवाल होगा चौधरी साहब का। यह चौधरी साहब के वित्त मंत्री बतलावें कि कहां से लावें। अगर चौधरी साहब कमेटी बिठावें और बतावें कि रिसोर्सेज कहां से टैप कर रहे हैं और फिर हम से भी पूछें तो हम बतावें अगर आप मार्केट प्राइस नहीं देंगे तो कठिनाई होगी। एक रुपया आपने दिया। या तो आप पूरी मजदूरी का गल्ला दे दो। गल्ला कहां मिलता है दूकान पर। वे तीन, तीन मील जा रहे हैं गल्ला लेने के लिये। टेस्ट वर्क की साईट पर गल्ला बेंचने का इन्तजाम कर दें ताकि उनको तकलीफ न आवे। वह बात भी सोचने और करने के लायक है। अब एक बात और जो टेस्टवर्क पर लोग काम कर रहे हैं उनके काम की नाप तौल की बात है। राकेश जी कह रहे थे कि काम देखने वालों ने अपने घरवालों का ही नाम मस्टर रोल में लिख दिया। इसकी शिकायत मिर्जापुर और इलाहाबाद में भी है।' अगर सरकारी कर्मचारियों ने हमारे द्वारा निश्चित कामों में खराबी न की होती तो उग्रसेन जी को हमें गाली देने का

मौका कहां मिलता। लेकिन अब हमारे यहां क्या हो रहा है। टेस्ट वर्क पर सौ आदमी का काम रोज का है, लेकिन काम वहां कर रहे हैं अस्सी आदमी। यह मेरी ही शिकायत नहीं है और इसमें जिलाधीश का भी कसूर नहीं है। जरा उनको मालम हुआ कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं तो सब ठीक हो गया। सालिगराम जी जायसवाल जो एस० एस० पी० के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक माह पहले यह स्टेटमेंट दिया था कि इस प्रकार की तमाम गड़बड़ियां हैं, पूरे मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। जब आपका भी यही बयान है और हम भी यही कहते हैं और चाहते हैं कि टेस्ट वर्क्स पर काम पूरा हो, अतः हमें इसके बारे में भी बैठकर सोच लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो नाप होती है और मिट्टी कम पाये जाने पर उसके अनुपात में मजदूरों का पैसा काट लिया जाता है, वह नहीं होना चाहिये। जो काम कराने वाला है उससे उसके बारे में पूछा जाना चाहिये, वह उसकी जिम्मेदारी है, उसको पहले देखना चाहिये था कि पूरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिये इसके बारे में भी कुछ ढंग निकाला जाना चाहिये और भविष्य में इसकी कटौती मजदूरों से नहीं होनी चाहिये।

यह भी बात सही है कि बहुत से टेस्ट वर्क्स पर अच्छा काम हो रहा है, अच्छी सड़कें बनायी गयी हैं लेकिन मुझे डर है कि वह इस बरसात में बह न जायं। कई जगह तो उनसे वाटर लागिंग की समस्या भी पैदा हो सकती है। कहीं कटाव भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो साधन चौधरी साहब के पास हैं और प्रदेश के पास हैं उनसे समस्या का माकूल हल नहीं हो सकता। हमें इस बारे में केंद्रीय सरकार को एप्रोच करना चाहिये और उनको यह बताना चाहिये कि हमारे यहां अकाल की स्थिति है। मिर्जापुर और इलाहाबाद का पूरा इलाका है, बनारस की दो तहसीलें और दूसरे जो अकालग्रस्त इलाके हैं उनको वह बिहार के इलाकों से मिला लें, सरकार अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करे और जिस प्रकार से आंध्र में रायलसीमा में काम हुआ था आर्मी की मदद से, वैसा काम यहां होना चाहिये। जैसे हमारे यहां कुओं की डीप बोरिंग का सवाल है, कई जगह इंजीनियरों की सहायता की आवश्यकता है, उसके लिये हमें आर्मी की सहायता की आवश्यकता है। मैं लंबी बात तो नहीं कहता, उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है और चौधरी साहब सांस खींचे बैठे हैं। मैं उन के साहस की तारीफ करता हूं। लेकिन इतना कह देता हूं कि वे बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर अकाल पीड़ित इन क्षेत्रों को घोषित नहीं किया गया और उनका समुचित प्रबंध नहीं किया गया, तो स्थिति विस्फोटक रूप ग्रहण कर सकती हैं। इसके लिये चौधरी साहब इस हाउस और कौंसिल की एक ज्वाइंट कमेटी बनायें और दोनों ओर के लोग मिलकर केंद्रीय सरकार के पास इसके लिये जायं। इसके लिये चौधरी साहब स्वयं प्रस्ताव ले आयें। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जन-बल और जन-उत्साह बढ़ाने की बहुत चर्चा की तो उनके लिये भी मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार हमारा सहयोग लें, उससे अच्छा लाभ होगा।

जो रिपोर्ट पढ़ी गयी है उसमें २०४ भोजनालय बताये गये हैं जो केंद्रीय सरकार की ओर से मुफ्त चल रहे हैं। इसके अलावा खेर साहब की दुर्भिक्ष पीड़ित सहायता समिति की ओर से बताया गया है कि २०७ चल रहे हैं। क्या कुल मिलाकर ४११ भोजनालय हुए अथवा २०६ में ३ की कहीं गलती हो गयी है। ये भोजनालय केंद्रीय सरकार की सहायता से ही चल रहे हैं। उनको जो गल्ले का कोटा दिया गया है वह हमारे प्रदेश के कोटे से ऊपर है। अगर केंद्रीय सरकार अलग से कोटा न देती तो इनको चलाना कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता और बहुत बड़ी मात्रा में प्रदेश में मृत्य होतीं। लोगों को ठीक से भोजन उपलब्ध हो और सही भोजन उपलब्ध हो, इसके लिये माननीय चौधरी साहब एक स्टेट कमेटी का ऐलान करें जिसमें इस हाउस के सदस्य हों अथवा चौधरी साहब निजी तौर पर किसी कमेटी का निर्माण करें। यह कमेटी दुर्भिक्ष के बारे में पूरे तौर पर विचार करे। इसमें कुछ इस हाउस के सदस्य हों और कुछ एक्सपर्टस् हों वे इस बात पर विचार करें कि हमेशा केलिये इस समस्या का कैसे समाधान किया जाय। उसके लिये हमें अलाहिदा से योजना बनानी होगी। और इस योजना को केन्द्रीय सरकार से मिल कर चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मलित कराने का प्रयत्न करना चाहिये।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पिटे पिटाये पुराने तरीकों से काम चलने वाला नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि पिछले बीस सालों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया लेकिन यह अवश्य है कि आज की स्थिति में इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है। हम इस समय अनाज और कपड़े की सहायता पहुंचा रहे हैं, यह ठीक है लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमेशा के लिये इस समस्या का हल किस प्रकार से किया जाय। इधर तो जमुना का पानी बहता हुआ दिखता है और उधर गंगा बहती दिखती है पर उधर खेती सूखी दिखती है और हम अपने भाग्य और सारी व्यवस्था को कोसते हैं। इसलिये आप इन क्षेत्रों को अकाल पीड़ित घोषित करें और ज . कि हमारे माल मंत्री जी मंजूर करते हैं कि इलाहाबाद की हालत खराब है तो लगान वसूली रोक दें जो ३ साल की बाकी है और वहां के गरीब पीड़ित लोगों पर रहम करें और उन को और दुर्दशा में न ले जांय क्योंकि हालत उन की बहुत ही शोचनीय है। अन्त में अपने क्षेत्र की दुर्भिक्षपीड़ित जनता की ओर से और उस जनपद की ओर से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां की वसूली को रोकें और मैं वहां की ज्यादा दुर्दशा का वर्णन नहीं करना चाहता क्योंकि उस के कहने से शेष प्रदेश का कोई मनोबल नहीं बढ़ता।

(श्री उग्रसेन का नाम पुकारने के उपरान्त।)

श्री अध्यक्ष--

जरा आप ठहरें, मुझे एक सूचना सदन को देनी है ...!

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, कम से कम हर जिले से एक-एक माननीय सदस्य को तो मौका दिया जाय, एक ही जिले के कई-कई लोग बोल लें और दूसरे लोगों को अवसर ही न मिले.....

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मुझे दोनों ओर के माननीय सदस्यों को अवसर देना है। यह तरीका बहुत गलत है कि कोई माननीय सदस्य यहां पर मुझे डिक्टेशन दें और कहें कि ऐसा करना चाहिये, यह बहुत अशोभनीय है।

एक सदस्य--

एक निवेदन मुझे करना है.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय कमला सिंह जी आप का निवेदन आ चुका है। जो इस पर कामरोको प्रस्ताव लाये थे माननीय गेंदा सिंह, वह बोल चुके हैं और दूसरे सदस्यों को भी मैं अवसर दूंगा लेकिन सदन की परम्पराओं का दोनों ओर से पालन होना चाहिये।

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी कुछ निर्वाचन होने थे और उनमें नाम वापसी की अन्तिम तिथि आज की थी। उन में नाम वापस हो गये हैं और उसके फलस्वरूप मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये जो नाम आये थे वह सब वापस हो गये हैं और श्री गोपाल रामदास (अल्मोड़ा) तथा श्री रामचन्द्र जोशी (अल्मोड़ा) निर्वाचित हो गये हैं।

आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये भी अतिरिक्त नाम वापस होने के फलस्वरूप निम्नलिखित माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :-

१--श्री उदयवीर सिंह (एटा), २--श्री रघुनाथ सिंह (आगरा), ३--श्री बिशन लाल (मुरादाबाद), ४--श्री मान सिंह (आगरा) और ५--श्री रामकुमार दीक्षित (कानपुर)।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये भी अतिरिक्त नाम वापस होने के फलस्वरूप निम्नलिखित माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :--

१--श्री धर्मवीर (इलाहाबाद), २--श्री राम नरेश शुक्ल (प्रतापगढ़), ३--श्री प्रेमदत्त तिवारी (फतेहपुर), ४--श्री रामदेव दुबे (प्रतापगढ़), और ५--श्री राम सजीवन (बांदा)।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये भी अतिरिक्त नाम वापस होने के फलस्वरूप निम्नलिखित माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :--

१--श्री अश्वनी कुमार (गोरखपुर), २--श्री रामकरन सिंह (गोरखपुर), ३--श्री उदय प्रताप दुबे (गोरखपुर), ४--श्री राजाराम पांडे (देवरिया) ५--श्री यादवेन्द्र सिंह (गोरखपर)

इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये भी अतिरिक्त नाम वापस होने क फलस्वरूप निम्नलिखित माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :--

१--श्री चन्द्र सिंह रावत ((पौड़ी गढ़वाल), २--श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव), ३--श्री धर्मराज सिंह (हरदोई), ४--श्री बद्री प्रसाद अवस्थी (लखनऊ), और ५--श्री शिव राज सिंह (मैनपुरी)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के लिये भी अतिरिक्त नाम वापस होने के फलस्वरूप निम्नलिखित माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :-

१--श्री इन्द लाल (नैनीताल), २--श्री जगदम्बा प्रसाद (फैजाबाद), ३--श्री रामस्वरूप (देहरादून), और ४--श्री बलवीर सिंह (मेरठ)

श्री अध्यक्ष--

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय शिष्ट परिषद् में श्री आत्मा राम पांडेय (गाजीपुर), श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी (हमीरपर) तथा श्री लाल कृष्ण कुमार पाल (बस्ती), ये सदस्य निर्वाचित घोषित किए जाते हैं।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में श्रीमती शकुन्तला देवी, (सहारनपर) श्रीमती कला रानी (हरदोई) और श्री नाथू राम शिक्षक (प्रयाग), ये सदस्य निर्वाचित घोषित किए जातेहैं।

अब केवल रह जाती है गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड समिति कानपुर। इस समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचनार्थ अभी एक उम्मीदवार का नाम अतिरिक्त है। वह नाम कल १२ बजे, जो चुनाव का समय है, से एक मिनट पहले तक अगर मेरे पास नाम वापसी हो जाती है तो चुनाव नहीं होगा, अन्यथा होगा।

प्रदेश में वर्षा, उपलवृष्टि तथा सूखे से हुई क्षति की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मैंने नेता विरोधी दल से बात की है और उनकी इच्छा थी कि यह विवाद ८ बजे तक चले।

श्री कमला प्रसाद--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जब तक आप सब की बातें न सुन लें तब तक विवाद जारी रहे।

श्री अध्यक्ष--

विरोधी दल बहुत अंशों में नहीं। आप आपस में बात करलें हैं और माननीय नेता विरोधी दल से सलाह कर लें और जब माननीय उग्रसेन जी का भाषण समाप्त हो जाय आप मुझे बता दें।

कुछ सदस्य--

श्रीमन्, ८ बजे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

तो सदन की अनुमति के अनुसार मैं ८ बजे तक सदन का समय निश्चित करता हूं।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने राजस्व मंत्री को सूखे, उपलवृष्टि तथा तमाम दैवी आपत्तियों से हुई क्षति पर विवरण देने को कहा और माननीय मंत्री जी ने क्षति का विवरण भी रखा। दूसरी खुशी मुझे यह है कि माननीय गेंदा सिंह जी, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, आज बहुत अच्छी तरह से बोले हैं, जैसा कि वे बोला नहीं करते थे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो उनके मुंह से हमने गत् २ वर्षों से नहीं सुना था, उसे सुनने का सौभाग्य मिला। माननीय बहुगुणा साहब ने कहा कि सूखा है, परेशानी है और वे टैक्स्ट वर्क से चले। १९५३ में जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, गेंदासिंह जी को याद होगा, क्योंकि वे उस समय विधान सभा के सदस्य थे कि हमलोग देवरिया में खांची और कुदाल लकर दिन भर फिरते थे और १० हजार मजदूर टेस्ट वर्क करते थे और माननीय चन्द्रबली जी के इलाके में जाते थे। दिन भर मजदूर मजदूरी करते थे और शाम को दिन भर की मजदूरी ९ आने या ९ १/२ आने और चिल्ड्रेन (बी) ४ या ४ १/२ आने पा जाते थे। उस समय हमारे राजस्व मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी थे। यह माना कि उस समय गल्ला सस्ता था। माननीय बहुगुणा जी ने अभी कहा कि टेस्ट वर्क में जो दुहरी हुकूमत है, वह नहीं होनी चाहिये। होता क्या है कि पैसा तो देता है तहसीलदार और नाप जोख होती है ओवरसियर के द्वारा। फिर दोनों में बड़ी लड़ाई होती है कि आखिर किसके जरिये भ्रष्टाचार हो रहा है। पी० डब्लू० डी० विभाग के लोग यह कहते हैं कि माल विभाग के जरिये यह काम न कराइये क्योंकि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है और उस समय की सरकार ने यह आदेश कर दिया कि अब माल विभाग टस्ट वर्क नहीं चलायेगा, बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग चलायेगा। तो करते करते फिर एक नयी खोज हुई जन श्रम शक्ति योजना, जिसको लोग आर० एम० पी० कहते हैं और उस के एक मात्र प्रणेता श्री बंशीधर पांडेय, वाराणसी वाले थे। बड़े पोखरे की खुदाई करायी सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिये। और आज सारे टेस्ट वर्क का कामकाज जिला परिषदों क पास है जो माननीय बहुगुणा जी आप के हाथ में है। देवरिया जिला परिषद् की बताऊं, माननीय गेंदा सिंह इस के गवाह हैं कि ७०, ८० लाख रु० करीब पड़े हुए हैं, अध्यक्ष जो सड़क बनादें लोगों को मजदूरी मिल जाय। लेकिन नहीं। वह पैसा पड़ा हुआ है। यह टेस्ट वर्क का इतिहास है।

प्रदेश में सूखा पड़ा, देवरिया आदि पूर्वी जिलों में तबाही हुई, मथुरा आदि पश्चिमी जिलों में बांगर में सूखा और बाढ़ इलाके में बाढ़, लेकिन कोई राहत देने का प्रयास नहीं। जब लखनऊ में बाढ़ आयी गोमती में और मंत्रियों के बंगलों में पानी घुसा तब कहा गया कि लखनऊ बाढ़ पीड़ित है। लेकिन सरकार ने अन्य जिलों की कोई योजना पर ध्यान नहीं दिया। माननीय गेंदा सिंह ने एक योजना चलायी, ५ करोड़ रु० के कच्चे कूएं खुदा डाले। सूखे का मुकाबला करने के लिये ५ करोड़ रु० के कच्चे कुएं खोदे गये। मैं पूछना चाहता हूं कि कहिये वह कूएं कागज पर

खोदे गये या जमीन पर भी खुदे ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इसी सदन में जब मैंने कहा कि कुएं फर्जी खुदे हुए हैं तो माननीय गेंदासिंह बड़े तपाक से लड़ने लगे। उन्होंने कहा गलत बात है मेरे साथ चलें। वह मेरे इलाके में खुद गये कच्चे कुओं की तलाशी के लिये, और जिस गांव में गये वहां देखा कि कुआं बिल्कुल नहीं बना, अलबत्ता इन के स्वागत के लिए फाटक जरूर बना था। उन्होंने कहा कि भ नुजनी ब्लाक के खिलाफ कार्यवाही होगी। ५ करोड़ रु० उस समय की सरकार ने बरबाद कर दिया। आप श्रीमन्, जानते हैं कि जब हम और माननीय गेंदा सिंह एक पार्टी में थे.....

श्री गेंदासिंह—

मैं सिर्फ एक सूचना देना चाहता हूं। इसी स्टेटमेंट में १ करोड़ ८ लाख रु० लिखा हुआ है। ५ गुना बढ़ा कर क्यों कह रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

ठीक है। संख्या पर मैं नहीं जाता। जब हम और वह एक पार्टी में थे तो एक नारा था कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या करे ? हर एक किसान परिवार को एक पक्का कुआं बनाकर दे दे, कुएं की तकावी विकास खंड से न दी जाय। अगर उस समय माननीय गेंदासिंह ५० लाख रु० के भी पक्के कुएं बनाकर दे देते तो फसल न सूखती। जो वहां अनाज दिया वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, माननीय गेंदासिंह के इलाके में गेटो नाम की जहरीली जड़ लोग खाते हैं। हमारे यहां अठनी की रोटी खाते हैं, गोबर से निकले हुए अनाज की रोटी आज खायी जाती है। मुबारक हो योजना कमीशन को और माननीय मेहता को। ऐसी योजना से इनसान भूखा मरता गया और जब इस बार सूखा चुनाव से पहले पड़ा। एक जिले का आंकड़ा बताता हूं खाद्य विभाग की रिपोर्ट से, अक्तूबर, १९६६ में देवरिया को २०० क्विंटल अनाज दिया गया, नवम्बर में दिया गया ३००, दिसम्बर में २,०००, जनवरी में २५००, फरवरी में ४,५०० और फिर ६७५ कम हो गया। सरकार ने योजना बना रखी थी बैलों की जोड़ी का प्रचार करने के लिये १० हजार क्विंटल गेहूं केन्द्र ने दिया कि इन पूर्वी जिलों को दिया जाय लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा सुचेता कृपालानी ने गोंडा में अपने क्षेत्र में बांट दिया। हम भूखे रह गये। आर० बी० आई० की इंक्वायरी हो रही है। सरकार ने अड़ंगा डाला तो हमको मालूम हुआ। जब गेंदा सिंह खाद्य मंत्री थे तो १ लाख ५ हजार टन प्रति माह कोटा गेहूं का केन्द्र हमको देता था। ३०, ४० हजार हम शहरों की दूकानों को देते थे और ६० हजार आटा मिलों को आटा पेरने के लिये देते थे। करीब करीब दो लाख टन के करीब गेहूं हर साल केन्द्रीय सरकार हमको देती थी और जब ३४ हजार पर आज गयी तो नेगी जी तबाह हो गये। अब क्या हुआ। कहते हैं स्वेज नहर बन्द हो गयी तो हम बिलकुल नहीं देंगे। इसलिये सरकार को यह लेवी लगानी पड़ी। केन्द्र से गल्ला मिला नहीं। सूखे के कारण फसल हुई नहीं। रबी और खरीफ मारी गयीं। सूखे के कारण गेंदा सिंह जी के इलाके के कुवें सूख गये। सूखे का काफी व्यापक असर हम पर पड़ा।

अब भाव देखिये। जनवरी, ६६ में गेहूं का भाव ८० रुपये ७३ पैसे था, वह फरवरी, ६७ में १३३.५१ हो गया। भाव ऊंचे हो गये। फसल कुछ हुई नहीं। दिल्ली की सरकार ने गल्ला दिया नहीं। राशन की दूकानों को कम गल्ला दिया गया। कागज पर दूकानें थीं लेकिन दूकान पर गल्ला नहीं जाता था। इस तरह से खाद्यान्न की स्थिति कमजोर हो गयी। भुखमरी चारों तरफ फैलने लगी। हमने सवाल उठाया देवरिया में भुखमरी हुई है। गेंदा सिंहजी और उनकी सरकार ने कहा भुखमरी नहीं है। ज्यादा कहा तो कहा चूहा खाओ और ज्यादा कहा तो कहा चूहा कमिश्नर बन जाओ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ये जो मुफ्त भोजनालय चल रहे हैं उनकी शिकायत मिर्जापुर से आई है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की शिकायत हुई है। उनकी संख्या को बढ़ाइये।

[श्री उग्रसेन]

आप जा कर खुद देखें। मुफ्त भोजनालय में प्रति व्यक्ति जो मात्रा बटती है वह कम है, उसे बढ़ाइये। टेस्ट वर्क्स ज्यादा पैमाने पर चलाइये। सिंचाई के साधनों को बढ़ाइये। १००-१५० मील पर पोखरे बनाइये और स्वयंसेवकों के जरिये सिंचाई की व्यवस्था कीजिये जैसे चीन ने ६ महीने के अन्दर मुफ्त श्रमदान से ह्वांगहो नदी पर बांध बना दिया। हमारी श्रमशक्ति भी उसी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। बिहार में ज्यादा संख्या में भोजनालय चल रहे हैं और जो हमारे बड़े संगठन हैं गौशालायें, धर्मादाये कुछ काम करें।

यह गलत है कि खाद्य समस्या राजनीति से परे है। हर जीज में राजनीति है और राजनीति उस सलझाती है। आग स्थिति बहुत खराब होगी, माननीय माल मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता मगर हम बादलों को देख कर यह समझ रहे हैं कि आगे भी वर्षा नही होगी। अब तो होगी मगर बीच में सूखा पड़ जायगा और खरीफ की फसल शायद अच्छी न हो। इसकी चेतावनी मैं दे देना चाहता हूं। इसलिये तैयार हो जाना चाहिये। दूसरे सिंचाई के साधनों के जो पम्पिंग सेट्स हैं, देवरिया जिले में लाइन तो पहुंच गयी है लेकिन इन्सूलेटर नहीं है। फिर छितौनी बांध बन रहा है। ऊपर से कटाव की सम्भावना है। फिर आयेगा तो सब बह जायेगा। तो सिंचाई कैसे हो पायगी? तो ये सम्भावनायें जो हैं इन पर अगर काबू न हुआ तो लोगों को भोजन तो नहीं मिल पायेगा और मैं अपने दोस्तों को जो उधर बैठे हैं उनसे कहूंगा कि जो स्थिति आज हुई है वह उनके बीस साल की योजनाओं का फल है और मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि वह परिस्थितियो के अनुसार पहले से ही तैयारी करने की कोशिश करें ताकि समय आने पर कठिनाई न हो। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय कमला प्रसाद (जौनपुर) का नाम पुकारने के उपरान्त)

अब मैं एक और प्रार्थना करूंगा। यह देखते हुये कि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और समय निश्चित हो चुका है ८ बजे तक। तो अब दस मिनट से आगे कोई माननीय सदस्य न जांय, इसको अब मैं बढ़ाऊंगा नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

एक निवेदन था। बहुत पहले से ही इस बात की प्रार्थना होती चली आयी है कि ५ बजे के बाद इस प्रकार की सीमा नहीं हो पायेगी लकिन आपने कहा कि आप लोग जब तक चाहें तब तक बहस करें। मेरी प्रार्थना है कि ८ बजे तक आप देख लें, अगर माननीय सदस्य फिर भी बाहर रह जाते हैं बोलने के लिये तो आप उनको तब तक अवसर दें जब तक हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र और अपने जिले की दुख दर्द की गाथा न कह पायें। यह मेरा निवदन है, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो सदा आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगा।

(श्री कमलाप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमला प्रसाद जी, आप जरा बैठ जांय। माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो बात कही, मैंने अवश्य कहा और मैंने आरम्भ में उसको दोहराया कि मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं, आप रात भर बहस कर सकते हैं, लेकिन निश्चय करने से पहले कोई सीमा निर्धारण तो करना ही पड़ता है। हम यह भी कह सकते थे कि १२ बजे तक बैठेंगे। (श्री त्रिवेणी के बीच में बोलने पर) यह बिल्कुल गलत है त्रिवेणी जी, मैं बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि अभी

पांच मिनट पहले मैंने यह सवाल रखा सदन के सामने और सभी लोगों को मैंने समय दिया कि इस पर आपस में विचार कर के तब मुझे बतायें। तो आपकी अनुमति लेकर सदन का निश्चय हुआ कि ८ बजे तक चलेगा। तो इसको अंतिम मानिए। आप १२ बजे तक या १० बजे तक भी कर सकते थे। सारे माननीय सदस्य तो बोल नहीं सकते। अब समय १० मिनट या जो भी मुनासिब समझिए, रख लीजिए।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि जहां भुखमरी है वहां के सदस्य न बोलें और सब लोग समय लें इसके मानें हैं कि हर सदस्य को मौका दिया जाय। यह तो आप सारे प्रांत में भुखमरी मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आज ही अवसर नहीं है। इस भुखमरी के ऊपर अभाव का एक अनुदान आयेगा। पूरे दिन उस पर वादविवाद होगा। तो जितने माननीय सदस्य आज बोल सकते हैं वे आज बोलें, बाकी उस अनुदान पर बोल लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप दलों में रह चुके हैं। आज आप निर्दलीय जरूर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अनुदान पर बोलने के लिए कैसे समय मिलता है और ऐसे मौके पर जब कि राजनीति से ऊपर उठकर बातें कही जा रही हैं तो आप थोड़ी सी माननीय सदस्यों की सहायता करें ताकि हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सहायता या सेवा इस हद्द तक करने का यत्न किया कि रात भर बहस कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सबकी अनुमति से एक समय तय किया गया ८ बजे तक का। यह इस माननीय सदन को शोभा नहीं देता कि ५/५ मिनट बाद समय को बदलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता।

श्री कल्पनाथसिंह—

८ बजे के बाद आप आवश्यक समझें तो समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बड़े जागरूक हैं और जितना भी समय हो उसमें वे कह सकते हैं। सदन ने जब एक बात तय कर दी तो उसको निभाइए।

श्री कमला प्रसाद (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, २३ और २७ मार्च, १९६७ के बीच में जौनपुर जिले में उपलवृष्टि हुई और हम विधायकों ने लिखकर सरकार को सूचना दी। उस समय निश्चय किया गया था कि इस पर ३ अप्रैल, १९६७ को वाद-विवाद होगा। लेकिन संयोग से ३ अप्रैल, १९६७ को कोई कार्यवाही न होने से यह टल गया। आज आपके आदेशानुसार यह रिपोर्ट पढ़ी गई और बड़े दुख की बात है कि इसमें जौनपुर जिले की चर्चा बिलकुल नहीं है जबकि हम लोगों ने लिखित रूप में सरकार को सूचना दी थी।

(इस समय ६ बजकर ५२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जौनपुर जिला ऐसी जगह है जहां कि सूखा और बाढ़ दोनों का असर अक्सर पड़ा करता है। अधिक वृष्टि हुई तो बाढ़ आजाती है और गांव के गांव बह जाते हैं। इधर तीन वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है। मड़ियाहूं और मछलीशहर ऐसी तहसीलें हैं जहां ५ साल से पानी नहीं

[श्री कमला प्रसाद]

बरसा है। ये तहसीलें टेल पर होने के कारण नहरों से भी पानी नहीं मिल पाया। बड़ी मुश्किल से पी० ए० सी० लगाई गई तो नवम्बर के महीने में किसी तरह से पानी आया। बुवाई ठीक नहीं हो पाई। नवम्बर में पानी बरस गया तो खेती बोई गई लेकिन ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज ३६ हजार गैलन से घटकर ८—९ हजार रह गया जिससे सिंचाई नहीं हो सकी। बड़ी मेहनत से किसानों ने रबी की फसल तैयार की। लेकिन फागुन में पछुआ हवा चल गई और सारी फसल चौपट हो गई और २४ तथा २९ मार्च को उपलवृष्टि भीषण रूप से हुई। मड़ियाहूं तहसील के बरसठी ब्लाक, रामनगर और मड़ियाहूं ब्लाक के गांवों में तथा मछलीशहर और शाहगंज में उपलवृष्टि हुई। हमारे राजकिशोर जी यहां बैठे हैं, उनके पड़राव गांव में ६० भेड़ें मर गईं, कितने ही आदमी घायल हुए और मकानों की खपरैल फूट गईं। वहां के अधिकारियों को दिखाया गया लेकिन उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा होगा कि कोई क्षति नहीं हुई। हम लोगों के लिखे पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे रिपोर्ट में वह शामिल नहीं हुआ। सूखे की कोई सुविधा नहीं मिली। लेवी जोरों पर है, घरों की तलाशी हो रही है। जिनके घर में अनाज नहीं है उनसे लेखपाल रुपये के लिए कह रहा है। ८५ और १३२ रुपये में जो डिफरस है उसका रुपया वसूल कर रहे हैं। इस तरह से घोर भ्रष्टाचार आपके अधिकारियों द्वारा व्याप्त है १९ तारीख को मैंने निवेदन किया था वहां की अनियमितताओं की बाबत लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बड़ा दुख हुआ माननीय राजस्व मंत्री की रिपोर्ट को पढ़ कर, जौनपुर जिले की चर्चा तक नहीं है कि कोई उपलवृष्टि से नुकसान हुआ। मैंने देखा कि पूरी जिलों में लेवी की सीमा १२ एकड़ रखी गई। लेकिन चूंकि आप हर गए थे बावजूद अपने तमाम प्रयत्नों के, १२ एकड़ की सुविधा जौनपुर को नहीं दिया। बाद में हम लोगों के ध्यान आकर्षित करने पर वह सुविधा बाद में देनी पड़ी। इस तरह इस सुविधा से हम लोगों को पहले वंचित किया। यह जौनपुर जिले का दो, तीन साल का किस्सा नहीं है। हमेशा ऐसी स्थिति आया करती है। मैं निवेदन करूंगा कि अब अगर ऐसी स्थिति आए तो वहां ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी जाय जिससे दैवी आपदाओं का मुकाबला करते हुए वहां का किसान अपने खाने का इन्तजाम कर ले।

सस्ते गल्ले की दूकानें हैं। आपका मिलों का रेट ४४ पैसे का है। वहां सस्ते गल्ले की दूकानें उसे ५० पैसे में बेच रही है। वहां एक दूकानदार, बनवारीलाल को पकड़ा, उसकी रिपोर्ट किया, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई है। वह सरसड़ा का है। तीन बोरी चीनी पकड़ी जो ब्लैक करने के लिए रखी हुई थी। नायब तहसीलदार जांच करते थे और कह देते थे कि सही वितरण हो रहा है। ऐसे अनेकों दूकानदार हैं। गल्ला भदोही मार्केट में चला जाता है, ब्लैक हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है। गरीब हैं। बारहों महीने गल्ला खरीदते हैं। उनके लिए कार्ड का सिस्टम नहीं है, जिससे उनकी स्थिति भयावह हो रही है। जैसा कि उग्रसेन जी ने शंका व्यक्त किया ऐसे लक्षण हैं कि इस बार भी वर्षा नहीं होगी और खरीफ की फसल खराब होने की संभावना है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जौनपुर जिले के वह गांव जहां उपलवृष्टि से, सूखे से ग्रस्त हैं, वहां की सभी वसूली बन्द कर दी जाय और वहां वे सुविधाएं दी जायं जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दी जा रही हैं।

जहां टेस्ट वर्क हो रहे हैं वहां मजदूरी कमे दी जा रही है। हमारा सुझाव है कि उन पर काम करने वाले मजदूरों को जैसा कि भारत सेवक समाज ने किया है चार घण्टे पर एक किलो और आठ घण्टे पर दो किलो गल्ला दिया जाय। इस तरह से मजदूरी दी जाय तो सुविधा होगी। मुफ्त भोजनालयों में टेस्ट वर्क पर काम करने वाले खाने के लिए जूझ पड़ते हैं और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री त्रिवेणी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जहां पर भुखमरी का इलाका है वहां के सदस्यों के प्राथमिकता दी जाए बोलने का अवसर देने में।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, मैं अपनी समझ के अनुसार समय दे रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सूखे की स्थिति से आज प्रदेश का बहुत बड़ा भू-भाग ग्रसित है और जैसा कि माननीय माल मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ ऐसे जिले हैं जो काफी प्रभावित हैं। माननीय त्रिवेणी राय जी ने कहा कि जो जिले प्रभावित हैं उन्ही जिलों के सदस्यों को अवसर दिया जाय। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वाराणसी का भी एक ऐसा ही जिला है जो सूखे से अत्यधिक पीड़ित है। वाराणसी जिले की चकिया तहसील जिसका एक हिस्सा मौगड़ बिहार से घिरा हुआ है वह इतना त्रस्त है कि बिहार से किसी भी हालत में उसकी हालत अच्छी नहीं है, बल्कि उससे भी खराब है। वाराणसी की हालत बहुत ही खराब है। जिला बनारस की चकिया और चन्दोली दो तहसीलें मुख्य रूप से धान पैदा करती हैं और उस पर लेवी नहीं लगी है। वहां पर हालत यह है कि पारसाल मुश्किल से २५ फीसदी धान चकिया इलाके में हुआ और चन्दोली में कुछ भी नहीं हुआ, सब सूख गया। इसी प्रकार से बनारस तहसील में और ज्ञानपुर तहसील में जो धान के इलाके थे उनमें भी ८०-९० फीसदी तक का नुकसान हुआ है और जहां तक सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का प्रश्न है पानी बन्ध में न आने के कारण उसमें पानी नहीं दे सके हैं और उससे गाजीपुर का भी काफी बड़ा भाग और गंगा गोमती के किनारे का भाग सूखे से काफी ग्रस्त रहा है। मान्यवर, हमारे यहां जौनपुर के इलाके से जिसका जिक्र अभी कमला प्रसाद जी ने किया है शारदा सागर कैनाल की एक शाखा जाती है जो जौनपुर से होकर हमारे बनारस जिला में जाती है, किन्तु जब से यह नहर बनी है तब से लेकर अभी तक २-३ साल से बनारस में पानी उससे गया ही नहीं। लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था उससे की गई है जिसमें केराकत, चोलापुर, दिवदासपुर आदि माइनर पड़ती हैं, उससे पानी अभी नहीं गया। उस इलाके में भी काफी धान की फसल होती है लेकिन इस बार बिलकुल नहीं हुई जिसका नतीजा यह है कि इस बार उसके पास बीज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। इसके अलावा बड़े दुर्भाग्य की बात है जैसा कि अभी माननीय माल मंत्री ने जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश किया है उसमें जिला बनारस और जौनपुर को उन्होंने छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त बनारस जिले के वाराणसी, चकिया और चन्दोली तहसीलों में इतने ओले पड़े हैं कि वहां पर बनारस तहसील में एक बर जी गांव है जहां पर उससे एक औरत की मृत्यु हो गयी और सैकड़ों जानवर मर गए और सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। ऐसे गांव प्रभावित हैं जहां ९० फीसदी से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर भूल से, या रिपोर्ट न मिलने के कारण छूट गया हो तो कृपा करके बनारस, जौनपुर और गाजीपुर जिले की रिपोर्ट मंगाले और देख लें कि कितने गांवों में की वजह से कितना नुकसान हुआ है। उसके साथ-साथ राशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी सिवाय भूमिहीनों के। उनके कार्ड भी नहीं बन पाये थे। हाल में जिलाधीश ने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने फैसला लिया है कि चकिया और चन्दोली में सबका राशनकार्ड बनाकर राशन देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कार्ड बनाने की जिम्मेदारी तहसील अधिकारियों और माल विभाग के अधिकारियों की है और उनका वही पुराना तरीका, वही पुरानी परंपरा चली आ रही है। वहां पर सुधार करने की जरूरत है। आदमी त्रस्त है इसलिए वहां राशन कार्ड बनाने और राशन देने से जल्द व्यवस्था होनी चाहिए जहां कर भूमिहीनों की बात है उसके लिए जैसा बहुगुणा जी ने जिक्र किया मेरा निवेदन है कि जहां ओला पड़ा है सूखा पड़ा है वहां राशन देने की व्यवस्था हर आदमी के लिए होना चाहिए खास कर नदी के किनारे, गोमती, घाघरा, गंगा और यमुना का जो खादर का क्षेत्र है या दूसरे इलाके हैं

[श्री ऊदल]

जहां बिलकुल असिंचित एरिया है उन इलाकों में राशन की व्यवस्था एक एक के लिए होनी चाहिए और इमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि कौन भूमिहीन है, कौन एक एकड़ का किसान है और कौन ६ एकड़ का है। कार्ड की और राशन की व्यवस्था तुरन्त होना चाहिए और अगर खरीफ की फसल अच्छी हो गयी तो दो, तीन महीनों के लिए इसे जरूर करना होगा।

दूसरे यह कि पिछले दिनों सिंचाई साधन के लिए छोटे पंपिंग सेट्स और स्माल ट्यूबवैल्स के लिए काफी पैसा किसानों को दिया गया था। हर ब्लाक में १० हजार और ६ हजार इस तरह से रुपये पंपिंग सेट्स के लिए और स्माल ट्यूबवैल्स के लिए दिए गए। नतीजा यह हुआ कि आज तक रुपया पड़ा हुआ है और किसानों ने दो-दो हजार रुपये प्लानिंग विभाग में जमा कर रहे हैं। बनारस से रिपोर्ट मंगा लीजिए तो स्टेट भर की तस्वीर आ जायगी कि क्या पोजीशन है कि एक तरफ तो आप किसानों को कर्ज देते हैं और दूसरी तरफ बोरिंग की व्यवस्था न होने की वजह से बोरिंग नहीं हुई, तो बोरिंग तुरन्त होनी चाहिए ताकि पानी की व्यवस्था हो जाय।

तीसरे यह कि बोरिंग भी हो गयी, लोगों ने मशीनें भी मंगा लीं लेकिन बिजली के कनेक्शन आज तक नहीं मिले हैं। यह भी दिक्कत है जिसके कारण लोग सूखे से प्रभावित हैं। एक और निवेदन है कि बनारस की बदकिस्मती यह है कि मार्टिन बर्न एक प्राइवेट कंपनी है, उसका एरिया सरकार ने घटाकर ६ मील किया था। अब कहीं कहीं १२, १३ मील कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट कंपनी होनेकी वजह से उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। नियम तो बना दिए गए हैं लेकिन सरकार के नियम को वह मानते नहीं और वे १२ मील के अन्दर किसानों को स्माल ट्यूबैल्स के लिए और पंपिंग सेट्स लगाने के लिए बिजली के कनेक्शंस नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि मार्टिन बर्न को मजबूर करे कि वह किसानों को जो स्माल ट्यूबवैल्स के लिए और पंपिंग सेट्स लगाने चाहें उनको बिजली कनेक्शंस फौरन दें। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में युद्धस्तर पर यह काम किया जा रहा है उसी तरह से मिर्जापुर, बनारस के नवगढ़ क्षेत्र में, बांदा में और इलाहाबाद के मेजा और करछना तहसील में जिसका जिक्र पिछले दिनों सालिगराम जायसवाल जी यहां पर किया करते थे और आज बहुगुणा जी ने जिक्र किया है, उन इलाकों में युद्धस्तर पर कम किया जाय। साथ ही सभी लोगों को राशन कार्ड दिया जाय। सिंचाई के काम को प्राथमिकता दी जाय ताकि जल्द से जल्द हम सूखे का मुकाबला कर सकें और काश्तकारों को राहत दे सकें।

श्री त्रिवेणी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो यह समय बोलने के लिए दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने कई बार माननीय माल मंत्री का ध्यान आजमगढ़ जनपद की ओर दिलाया। कुछ क्षेत्र आजमगढ़ के ऐसे हैं जो लगातार ३ वर्षों से सूखे से तबाह हो गये हैं। अब बदकिस्मती की बात यह है कि माननीय खाद्य मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता था कि वह यहां मौजूद होते और जो हालत वहां की देखकर ५, ६ दिन हुए, वे आए हैं, उसके विषय में यहां पर विशेष बात करते। माननीय माल मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि अभी ४, ५ महीने पहले, बड़ी भाग दौड़ के बाद, माननीया श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मंत्री, जब यहां पर थीं तब उन्होंने मेरी यह बात स्वीकार की और इसके लिए जांच समिति बिठाई। उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी और एक कैबिनेट मंत्री डाक्टर सीताराम जी थे वे उस जिले में पधारे और उह क्षेत्र के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को उन्होंने दिया जिस पर यहां प्रश्न भी हुए। उस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उस रिपार्ट को हाउस में रखना जनहित में नहीं है। जब मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया गया तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उस क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं कि वहां पर आज तक कोई सिंचाई का साधन नहीं हो सका। लालगंज तहसील, फूलपुर का दक्षिणी भाग और

मुहम्मदाबाद तहसील का दक्षिणी भाग है वहां पर आज तक भी सरकार की तरफ से कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। वह धान का क्षेत्र है और धान के अलावा कोई दूसरी फसल वहां नहीं होती है। वर्षा न होने के कारण ३ साल से वहां धान की फसल नहीं हो रही है। यही नहीं। उस क्षेत्र में ८५ फीसदी किसान ऐसे हैं जो सिर्फ अपना कच्चा कुआं खोदकर, कभी ताल-तलैय्या से पानी लेकर धान को सींचते हैं। जब पानी नहीं बरसता तो ताल से भी उनको पानी नहीं मिल पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनके पास आज खाने के लिए भी कुछ बाकी नहीं है। इसलिए मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह स्वयं चलकर देख लें कि वहां के किसानों की क्या दुर्दशा है। मैं, श्रीमन्, यह दावे के साथ कह रहा हूं कि पचास फीसदी किसान और मजदूर ऐसे हैं जो कि बार्ली का सड़ा हुआ सूप पी रहे हैं और उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। रात को फाकाकशी हो रही है। मैंने सदन में एक बार कहा भी था और आज फिर कहता हूं कि बुवाई के वक्त में जो जानवर अन्न खा लेते हैं और उनके गोबर से जो गल्ला निकलता है उसे इस इलाके का इन्सान खाता है। मैं आपके माध्यम से माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इलाका जो लालगंज, मुहम्मदाबाद, फूलपुर का दक्षिणी हिस्सा है, उसके बारे वहां के डी० एम० से और आयुक्त, गोरखपुर से भी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि पिछले तीन सालों से वहां सूखे के कारण बराबर लगान माफ होती रही है, लेकिन उस इलाके के लिए और कोई बन्दोबस्त आज तक नहीं किया गया। किसी और किस्म की सुविधा वहां के लिए नहीं दी गयी। जिन इलाकों का नाम मैं ले रहा हूं पिछले तीन सालों से वहां बराबर सूखा पड़ा है, वहीं का लगान बराबर माफी की गयी है, लेकिन कोई और और साधन आज तक नहीं दिया गया है। उन के पास कोई और सिंचाई का साधन नहीं है। डाक्टर सीताराम ने बड़ी ईमानदारी से कहा था कि तरवा का इलाका ऐसा है कि पता नहीं किस तरह से वहां का इन्सान जिन्दा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जिले की यह हालत होती तो उसे हम किसी तरह से भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे। वह रिपोर्ट उन्होंने दी है, लेकिन आज तक हमारे माल मंत्री जी ने उसे इस हाउस की मेज पर नहीं रखा है। जो इलाका मिर्जापुर का भुखमरी में दिया गया है अगर उससे हमारा यह इलाका खराब हालत में हो तो सरकार इस्तीफा दे-दे। अगर मिर्जापुर से अच्छी हालत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैंने कई बार अपने माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

अभी उस इलाके में हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी भी गये थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि "वाकई में, जैसा आप हाउस में कहते थे, यह इलाका मिर्जापुर से ज्यादा खराब है। वह बात सही है और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का जिक्र हाउस में करूंगा। यहां सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी भी नहीं हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं, लेकिन माननीय माल मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस इलाके का वह स्वयं दौरा करें और देख लें कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के समाप्त हो जाने के बाद, जब यह चतुर्थ योजना चल रही है, उसके दौरान में भी अभी तक वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं दिया गया। यह बदकिस्मती की बात है कि वहां शारदा कैनाल की एक शाखा निकाली गयी थी। वह लालगंज तहसील के किनारे से गाजीपुर के इलाके में गयी है, लेकिन गाजीपुर के इलाके में, जो लालगंज के सरहद का इलाका है, एक बार भी पानी नहीं दिया गया। जितनी जमीन की इंजीनियरों ने खुदाई की थी उस नहर के लिए, अगर उस जमीन की भी सिंचाई एक बार हो गयी होती तो उससे ही किसानों को कुछ संतोष हो जाता। लेकिन आज तक उसमें एक बार भी पानी नहीं गया और बड़े दुख की बात है कि वह एक ऐसा इलाका है जहां किसान अपने कुंयें नहीं बना सकते। डेढ़, दो सौ फीट नीचे वहां पानी मिलता है। यह किसानों के बस के बाहर की बात है। इंजीनियरों की रिपोर्ट है कि दो, ढाई सौ फीट नीचे भी कहीं कहीं उस इलाके में पानी नहीं मिलता और सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है।

अतः मैं मालमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस इलाके को देख कर मुनासिब प्रबन्ध करें और

[श्री त्रिवेणी]

अगर माल मंत्री के पास, उग्रसेन जी के जिले में या कहीं और जमीन खाली हो तो उस इलाके के लोगों को वहां बसा दें, यही प्रार्थना है।

श्री बेचन राम (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन के सन्मुख बोलने के लिये समय दिया। मैंने दोनों ओर के माननीय सदस्यों के विचार सुने। मैं भी वाराणसी जिले ने नौगढ़ क्षेत्र से, ऐसे इलाके से चुन कर आया हूं जो घोर सखाजऔर भुखमरी से पीड़ित रहा है और जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी अखबारों में उसका जिक्र है। नौगढ़ मिर्जापुर से लगा हुआ इलाका है। मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर जिले बिहार से लगे हुये हैं और जो बिहार की हालत है वहां उससे किसी अंश में अच्छी नहीं है। जब हम लोग सूखा के संबंध में दौरा कर रहे थे तो सोच रहे थे कि परिणाम क्या होगा, भुखमरी आने वाली है, लोग इसका विश्वास नहीं करते थे। कांग्रेस सरकार के अधिकारी रिपोर्ट देते थे कि भुखमरी और सूखा का सवाल नहीं है। कहते थे कि उसे अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

श्री राम नरेश शुक्ल—

डिप्टी मिनिस्टर साहब सो रहे हैं, जरा उनको सुनना चाहिये।

श्री बेचन राम—

श्रीमन्, जब वहां दो मृत्यु हुईं, संयोग की बात थी कि स्वयं डी० एम० दौरे पर गये हुये थे। मैंने उनसे कहा कि हम जिस इलाके से आये हैं वहां दो मृत्यु हुई है, मैं स्वयं देख कर आया हूं। वहां के अधिकारियों ने जिनको कयास भी नहीं था कि सरकार बदल जायगी, उन्होंने कहा कि कोई मृत्यु नहीं हुई। डी० एम० ने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत हुई अधिकारियों की, तो मैं बरखास्त कर दूंगा। डी० एम० ने कहा कि मैं स्वयं कैम्प लगाऊंगा नौगढ़ में और जहां २ मृत्यु हो नहीं हजारों लाशें मिलतीं और कोई देखने वाला न मिलता गरीबों की पुकार भगवान ने सुनी और नयी सरकार बनी। ६ अप्रैल से आज तक वहां १५ भोजनालय स्थापित हैं जो मुफ्त भोजन देते हैं। ११ नौगढ़ में हैं और बाकी मैदानी इलाके में हैं। ५०० से डेढ़ हजार तक गरीब बच्चे, महिलायें, अनाथ, बूढ़े वहां भोजन पाते हैं। यही नहीं टेस्ट वर्क के साथ फटेहाल लोगों को कपड़े भी बटे। जहां कुये नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी भेजा गया और लोगों को सचमुच यह अनुभव हुआ कि आज सचमुच स्वराज्य मिला है। उनको विश्वास नहीं था कि उनको भोजन या कपड़ा मिलेगा। लेकिन मैंने स्वयं १००० साड़ी डी० एम० के आदेश से बांटी। आज २ महीने के अन्दर से कम से कम वनमंत्री, माल मंत्री और श्रम मंत्री ने स्वयं जाकर देखा और अधिकारियों का बराबर दौरा होता रहा। २ महीने में दसों बार मैं गया। आज जो कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं तो यही कहूंगा कि उनको पता नहीं है। जिस इलाके से मैं चुनकर आया हूं वह ऐसा रहा जहां कांग्रेस सरकार की बहुत उपेक्षित नीति रही और इस बात के भरोसे में वह रहे कि हम जो शासन कर रहे हैं उसके मुकाबले में अच्छा शासन हो नहीं सकता। उनके समय में जब सूखा पड़ा, भुखमरी शुरू हुई, तब उन्होंने इस पर विचार नहीं किया, उन लोगों का उनको खयाल नहीं आया, मगर आज जब वे विरोधी पक्ष में बैठने लगे तो उनको भुखमरी दिखाई देने लगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर यह सरकार रहेगी तो हमारे प्रदेश में जो यह खराब हालत आज दिखाई दे रही है वह जल्दी ही दूर होगी। हां, जितनी रफ्तार से काम होना चाहिये उतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, मगर जहां हजारों व्यक्ति भूख से मर सकते थे, वहां आज एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। हर आदमी आज गल्ला पा रहा है। मगर इसके लिये हमें कोई स्थायी हल निकालना होगा। २० वर्षों के दरमियान पिछली सरकार कोई स्थायी हल इस समस्या का नहीं निकाल पायी। चकिया चंदौली नहर का इलाका है। पिछली बंगाल की भुखमरी के समय में दो लाख मन चावल वहां से भेजा गया। वहां के लिये अच्छे बीज,

अच्छी खाद तकावी, आदि की व्यवस्था करनी चाहिये जो कि वहां की मांग रही है। इन शब्दों के साथ में इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।

(श्री रामनाथ पाठक का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

समय कम करके ५-५ मिनट ही दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--]

समय १०-१० मिनट का निर्धारित है, माननीय सदस्य स्वयं अगर कुछ समय कम करना चाहें तो यह हो सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह सदन कब तक चलता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका निर्णय तो पहले हो चुका है। ८ बजे तक यह चलेगा। सदन उसको तय कर चुका है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ८ बजे के बाद भी अगर आवश्यकता हुई तो देख लिया जायेगा।

एक सदस्य--

जब एक बार यह तय हो चुका है तो बार बार यह प्रश्न उठाना कहां तक ठीक है ?

(व्यवधान)]

श्री उपाध्यक्ष--

बार बार बीच में खड़े होकर यह प्रश्न उठाना शोभा नहीं देता।

*श्री रामनाथ (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज के दुद्धी क्षेत्र से आता हूं। इस साल राजगंज में बहुत सूखा पड़ा। आप सब जानते हैं कि उस जगह पर जो सहायता कार्य खुले हैं जिस तरीके से सहायता कार्य चल रहे हैं उसमें इतनी ढील-ढाल रही है कि राजस्व मंत्री जी गये, उन्होंने खुद देखा कि वहां मृत्यु हुई। वहां इस समय भी भुखमरी फैली हुई है। इसका कारण यह है कि मिर्जापुर लगभग दो सौ मील लम्बा है, सवा दो सौ मील उसका पहाड़ी इलाका है। वहां यातायत के साधन नहीं हैं। गल्ला वितरण पहाड़ों पर उचित समय पर नहीं हुआ। वहां राजगंज में जांच करवा लें कि जो राशन कार्ड दिये गये हैं उनमें राशन किन महीनों में दिया गया और किन महीनों में राशन नहीं दिया गया। राशन कार्ड खाली पड़े हुये हैं। राजगंज तहसील में जहां गल्ले की दुकानें हैं वहां तो गल्ला पहुंचा भी पर पहाड़ों में गल्ला नहीं पहुंचा और लोगों को गल्ला नहीं मिल पाया। राजगंज में चोपन ब्लाक के पश्चिम की तरफ पचासों मील के घेरे में कोई टेस्ट वर्क नहीं चला। कुछ दिन पूर्व वहां पर जिलाधीश भर री स्थान पर गये और लोगों को आश्वासन दिया कि यहां पर १७ तारीख को टेस्ट वर्क खुल जायेगा। लोगों को बंधे का काम बताया गया था परन्तु वहां कोई अधिकारी नहीं था। और दो तीन के बाद सुनने में आया कि कोई टेस्ट वर्क नहीं चला। वहां सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नाथ]

कार्य के नाम पर इंजीनियर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की बहुत भारी फौज भेज दी गई थी, मोटरें है, दौरा कर रहे है, लेकिन किस इलाके में टेस्ट वर्क होना चाहिये, कहां जाना चाहिये, यह कुछ नहीं। सड़क के किनारे किनारे माननीय नेताओं और मंत्रियों को दिखाने के लिये टेस्ट वर्क तो है, लेकिन पहाड़ों में, जंगलों में और जहां गरीब आदिवासी है वहां टेस्ट वर्क २५-२५ मील के इलाके में नहीं दिखलाये गये। श्रीमन्, अकाल की हालत है वहां पर। वहां पर पलाश, सेमर के फूल और कमल की जड़ें जो होती है उन्हें सुखा सुखा कर और पीस पीस कर उन्होंने उसकी रोटी बनाई है। अधिकारीगण कहते हैं कि पानी बरस जायेगा तो टेस्ट वर्क बन्द हो जायेगा। पानी बरसने पर अगर बन्द कर देंगे तो फिर उन लोगों को खाने का क्या प्रबन्ध किया जायेगा। अभी तो सूखा था लोग कहीं कहीं पहुंच भी जाते थे परन्तु जब पानी बरस जायेगा जीप नहीं दौड़ेगी तो उन लोगों की भुख मरी कैसे दूर होगी? इसके सरकार अभी से प्रबन्ध कर ले कि बरसात की भुखमरी के दिनों में वे कैसे बचेंगे।

श्रीमन्, वहां एक घरारी मुकाम है। एक औरत ढाई साल के बच्चे को साथ लेकर मुफ्त गल्ला लेने के लिये गई। वहां से वापिस आई और पानी बरस गया। उसके गांव के पास नाला था। वह उस नाले को पार कर रही थी। बह गई, उसकी लाश का पता नहीं। अढाई साल के बच्चे को वहां के प्रधान उठाकर लाये और गांव में परवरिश करने के लिये बच्चा दे दिया लेकिन इन चीजों पर परदा डालने के लिये अधिकारी कहते है कि वहां भुखमरी नहीं हुई। श्रीमन्, इसकी जांच कराइये। अधिकारी गलत रिपोर्ट देकर वहां पर परेशान करते हैं और मनमाना काम कर रहे हैं। जहां टेस्ट वर्क खोलना चाहिये वहां पर न खोल कर किसी बड़े गांव में खोल देते हैं। लोग पांच मील चल कर टेस्ट वर्क पर काम करते हैं और फिर वापिस जाते हैं। २६ मार्च को मिर्जापुर जिले की रामगंज में ओले पड़े, उस दिन होली का दिन था। चार बजे के समय ओला पड़ा और एक एक सेर का पड़ा। और यह सब भी साबित किया जा सकता है उन खपरेलों से जो उस समय टूट गयी है और अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से मिर्जापुर जिला बिलकुल छोड़ दिया गया है, उसमें ओला नहीं दिखाया गया। जब कि कुछ गांवों में भूतपर्व मुख्य मंत्री श्री गुप्ता जी भी गये थे और अपनी आंखों से उन्होंने अहरारी गांवों को देखा था। वहां एक मुसलमान परिवार किराये के लिये खेत में गया था, वह बुरी तरह से घायल हो गया और ६ आदमी अस्पताल में दाखिल हुये। अगर उस दिन होली का त्योहार न होता तो न जाने क्या हालत होती। उस इलाके में सैकड़ों मवेशी मर गये। इस इलाके में जो आम के पेड़ थे उनके बौर और पत्ते सब नष्ट हो गये और बाद में छोटे छोटे पत्ते आये। लेकिन उसका रिपोर्ट में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। में २०० गांव प्रभावित थे लेकिन अधिकारियों ने उस पर पर्दा डाला है। इसकी जांच करायी जाय। इस प्रकार की जो और बातें भी मिनिस्टरों से छिपाने की कोशिश की जाती है उसके लिये अधिकारियों को दंड दिया जाय।

श्रीमन्, यों तो सारा मिर्जापुर ही पहाड़ी इलाका है लेकिन उसका रायपुर का वह इलाका जो कि बुन्देलखंड के इलाके से मिला हुआ है, उसकी देखभाल पूर्वी जिलों जैसी नहीं होती। मिर्जापुर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पहाड़ी और दूसरा मैदानी। जो उसका हैड क्वार्टर है जिले के सारे आफीसर वहां रहत है। यह उस स्थान से १२५ मील की दूरी पर है। इस एरिया के बारे में अक्सर रिपोर्टों में लिखा जाता है कि वहां की सूचना पर्याप्त है। इसके लिये एक कमेटी की स्थापना की जाय और यह देखा जाय कि वहां के लोगों का कष्ट किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। वहां पर पानी पीने का इंतजाम भी नहीं है। पहले जमाने में हर गांव में छोटे छोटे ताल और बावड़ी थी, इनसे लोगों को पानी का मिल जाता था लेकिन अब वह सूख गये है। विदेशी इंजीनियरों का कहना है कि अगर इनको साफ करा दिया जाय तो पीने का पानी साल भर तक मिल सकता है। सरकार इनको साफ करा दें ताकि दूसरे, तीसरे साल जो पानी का अकाल पड़ जाता है वह न पड़े। इसके अलावा अभी तक तो परमात्मा

का अकाल पड़ता था लेकिन अब सरकार का अकाल पड़ने वाला है । आज तीस जून हो गयी लेकिन अभी तक सरकार की ओर से बीज का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । सरकार का कहना है कि वह १० बीघे से नीचे वालों को ही बीज देगी । उससे ऊपर वालों का क्या होगा । अगर कोई बीज का प्रबन्ध नहीं किया गया तो वहां भीषण अकाल और भुखमरी फैल जायगी ।

(राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, हमको बोलने नहीं दिया गया है और आप ने मंत्री जी को बुला लिया है . . .

श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

हमको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, इसलिये हम प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं ।

(श्री कृष्ण सिंह सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें, शुक्ल जी, आप बैठ जायं ।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, बड़े खेद की बात है कि सूखे की जब बहस हो रही है और जिस तरह से सरकार ने इस स्थिति में उदासीनता दिखाई है और ठीक से राहत काम और कार्यों के संचालन में उपेक्षा की है और इस समय भी जिस तरह से न माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं और माननीय खाद्य मंत्री जी हैं और अब हमें समय भी नहीं दिया जा रहा है, आप को स्वयं विरोधी पक्ष को अधिक अवसर देना चाहिये था । आप अभी से माल मंत्री जी को बुला रहे हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । सब सदस्य अपना अपना स्थान कृपा करके ग्रहण करें । मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि समय बढ़ाने के सम्बन्ध में कई बार यहां प्रश्न उठाया गया और अन्त में आप सब की राय से ८ बजे तक का समय निश्चित हो गया । अब उसके बाद भी बार बार उसी प्रश्न को उठा कर सदन का समय लेना शोभनीय और सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है । सदन में विचार व्यक्त करने के अवसर बार बार आते ही रहते हैं आपको विचार व्यक्त करने का अवसर फिर भी मिलता रहेगा, अब सब लोग स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

एक निवेदन मेरा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब निवेदन का कोई प्रश्न नहीं है, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमदत्त--

फतेहपुर के संबंध में अखबार में भी आया है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमदत्त--

हम आप से प्रार्थना कर रहे हैं और आप कुछ सुनना नहीं चाहते....

श्री उपाध्यक्ष--

अब माल मंत्री जी बोलेंगे और आप स्थान ग्रहण करें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं अपने सामने बैठे हुये माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कुछ ऐसा मालूम होता है कि उन्हें इस बात का क्षोभ हो रहा है कि उन्हें बोलने का समय कम मिला। मैं बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा कि इस चर्चा के आरम्भ होने से पहले ही अध्यक्ष महोदय ने स्वयं विरोधी दल से जानने की कोशिश की थी कि वह कितना समय लेंगे और अगर वह चाहें तो किसी अन्य दिन के लिये चर्चा स्थगित की जा सकती है, अगर वह अधिक समय चाहें तो चर्चा स्थगित की जा सकती है और श्री गेंदा सिंह जी ने मांग की थी और हम ऐसा करने को तैयार भी थे कि जिस दिन उस पक्ष के लोग उचित समझें चर्चा कर ली जाय लेकिन आप के नेता जी ने कहा कि नहीं, आज ही यह चर्चा हो जाय और उसी वक्त आरम्भ में यह फैसला सब की सलाह से ले लिया गया कि ८ बजे तक यह बहस चलेगी। मैं समझता हूं कि उसके बाद भी सदन में इस तरह का आचरण सदस्यों द्वारा उचित नहीं है।

एक सदस्य--

अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम समय निर्धारित किये देते हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो समय बढ़ा देंगे।

श्री प्रेमदत्त--

श्रीमन्, आप १५ मिनट का समय बढ़ा दें, यह तो आपके हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय प्रेम दत्त जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप बातचीत न करें, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

श्रीमन्, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेते हुए, उन्होंने अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी सुझाव उनकी ओर से आये हैं, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो सुझाव जनता की भलाई के लिये हैं, उनको माना जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस बात का प्रस्ताव कर सकते हैं कि समय बढ़ाया जाय। आखिर वे हमें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी का भाषण चल रहा है तो उसके बीच में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये और न नियमानुसार कर सकते हैं। अतः आप माननीय माल मंत्री जी का भाषण सुनें।

श्री राज किशोर (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जो आप व्यवस्था दे रहे हैं।....

श्री उपाध्यक्ष--

अत्यन्त दुख की बात है कि मेरी प्रार्थना के बाद भी आप बार-बार खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार से अनुचित ढंग से सदन की गरिमा को आघात पहुंचाते हैं।

श्री राजकिशोर--

आप, श्रीमन्, मुझे समय नहीं दे रहे हैं इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।....

(श्री राज किशोर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामनरेश शुक्ल--

श्रीमन्, जब यह सरकार हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं है तो हम यहां बैठ कर क्या करेंगे? हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रामनरेश शुक्ल तथा श्री प्रेमदत्त ने सदन का त्याग किया।)

(श्री गेदासिंह के सदन से बाहर जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं माननीय गेंदासिंह जी सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं।

श्री गेदासिंह--

श्रीमन्, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में किसी दल में रहने का भी अर्थ होता है।

(कांग्रेस दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री उदितनारायण शर्मा--

श्रीमन्, जितने फैसले सदन में होते हैं व माननीय अध्यक्ष के जरिये से बता दिये जाते हैं। जब तक यहां पर माननीय अध्यक्ष और दूसरे सम्मानित सदस्य मौजूद हैं विरोधी पक्ष के सदस्य यहां या न हों, यह उनकी मर्जी की बात है, कार्यवाही चलेगी और उसकी उपयोगिता हरगिज भी कम न होगी।

उस पक्ष की ओर से और हमारे पक्ष की ओर से कुछ सम्मानित सदस्यों ने ये सुझाव दिये हैं कि जो हालात अकालग्रस्त क्षेत्रों की है उसको देखते हुए कुछ इलाकों ऐसे हैं जिनको हम दुर्भिक्ष ग्रस्त या (केलेमिटी) इलाके घोषित करना चाहिये। उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि आखिर जब हम किसी क्षेत्र को दुर्भिक्ष ग्रस्त घोषित करते हैं तो उसके क्या माने होते हैं। पहिली बात सारगर्भित यह है कि अकाल के कारण उस क्षेत्र में या अभाव के कारण वहां के रहने वालों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये। वहां के लोग भूखों न मरने पायें, वहां पर लोगों को काम मिले, दवा मिले, पानी मिल सके। ये वह बातें हैं जिन को करना हर एक सरकार का फर्ज होता है कि वह देखे इन बातों की तकलीफ तो नहीं होती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई क्षेत्र अभी तक फेमीन का इलाका घोषित किया गया हो या न किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

[श्री उदितनारायण शर्मा]

गया हो, लेकिन जो ये चार जिले में जिनको प्राथमिकता दी गई है, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा और वाराणसी, इन जगहों पर कहीं पर किसी अधिकारी की गलती से कोई बात हो गयी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं मानता हूं कि २० वर्षों से जो हुकूमत चली आयी है उसका यह नतीजा हुआ है कि यहां पर ऐसे अधिकारी पनपे हैं जो ऐसे समय में सही काम नहीं किया करते हैं। लेकिन हमारी सीमायें हैं और कोशिश है कि ऐसे अधिकारियों को छांटने की कोशिश की जाय। लेकिन इस स्थिति के होते हुए मैं आपने को इस स्थिति में नहीं पाता जो कह सकूं कि कोई अधिकारी हमारा ऐसा नहीं है कि जिस ने गड़बड़ नहीं की। निःसंदेह यह समय ऐसा है कि जब इनसान दाने दाने के लिये मोहताज हो रहा है उस समय जो कर्मचारी या व्यापारी इन की मौत से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो इनकी गरीबी से, जो इस दैवी प्रकोप से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वे आदमी नहीं हैं, राक्षस हैं और उनके लिये जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य है कि अभी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं और हम उनको अलग अलग नहीं कर पाये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां दूसरे काम करते हैं वहां पर इन सब जरूरी कामों को कर सकें....

श्री रामनरेश शुक्ल--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं हैं।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

माननीय रामनरेश शुक्ल जी यह कह कर सदन से बाहर नहीं गये थे कितने समय के लिये जा रहे हैं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह तो श्रीमन्, चर्चा का प्रस्ताव है, इसमें कोरम का तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस चर्चा को जिन लोगों ने उठाया था उसमें से कोई सदस्य कोरम की मांग न उठाता तब तो कोरम का प्रश्न नहीं था। मगर चूंकि अब यह प्रश्न उठाया गया है इसलिये कोरम का प्रश्न बन गया।

(कोरम की घंटी बन्द होने पर) इधर से सदन में कोरम का प्रश्न उठा और जैसा दिखाई पड़ रहा है, कोरम पूरा नहीं है जो कि यह चर्चा का विषय ऐसा था कि इसमें और बोलने के लिये भी इतनी इच्छा थी लोगों की। मगर दुख है कि इस समय कोरम पूरा नहीं है अतः केवल एक मात्र यही उपाय है कि सदन स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३० जून, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५३ पर)

[अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत प्रस्ताव जो मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार उपस्थित किये हुये माने गये।]

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) सभी अनाजों तथा उपभोग वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाने हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा भ्रष्टाचार को हर क्षेत्र से समाप्त करना। (२) स्टेट ट्रेडिंग के अन्तर्गत व्यवसाय को नागरिकों के हितों के अनुरूप बनाकर चीजों को सस्ते भाव में उपलब्ध कराना। (३) संचयखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना और उनके अन्न के स्टाकों को जब्त कर जनता को सुलभ कराने हेतु कदम उठाना।
२	श्री श्रीराम तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
३	श्री फूलसिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों के दिन-प्रति-दिन बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने में असफलता के लिये सरकार की आलोचना करना।
४	श्री इन्द्रमणी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—यह चर्चा करना कि पर्वतीय जिलों, खासकर टिहरी में, सरकारी गल्ले के गुदाम गांव से बहुत दूर हैं, खच्चरों का भाड़ा सस्ते गल्ले के दूकानदारों को बहुत देना पड़ता है जिससे गांव वालों को बहुत ऊंचे भाव पर गल्ला मिलता है और सरकार को सस्ते गल्ले की दुकान तक भाड़ा देना चाहिये।
५	श्री काली चरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) खाद्य तथा रसद के वितरण की गलत नीतियों की चर्चा करना तथा इस कार्य को प्रभावकारी बनाने हेतु सुझाव देना। (२) खाद्य वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करना।

उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	श्री चतुर्भुज शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--सरकार की दोष पूर्ण गल्ला उगाही की नीति की आलोचना करना तथा नित्य प्रति की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत में उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने में असमर्थता के लिये आलोचना करना ।
७	श्री फूल सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--सम्पूर्ण नीति की चर्चा एवं आलोचना ।
८	श्री करन सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।
९	श्री प्रभु दयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--खाद्य के बढ़ते हुये दामों की तरफ शासन का ध्यान खींचना तथा सस्ते गल्ले की राशन-दुकानों की धांधली की रोक-थाम का सुझाव देना ।
१०	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--चीनी के बटवारे के संबंध में यह शिकायत करना कि चीनी का संकट रुपया कमाने और कमवाने के लिये किया गया है, हलवाइयों को कम कोटा देने और समाप्त करने की नीति अपनाई गयी है तथा कम होने पर ब्लैक पर चीनी बेची जाती है ।
११	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--दोषपूर्ण गल्ले की उगाही की नीति की आलोचना करना ।
१२	श्री माता प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--(१) जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के ग्राम खता सराय, बड़ा गांव, मानीकलां, सुइथाकलां, जो एक प्रकार के कस्बे हैं उनकी गणना अन्य गांवों के बराबर न करके उनके लिये अलग-अलग सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को खोलने के लिये ध्यान दिलाना ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		(२) जौनपुर जिले के देहातों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व हरिजनों को सस्ते गल्ले की दूकानों का गल्ला नहीं मिल पाता है, दूकानदारों के पास कुछ नामों की सूची होती है और उसी से वह जिसे चाहते हैं गल्ला दे देते हैं और जांच करने में अड़चन पड़ती है, जरुरतमन्द लोगों को नये सिरे से सूची बना कर उनके लिये राशन कार्ड बना देने के लिये ध्यान आकृष्ट करना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा